वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

प्रगति
pragati

अंक 27 सितंबर 2023

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 24, वाइट्स रोड, चेन्नै – 600 014. www.uiic.co.in
प्रधान कार्यालय : 19, लेन–IV, नुंगमबाक्कम हाई रोड, चेन्नै – 600 034

हिंदी दिवस संदेश

प्रिय युनाइटेड इंडियंस,

दिनांक : 14 सितंबर, 2023 हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। आज ही के दिन, अर्थात 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। इन्ही कारणों से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह पर्व सभी शिक्षण संस्थानों, दफ्तरों तथा अन्य संस्थानों में हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता हैं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य, हमारी मातृभाषाओं के साथ साथ हिंदी को बढ़ावा देने तथा इसे जन–जन तक पहुचाना है।

भाषा भावों की वाहिका और विचारों की माध्यम होती है जो व्यक्ति को व्यक्ति से और राष्ट्र को राष्ट्र से मिलाती है। भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित, ध्वनियों शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो, भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार जान पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपने इतिहास संस्कृति, संचित विज्ञान तथा महान परम्पराओं को जान पाते हैं।

भारत अनेक भाषा भाषी देश हैं। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलगू, तमिल, मलयालम, पंजाबी, उड़िया जैसे अनेक बोली और भाषाओं से मिलकर ही भारत राष्ट्र बना हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत से भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, परंतु देश के अधिकांश भूभाग में सरलता से समझी और बोली जाने वाली भाषा हिंदी होने के कारण इसे राजकीय भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए। यह एक महत्त्वपूर्ण कदम था, जिससे हिंदी के प्रयोग में काफी सहायता मिली है।

हमारी कंपनी भी सरकार की राजभाषा नीति के प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयासरत रहती है। नियमित रूप से तिमाही बैठकों का आयोजन, कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण, कार्यान्वयन समितियों के साथ समन्वयन एवं उनके गतिविधियों में सहभागिता जैसे कार्यों के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन को संपन्न कराया जाता है।

भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस वर्ष प्रत्येक कार्यालय में दिनांक 14 सितंबर को हिंदी दिवस तथा हिंदी पखवाडा मनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। सभी कार्यालयों से अपील है कि हिंदी दिवस तथा हिंदी पखवाडा की अवधि में कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढाने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। साथ ही यह हम सब का संवैधानिक कर्तव्य भी है कि हम अपने कार्यालयों में राजभाषा "हिंदी" से संबंधित सभी नियमों, आदेशों और नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करें। आइए, हम सभी विश्व में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से एक, हिंदी भाषा के उत्थान के लिए संकल्पित हों।

शुभकामनाओं सहित।

सत्यजीत त्रिपाठी

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

प्रगति

राजभाषा गृह पत्रिका – अंक 27 – 2023

युनाइटेड इंडिया UNITED INDIA

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कं. लि. प्रधान कार्यालय की हिन्दी गृह पत्रिका

संरक्षण व संपादक
प्रणय कुमार, महाप्रबंधक

मार्गदर्शन
आर. मीना, उप महाप्रबंधक

संकलन तथा प्रकाशन मंडल

संजय कुमार झा, मुख्य प्रबंधक
ए. सूर्य प्रकाश, प्रबंधक
जितेन्द्र चौहान, सहायक प्रबंधक
सुभाषिणी चन्द्रशेखर, सहायक प्रबंधक
के. उषा, हिन्दी आशुलिपिक

पत्रिका में प्रकाशित विचारों से संपादक मंडल का सहमत होना न तो आवश्यक है व न ही व्यक्त विचार कंपनी के हैं।

केवल आंतरिक वितरण हेतु

संपादकीय पता :
युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कं.लि.
राजभाषा कार्यान्वयन विभाग
प्रधान कार्यालय : 19/लेन–IV,
नुंगमबाक्कम हाई रोड,
चेन्नै – 600 034

अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय के श्री योगेश पटेल के द्वारा प्रस्तुत किए गए छायाचित्र को मुख्य पृष्ठ पर लिया गया है।

क्र.सं.	विषयवस्तु	पृष्ठ सं.
1.	संदेश	2–5
2.	काशी	6–11
3.	अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता में हिंदी भाषी वर्ग से प्रथम स्थान पर चयनित निबंध	12–14
4.	समाज में स्वास्थ्य बीमा का महत्व	15
5.	मेरा जुनून	16–18
6.	बीमा संबंधी शब्दकोश	19
7.	बीमा पॉलिसी–नियम और शर्तों की व्याख्या: दावों के त्वरित निपटान के लिए आवश्यक जानकारी	20–22
8.	स्वर्गलोक का बीमा	23
9.	सुव्यवस्थित प्रगति हेतु परीक्षण एवं संतुलन	24–25
10.	वेदांत के मूलतत्व	26–27
11.	बीमा का महत्व	27
12.	राजभाषाई निरीक्षण	28–31
13.	क्रोध – एक मानसिक पीड़ा	31–32
14.	दुनिया हर जीवित प्राणी की है, न कि सिर्फ इन्सानों की	32
15.	गर्म पानी के छह लाभ	33–34
16.	आजादी का अमृत महोत्सव पर विचार	34
17.	आपको जो प्राप्त होता है उससे भी अधिक कार्य करें	35–36
18.	जलाशयों का उत्सव मनाएं	37
19.	अब डिजिटल हुआ रुपया	38–39
20.	दिव्य शब्द ? का महत्व	40
21.	गतिहीनता एक जहर	41–42
22.	संस्मरण	42
23.	मोबाइल के मायाजाल में भटकते युवा	43–44
24.	कलम बड़ी या कम्प्यूटर	44
25.	स्वच्छता	45
26.	देश की आत्मनिर्भरता में राजभाषा का योगदान	46
27.	काव्य सौरभ	47–50
28.	धनशोधन का निवारण संक्षेप में	51
29.	मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) दिशा निर्देश	52–53
30.	मातृ भाषा	53
31.	अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता में हिंदीतर भाषी वर्ग से प्रथम स्थान पर चयनित निबंध	54–55
32.	क्षेत्रीय कार्यालय को सम्मान एवं पुरस्कार	56

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का संदेश...

प्रिय युनाइटेड इंडियंस ,

गृह पत्रिकाएं, संवाद का एक सशक्त माध्यम होती है और राजभाषा विभाग की गृह पत्रिका **"प्रगति"** अंक –27 के माध्यम से संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

आजादी का अमृत महोत्सव को हर व्यक्ति तक पहुँचाने, जी 20 का नेतृत्व कर विश्व पटल पर अपने गौरवशाली विरासत और इतिहास को परिचय कराने तथा हमारी कौशल और नवोन्मेष को प्रस्तुत करने के लिये सदैव तत्पर हमारा देश आज **प्रगति** के पथ पर नया अध्याय लिख रहा है। इन अमृतमयी क्षणों में हमारी कंपनी की गृह पत्रिका **"प्रगति "** का 27वाँ अंक का प्रकाशन से अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है।

मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछला वित्तीय वर्ष हमारी कंपनी के लिये सुखद एवं सराहनीय रहा। एक मजबूत विपणन प्रणाली के साथ 1,922 करोड़ रुपये की वृद्धि और 12.23% की विकास की दर के लक्ष्य को हमने हासिल किया है। कंपनी के पास उपलब्ध 236 सक्रिय उत्पादों को 1.33 करोड ग्राहकों तक पहूँचा कर उनका विश्वास हासिल करने में हम सफल रहे।

चालू वित्त वर्ष भी हमारे कंपनी के लिये व्यवसाय वृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। **"प्रगति"** के माध्यम से यह साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष अब तक एक संतोषजनक वृद्धि के साथ हम अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर **प्रगति** के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे व्यावसायिक योजना का लक्ष्य 2205 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 19,849 करोड़ रुपये का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (जीडीपी) हासिल करने के लिए 12.50% की समग्र वृद्धि दर है। मोटर, फसल और स्वास्थ्य बीमा में अभिवृद्धि के साथ निरंतर जारी रहने वाली प्रतिस्पर्धा को सहर्ष स्वीकारते हुए आगामी महीनों में भी दुगुने उत्साह के साथ हम इसी प्रकार हर क्षेत्र में **प्रगति** करते हुए अपनी कंपनी को नये शिखर पर ले जाने का संकल्प लें।

राजभाषा अनुपालन के क्षेत्र में भी निरंतर गतिविधियाँ प्रदर्शित हो रही है। संसदीय समिति से लेकर गृह मंत्रालय के कार्यालयों द्वारा हमारे कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में हमारी सक्रियता और सहभागिता सुनिश्चित किया जा रहा है। गृह पत्रिका सहित अन्य प्रकाशनों तथा अखिल भारतीय स्तर पर वित्तीय सेवाएं विभाग से संबद्ध कार्यालयों के लिए हिंदी प्रोत्साहन हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन जैसे सराहनीय कार्य राजभाषा विभाग की गतिशीलता का परिचायक हैं।

"प्रगति" के इस अंक में युनाइटेड इंडियंस के अंतर्निहित कलाओं, रचनाओं और प्रतिभाओं को स्थान दिया जाना, राजभाषा और युनाइटेड इंडियंस, दोनों के लिए उत्साह जनक है।

"प्रगति" के इस अंक के प्रकाशन पर राजभाषा विभाग को हार्दिक शुभकामनाएँ। कंपनी की **प्रगति** में राजभाषा विभाग का सहयोग सदैव बना रहे, इन्ही शुभकामनाओं के साथ।

सत्यजीत त्रिपाठी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

महाप्रबंधक का संदेश...

प्रिय साथियों,

गृह पत्रिका **"प्रगति"** के माध्यम से पहली बार जुड़ने और अपने विचार रखने का अवसर मिलने से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।
यह हर्ष का विषय है कि गृह पत्रिका **"प्रगति"** प्रकाशित होती रही है और यह अंक प्रधान कार्यालय सहित अखिल भारतीय स्तर पर संपन्न विभिन्न गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए राजभाषा विभाग के मानकों के अनुरूप नए कलेवर में प्रस्तुत हो रही है।
मुझे हर्ष है कि राजभाषा विभाग अपने वार्षिक लक्ष्यों के प्रति सजग है तथा इस दिशा में सभी आवश्यक और सार्थक कदम उठा रही है। **"योग विशेषांक"** का प्रकाशन तथा वित्तीय सेवाएं विभाग स्तर पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन, विजयी लेखनों का संकलन एवं प्रकाशन जैसे कार्य सराहनीय हैं और राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति के लिये किये जा रहे प्रयासों का एक अनुपम उदाहरण है। हमारे कई कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन हेतु ख्याति अर्जित की है और हम सभी को प्रेरित व संपुष्ट करना चाहते हैं।
साथियों, विदित है कि विगत एक वर्ष से बाजार में तेजी आ गई है। उत्पादन क्षेत्र में जहाँ नये रिकार्ड स्थापित हो रहे हैं, वहीं सेवा क्षेत्र में भी बेहतर उछाल दिखाई दे रहा है। वैश्विक बाजार में भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी पहचान को और भी सुदृढ़ बना रही है तथा हर क्षेत्र में विस्तारित हो रही है। इसी क्रम में बीमा क्षेत्र में भी आये दिन नये बदलाव आ रहे हैं। बदलते परिवेश में नियामक द्वारा भी विनियमों को पुनरावलोकन कर नये विनियमों को अमल में लाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप ग्राहकों की मांग के अनुरूप उत्पादों का विकास, बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों में सरल और सुगम भाषा का प्रयोग तथा उत्कृष्ट सेवाओं का अर्पण ही बीमा कंपनियों के लिये एक मानक बनता जा रहा है।
इसी क्रम में कंपनी की संरचना में परिवर्तन, प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन तथा क्षेत्रीय स्तर पर बीमालेखन एवं दावा सेवा हेतु मोटर, गैर मोटर हब, स्वास्थ्य दावा हब तथा लेखा हब के सृजन से हमारे कार्यों पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। केपीआई–संचालित उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से अगली पंक्ति को मजबूती प्रदान किया जा रहा है। दावा निपटान तथा ग्राहक शिकायत निवारण में उल्लेखनीय प्रगति प्रदर्शित हो रही है। ऐसे सभी प्रयासों को सतत् जारी रखते हुए हम अपने भविष्य को **प्रगति**शील बनाने में अवश्य सफल होंगे।
साथियों, हमारा आत्मविश्वास, ज्ञान, अनुभव और एक गौरवशाली कंपनी का अंग होना ही हमारी शक्ति है। इन शक्तियों और सेवाओं को प्रदर्शित करते हुए कंपनी द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ राजभाषा से **प्रणय** एवं उसके कार्यान्वयन में भी हमें योगदान प्रदान करते रहना है।
राजभाषा गृह पत्रिका **"प्रगति"** के माध्यम से समस्त युनाइटेड इंडियन को संबोधित करते हुए मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि कृपया कंपनी और राजभाषा कार्यान्वयन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु, आप सभी अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान देते रहें।
जलवायु परिवर्तन एवं उससे उत्पन्न गंभीर समस्याएं वैश्विक स्तर पर न केवल सामाजिक अपितु आर्थिक क्षति पहुंचा रही हैं। अभी हाल ही के घटनाओं को देखा जाय तो प्राकृतिक आपदाओं से लगातार नुकसान बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार कई कदम उठा रही है। वैश्विक स्तर पर हरित उर्जा की ओर सबका ध्यान आकर्षित हो रहा है। हमारा बीमा व्यवसाय इस क्षेत्र में स्वाभाविक सामंजस्य होने के कारण बहुत योगदान दे सकता है। इस विषय में मेरी व्यक्तिगत रुचि है और अपने कंपनी को इस दिशा में अग्रणी बीमा कंपनी बनाने कि आकांक्षा है। प्रगति के अगले अंक के लिए इस विषय पर आपके सुझाव आमंत्रित हैं।
प्रगति का यह अंक सफल हो – इन्ही शुभकामनाओं के साथ।

प्रणय कुमार
महाप्रबंधक

उप महाप्रबंधक का संदेश...

प्रिय साथियों,

प्रगति के इस अंक के साथ एक बार पुनः आप सभी के साथ जुडते हुए मैं प्रफुल्लित हूँ। राजभाषा विभाग की गतिविधियों को प्रस्तुत करने तथा वार्षिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए गतिविधियों से सभी को अवगत कराना ही इस गृह पत्रिका का परम उद्देश्य है।

मुझे हर्ष है और गर्व भी है कि राजभाषा विभाग अपने वार्षिक लक्ष्यों को लेकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधान कार्यालय सहित कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों को न.रा.का.स. गतिविधियों के लिये पुरस्कार प्राप्त होना यह प्रमाणित करता है कि हम अपने कार्यों के प्रति न केवल संवेदित हैं अपितु राजभाषा से जुडी संस्थाओं के प्रति अपनी गतिविधियों के साथ समर्पित भी हैं।

अभी हाल ही में संसदीय उप समिति द्वारा आगरा कार्यालय का निरीक्षण, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हल्दवानी कार्यालय, भिलाई कार्यालय, पटना क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखापट्टनम क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी कार्यालय का निरीक्षण किया गया एवं हमारे कार्यों को सराहना प्राप्त हुई। इस प्रकार के निरीक्षणों के द्वारा कंपनी के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना भी हमारे लिए हर्ष का विषय है।

अधीनस्थ कार्यालयों पर सतत निगरानी, कार्यशालाओं का अयोजन, राजभाषा नियमों और वार्षिक लक्ष्यों के प्रति कार्यालयों को संवेदित करने जैसे कार्यों को प्राथमिकता दिया जा रहा है।

साथियों, यह वित्तीय वर्ष हर दृष्टि से हमारे लिए विशेष है और विगत वर्षों की तुलना में बेहतर कार्य प्रदर्शित करने का अवसर भी है। इस तीव्र प्रतिस्पर्धा में भी हमें अपने मौजूद ग्राहकों और संभावित ग्राहकों के साथ सतत संपर्क और उत्कृष्ट सेवाओं को प्रदान कर यह संभव किया जा सकता है, जिसमें राजभाषा तथा राज्यभाषाओं की भी अहम भूमिका है।

"प्रगति" के इस अंक के माध्यम से मैं आप सभी से एक बार पुनः अपील करती हूँ कि अपनी कंपनी के **प्रगति** के प्रति और राजभाषा प्रोत्साहन के प्रति प्रत्येक कर्मचारी अपना पूर्ण योगदान दें।

आप सभी को हार्दिक अभिवादन और शुभकामनाएँ।

आर. मीना
उप महाप्रबंधक

मुख्य प्रबंधक का संदेश...

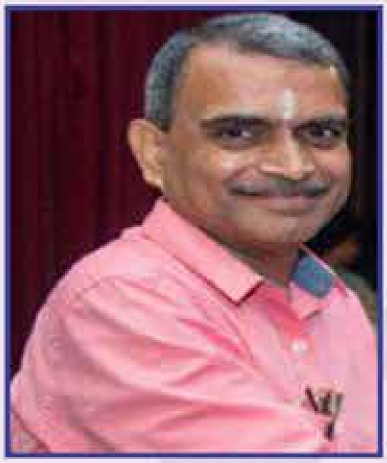

सभी को नमस्कार और प्रगति के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएँ।

राजभाषा के प्रति स्नेह और योगदान को प्रमुखता से प्रदर्शित करते हुए प्रगति के इस अंक को प्रकाशित किया जा रहा है।

यह गृह पत्रिका राजभाषा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को प्रस्तुत करने के साथ साथ हमारी अन्य गतिविधियों से भी सभी को अवगत कराती है। साथ ही इस पत्रिका के माध्यम से युनाइटेड इंडियंस के विचारों, रचनाओं और मौलिक लेखनों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है।

अभी हाल ही में कंपनी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों के लिये निबंध लेखन का सफलता पूर्वक संपन्न कराया गया है। ऐसे लेखनों के माध्यम से राजभाषा को तो प्रोत्साहन मिलता ही है साथ ही कुछ ऐसे विचार उभर कर आते हैं जो कंपनी के लिये फायदेमंद भी होते हैं।

हमारे कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम, नियमों और संकल्पों के क्रियान्वयन के लक्ष्य के अलावा राजभाषा अनुपालन का विकास भी राजभाषा विभाग की गतिविधियों में सम्मिलित है। इस दिशा में लगन और निष्ठा से किये जाने वाला हर कार्य विभाग के साथ साथ कंपनी के लिये भी लाभदायक होता है।

चुँकि हम भारत सरकार के उपक्रम हैं, अतः राजभाषा नियमों का अनुपालन करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। राजभाषा के विकास में यदि हम अपने सहकर्मियों को सहयोग कर सकें तो यह और भी बेहतर कार्य होगा।

राजभाषा का कार्य केवल किसी एक भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि संवैधानिक उपबंधों के अधीन निर्दिष्ट अधिनियमों के अनुसार उन सभी भाषाओं को सम्मिलित करने की स्वतंत्रता भी है, जिससे हम अपने व्यवसाय वृद्धि के लिये प्रयास कर सकें।

प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। ऐसा हमारे कार्यालय के दैनिक कार्यों में अंग्रेजी से मुक्त होकर भारतीय भाषाओं के प्रयोग से ही सम्भव है।

इस पत्रिका के माध्यम से मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि कृपया सरल, सहज, और व्यवहारिक शब्दों के प्रयोग के साथ कार्यालयीन कार्य संपन्न कराएँ और राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग प्रदान करें।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार झा
मुख्य प्रबंधक

काशी

आर. के. गोस्वामी
क्षेत्रीय प्रबन्धक, कोलकाता

गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम्
गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम्
नारायणप्रियम् अनंग मदापहारम्
वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथम् ॥

उत्तरवाहिनी जाह्नवी के पश्चिम तट पर स्थित सनातन हिन्दू धर्म का केंद्र काशी, वाराणसी अथवा बनारस विश्व का सर्वाधिक प्राचीन जीवंत शहर है। इतिहासकार एवं पुरातत्वविदों के अध्ययन के अनुसार यह नगर लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है।

लेखक Mark Twain ने सन् 1897 में वाराणसी के विषय में लिखा:

"Benaras is older than history, older than tradition, older even than legend and looks twice as old as all of them put together."

भौगोलिक स्थिति की चर्चा की जाए, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के पाँच प्रमुख महानगरों में एक है। अन्य हैं – लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज एवं आगरा। यह नगर लखनऊ से 300 एवं प्रयागराज से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है।

नामकरण

ऋग्वेद में 'काशी' नाम का उल्लेख है। काशी संस्कृत शब्द 'कास' से लिया गया। 'कास' अर्थात प्रकाशमान होना, अर्थात वह नगर जो ज्ञान के प्रकाश से आलोकित है।

स्वतंत्रता पूर्व काल में यह बनारस स्टेट के नाम से जाना जाता था एवं तत्कालीन राजाओं का शासन था। सन 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात बनारस स्टेट का विलय भारतीय संघ में हो गया। इसी कारण अभी भी यह नगर ''बनारस'' नाम से भी जाना जाता है। इस नगर के 'वाराणसी' नामकरण का भी एक कारण है। यह नगर गंगा की दो सहायक नदियों ''वरुणा एवं असि'' के मध्य भाग में स्थित है। 'वरुणा' नदी शहर के उत्तरी एवं 'असि' नदी शहर के दक्षिणी भाग में है। दोनों नदियों के नाम के संधिकरण से 'वाराणसी' नामकरण हुआ।

पुराणों में इसका उल्लेख 'अविमुक्तम' (अर्थात वह क्षेत्र जिसका भगवान शिव कभी परित्याग न करें) एवं 'आनंदकानन' नाम से भी है।

इतिहास

हिन्दू धार्मिक एवं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वाराणसी नगरी की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की। माता पार्वती से विवाह

के उपरांत तीनों लोकों में यही स्थान उन्हें सर्वथा अनुकूल लगा। एक मान्यता के अनुसार यह नगरी शिव के त्रिशूल की नोक पर टिकी है।

प्राचीन काल से ही वाराणसी अध्यात्म, ज्ञान, शिक्षा, कला एवं संस्कृति का केंद्र रहा है। महाभारत काल में भी 'काशी' राज्य का उल्लेख मिलता है। हाल में एक पुरातात्विक सर्वेक्षण के दौरान कुछ अवशेष पाये गए हैं जिनका समय काल लगभग 1800 ई. पू. (BC) है। इस नगर की प्राचीनता का बोध इसी से हो सकता है।

लगभग छठी सदी में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 'धर्मचक्र प्रवर्तन' वाराणसी के निकट 'सारनाथ' नामक स्थान में ही दिया एवं बौद्ध धर्म की स्थापना की। सातवीं सदी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ की यात्रा की थी। आठवीं सदी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ शैव धर्म की स्थापना की एवं यह नगरी शैव धर्मावलम्बियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है।

मध्यकालीन इतिहास में भी यह नगर धार्मिक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। भक्ति आंदोलन की अवधि में महान समाज सुधारक संत कबीर एवं रविदास की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि काशी रही है।

18वीं सदी से स्वतन्त्रता प्राप्ति तक वाराणसी हिन्दू राजाओं के शासन के अधीन रहा। तत्कालीन बनारस स्टेट महाराजा बनारस के अधीन था जिन्हें प्रेम एवं श्रद्धावश लोग 'काशी नरेश' के नाम से संबोधित करते थे। यह संबोधन अब भी प्रचलित है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सन् 1947 में बनारस स्टेट का विलय भारतीय संघ में हो गया।

वर्तमान में भारतीय लोक सभा में वाराणसी के जन प्रतिनिधि प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं।

लगभग 14 लाख जनसंख्या का यह शहर लघु भारत के नाम से भी प्रसिद्ध है। लगभग 70% आबादी हिंदुओं की है जबकि इस्लाम धर्म प्रमुख अल्प संख्यक समुदाय है। इसके साथ ही सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं अन्य धर्म के अनुयायी भी यहाँ काफी संख्या में है। सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ भारत के विभिन्न प्रदेश, भाषा एवं बोली के लोग यहाँ निवास करते हैं। शहर का पूर्वी भाग जो गंगा किनारे बसा है उसमें बंगभाषी प्रचुर संख्या में हैं। जबकि दक्षिण पूर्वी भाग में दक्षिण भारतीय अर्थात तमिल, तेलगु, कन्नड़ एवं मलयाली भाषी निवास करते हैं। शहर के मध्य से लेकर उत्तरी भाग की ओर गुजराती एवं मराठी परिवार भी काफी संख्या में है। इसी तरह सिंधी एवं पंजाबी बंधुओं की भी काफी प्रभावशाली जनसंख्या है। इस तरह देखा जाए तो यह शहर भारत के विभिन्न प्रदेश, भाषा, बोली, धर्म, समुदाय एवं संस्कृति का सम्मेलन स्थल है।

अर्थव्यवस्था

यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः सिल्क एवं साड़ी के व्यापार पर आधारित है। बनारसी साड़ी विश्वभर में प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ का पीतल बर्तन उद्योग, हस्तकला एवं लकड़ी के खिलौने भी प्रसिद्ध हैं।

यहाँ का बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (बीएलडबल्यू) डीजल इंजनों का प्रमुख उत्पादक एवं निर्यातक है।

निर्विवाद रूप से वाराणसी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग पर्यटन व्यवसाय है। हिन्दू धर्म का प्रमुख केंद्र होने के कारण यहाँ लगभग पूरे वर्ष भर सभी प्रान्तों के पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है। काफी संख्या में विदेशी पर्यटक भी यहाँ के विशेष आकर्षण में बंधे चले आते है। शहर का होटल, ट्रांसपोर्ट एवं खान–पान व्यवसाय मुख्यतः पर्यटन आधारित है।

प्रमुख दर्शनीय स्थल

घाट

वाराणसी के दर्शनीय स्थानों में प्रमुख यहाँ के 84 गंगा घाट है। इन घाटों की श्रंखला उत्तर में राज घाट से प्रारम्भ होकर दक्षिण में रविदास घाट तक फैली है। ये घाट अधिकतर पक्के हैं एवं अर्धचंद्राकार में स्थित हैं जहां विश्वभर के पर्यटकों का आगमन होता हैं। घाटों में प्रमुख दशाश्वमेघ घाट, शीतला घाट, असि घाट, केदार घाट इत्यादि हैं। मणिकर्णिका एवं हरिश्चंद्र घाट दो प्रमुख श्मशान घाट हैं।

मंदिर

मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है। द्वादश (12) ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख इस मंदिर में भगवान शिव विश्वेश्वर नाम से अवस्थित हैं। हिंदुओं की आस्था के इस प्रमुख केंद्र का पुनर्निर्माण सन् 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने करवाया था। कालांतर में इस मंदिर के दो शिखरों को महाराजा रणजीत सिंह द्वारा स्वर्णजटित कराया गया। इसके पूर्व इस मंदिर को विदेशी आक्रांताओं ने कई बार ध्वस्त व नष्ट किया। अन्य प्रमुख मंदिरों में काल भैरव मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, दुर्गा मंदिर, तुलसी मानस मंदिर एवं श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर प्रसिद्ध है। एक मान्यता के अनुसार मंदिरों की इस नगरी में सभी अष्ट भैरव, 56 विनायक एवं 64 योगिनी के मंदिर उपलब्ध हैं। शहर के दक्षिणी भाग में हरिश्चंद्र घाट के निकट श्री कांची कामकोटिश्वर मंदिर है जो दक्षिण भारतीयों में प्रसिद्ध है। शहर से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर की ओर बौद्ध धर्मावलम्बियों की आस्था का केंद्र सारनाथ है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। यहाँ धमेख स्तूप, महाबोधि मंदिर, संग्राहालय इत्यादि दर्शनीय है। अन्य दर्शनीय स्थलों में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं बिरला मंदिर है।

सुबह–ए–बनारस

प्रातः काल गंगा तट पर सूर्योदय का दृश्य अप्रतिम है जिसे देखने देश–विदेश से पर्यटक आते हैं। इसी समय असि घाट पर प्रातः कालीन रागों पर आधारित शास्त्रीय संगीत का आयोजन होता है। शाम के समय सभी प्रमुख घाटों पर गंगा आरती का भव्य आयोजन होता है जिसकी भी एक अलग पहचान है।

प्रमुख उत्सव

बंगाल का प्रसिद्ध कहावत 'बारो मासे तेरो पार्वन', अर्थात बारह महीने में तेरह त्यौहार संभवतः काशी में ही शब्दशः सार्थक होता है। काशीवासी मूलतः उत्सव प्रेमी हैं एवं रथयात्रा से प्रारम्भ होकर होली तक समस्त त्यौहार अत्यंत उल्लास एवं उमंग से मनाते हैं।

यहाँ चार ऐसे अवसर है जो 'लकखा मेले' के नाम से जाने जाते हैं अर्थात जिनमें लाखों लोगों की भागीदारी होती है। यह हैं रामनगर की रामलीला, नाटी इमली का भरत मिलाप, चेतगंज की नक्करैया एवं रथयात्रा मेला। महाशिवरात्रि पर्व पर भी लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। रामनगर की रामलीला विश्वप्रसिद्ध है जिसके अंतर्गत अनंत चतुर्दशी तिथि से विजया दशमी तक रामायण के विभिन्न प्रसंगों का सजीव मंचन होता है।

बंगाल के बाहर सबसे अधिक बंगभाषी जनसंख्या वाराणसी में हैं। अतः यहाँ का दुर्गोत्सव भी इसी के अनुरूप पूरी बंगीय परम्पराओं का पालन करते हुये अत्यधिक उल्लास के साथ मनाया जाता है। बंगीय समाज के कई पूजा क्लब 50 से लेकर 100 वर्ष तक पुराने हैं। लगभग 300 से अधिक दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है एवं काशी में लघु बंगाल का रूप नजर आता है। शहर के चौक इलाके में प्रतिष्ठित मित्र बसु परिवार में स्थापित माँ दुर्गा की स्वर्ण प्रतिमा का पूजन भी शताधिक वर्ष पुराना है। इसे 'बंगाली ड्योढ़ी' की पूजा के नाम से जाना जाता है।

पिछले कुछ वर्षों से काशी के तीज त्यौहारों की सूची में नया संयोजन देव दीपावली नामक उत्सव का हुआ है। 'देव दीपावली' अर्थात देवताओं द्वारा मनायी जानेवाली दीपावली पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुर

नामक असुर का संहार किया। इस अवसर पर देवताओं ने दीपावली उत्सव मनाया। इसी को स्मरण करते हुये कार्तिक पूर्णिमा की शाम सूर्यास्त के तत्काल बाद काशी के समस्त घाट, देवालय, सरोवर, तालाब इत्यादि असंख्य दीपों की रोशनी में जगमगा उठते हैं। एक अनुमान के अनुसार गंगा के दोनों किनारों को मिलकर लगभग 12 लाख दीपक जलाए जाते हैं। यह दृश्य अद्भुत, अकल्पनीय एवं अविस्मरणीय होता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण मानचित्र में इस उत्सव का स्थान आजकल सबसे ऊपर है।

कला संस्कृति

काशी कि मन्यता देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी है। प्राचीन काल से ही काशी भारतीय शास्त्रीय संगीत आराधना का प्रमुख केंद्र रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी शास्त्रीय संगीत साधना की अटूट परम्परा अभी भी अबाध रूप से प्रवहमान है। महान संगीत साधक भारत रत्न पंडित रविशंकर, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पदम विभूषण गिरिजा देवी, पंडित किशन महाराज, पंडित राजन साजन मिश्र इसी धरती के गौरव हैं।

हिन्दी साहित्य के उज्ज्वल नक्षत्र जयशंकर प्रसाद, भारतेन्दु हरिश्चंद्र एवं मुंशी प्रेमचन्द यहीं के माटी से जुड़े हैं।

खान–पान

कहते हैं काशी में कोई भूखा नहीं सोता। बात सही भी है। जगज्जननी माँ जगदंबा यहाँ माता अन्नपूर्णेश्वरी के रूप में विराजमान हैं और स्वयं बाबा विश्वनाथ उनके सामने याचक मुद्रा में है।

यहाँ की खान पान व्यवस्था एक समय सारणी के हिसाब से चलती है। आम बनारसी के दिन की शुरुआत कचौड़ी–जलेबी के नाश्ते से होती है जिसका रसास्वादन स्वयं प्रधानमंत्री कई बार कर चुके हैं। सुबह से दोपहर के प्रारम्भ तक हर गली चौराहे पर सुनहरे रंग की कचौड़ी–सब्जी एवं गरमागरम केशरिया एवं लाल जलेबी का राज रहता है। दोपहर बाद सत्ता परिवर्तन एवं यही स्थान समोसे, चाट पकौड़ी एवं गोलगप्पे ले लेते हैं। सुबह के समय समोसे एवं दोपहर बाद कचौड़ी की मांग होने पर विक्रेता आपको अजीब नजरों से घूर सकता हैं। शाम का समय दूध, रबड़ी, मलाई एवं गर्मियों में लस्सी एवं ठंडाई के लिए आरक्षित है। बनारसी मिठाइयों के भी क्या कहने ! विभिन्न प्रदेश की मिठाइयाँ तो उपलब्ध है ही, बनारस की अपनी मिठाइयाँ लौंगलता, गुझिया, खीरकदम, बनारसी लड्डू एवं मलाई गिलौरी इत्यादि की एक अलग पहचान है।

अपवाद स्वरूप चाय और पान ऐसी चीज हैं जो चौबीसों घंटे उपलब्ध रहता है।

बहुभाषी, विविध संस्कृति एवं सर्व समावेशी प्रकृति होने के कारण यहाँ लगभग सभी प्रदेशों के व्यंजन सुलभ है। दक्षिण भारतीय डोसा, इडली, सांभरबड़ा के साथ ही पंजाबी छोला–भटूरा, गुजराती ढोकला, मराठी श्रीखंड एवं बंगाल का रसगुल्ला भी पूरी शान से अपना राज जमाया हुआ है।

बनारसी पान एवं पान खाने की आदत के बिना यह चर्चा अधूरी है। आम बनारसी के हर गतिविधि में पान वस्तुतः punctuation अर्थात अर्धविराम या पूर्ण विराम का काम करता है। किसी कार्य के शुभारम्भ पर 'आना पहिले एकखे पान जमावल जाय' या फिर इनटर्वल पर मध्यांतर के रूप में पान– 'रुका पनवा जमा लेई ' फिर आगे का काम या कार्यक्रम समाप्ति पर – 'पनवा जमा लेई तब चली'। कई बार ऐसा देखा गया है कि रेलगाड़ी अथवा विमान छूट जाये, लेकिन पान बंधवाना नहीं ! कहने वाले तो यहाँ तक कहते है कि पान घुलना समाप्त न होने तक बनारसी देवलोक का अमृत भी टाल सकता है।

काशी के विषय में कुछ विशेष जाने अनजाने तथ्य :

काशी के गौरवशाली एवं वैभवपूर्ण इतिहास में एक सुनहरा पन्ना 'श्री काशी विश्वनाथ धाम' के रूप में हाल ही में जुड़ा है। सैकड़ों वर्ष तक बाबा के भक्तों को संकरी एवं भीड़–भाड़ वाली गलियों से होकर तमाम कठिनाइयों का सहन करते हुये बाबा के दर्शन हेतु जाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त सैकड़ों ऐसे मंदिर जिनका पुराणों में भी उल्लेख है, आस–पास के भवनों में छिपे पड़े थे। सन् 2014 में काशी के सांसद एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इस ओर गया एवं उनके अथक प्रयास एवं संकल्प के फलस्वरूप बाबा का नवनिर्मित धाम आज सम्पूर्ण विश्व के सामने है। तीन वर्ष के रिकार्ड समय में लगभग 5,27,135 वर्गफीट में निर्मित इस धाम का निर्माण उत्तर भारतीय शैली में हुआ है। मध्य में दक्षिण भारतीय शैली में मंदिर चौक एवं चारों दिशाओं में चार विशाल द्वार हैं। धाम का पूर्वी द्वार गंगा की ओर है अर्थात वर्षों बाद एक बार पुनः गंगधार एवं बाबा दरबार एकाकार है, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। धाम निर्माण का कुल बजट 880 करोड़ रु. है एवं आस पास के समस्त भवनों को उचित मुआवजा के बाद अधिग्रहण किया गया है। भवनों के ध्वस्तीकरण के बाद मिले विग्रह पूरे विधि विधान के बाद धाम परिसर में निर्मित मंदिरों में स्थापित कर दिये गए है।

काशी विश्वनाथ धाम की सुंदरता एवं वैभव का वर्णन शब्दों में करना असम्मभव है। वस्तुतः यह धाम सभी आस्थावान शिवभक्तों के लिए अत्यधिक आनंदकारी है एवं विशेषतः काशीवासियों के लिए अपार गर्व का कारण है। असम्भव को सम्भव कर बना यह धाम अतुलनीय, अकल्पनीय एवं अविस्मरणीय है।

कविवर कुमार विश्वास लिखते हैं:–

" कंकड़ कंकड़ मेरा शंकर,
मैं लहर–लहर अविनाशी हूँ,
मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ। "

ये पंक्तियाँ वास्तविक होती हैं शहर के मध्य में स्थित जंगमवाड़ी मठ में जहां करोड़ों की संख्या में छोटे–बड़े शिवलिंग स्थापित हैं। इसका दर्शन सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन आम जनता को सुलभ होता है। कर्नाटक के शिवशैव समुदाय का यह प्रमुख मठ है। उक्त मठ से कुछ ही दूरी पर 'पुराना दुर्गाबाड़ी' नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है। इस दुर्गाबाड़ी में माँ दुर्गा पिछले 250 साल से विराजमान है। किंवदंतियों के अनुसार इस भवन के स्वामी मुखर्जी परिवार के सदस्यों ने अपने भवन में 250 साल पहले शारदीय दुर्गोत्सव का आयोजन किया। विजय दशमी की संध्या को जब माँ को विसर्जन हेतु अपने स्थान से उठाने का प्रयास किया गया, तो सारे प्रयास व्यर्थ हो गये एवं प्रतिमा अपने स्थान से हिली नहीं। उसी रात गृह स्वामी मुखर्जी महाशय को माँ ने स्वप्न में दर्शन दिया एवं बताया कि अब मैं यहीं निवास करुंगी। मुखर्जी महाशय द्वारा निवेदन करने पर कि 'माँ मैं गरीब ब्राहमहन (ब्राह्मण) हूँ, साल भर आपकी सेवा कैसे करू" अंततः माँ ने यह बताया कि मुझे सिर्फ गुड़चने का भोग लगाना। तभी से, मुखर्जी परिवार की वर्तमान पीढ़ी तक माँ वैसे ही विराजमान हैं। शारदीय नवरात्र में माँ का दर्शन जनता के लिए सुलभ होता है।

सम्पूर्ण भारत में अपने ढंग का अकेला 'भारत माता मंदिर' सिर्फ काशी में ही है। इस मंदिर में कोई मूर्ति स्थापित नहीं है, बल्कि अविभाजित भारत वर्ष का नक्शा संगमरमर पर उकेरा गया है। नदी, समुद्र , पर्वत इत्यादि 3डी पद्धति से दिखाई गई हैं। सभी राष्ट्रीय पर्वों पर यहाँ विशेष आयोजन होता है।

विश्वनाथ के आँगन से कुछ दूरी पर सम्पूर्ण काष्ठ निर्मित मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ भी विराजमान हैं। उक्त मंदिर कि आकृति नेपाल स्थित पशुपतेश्वर मंदिर जैसा ही है एवं इसका प्रबंधन एवं देख रेख नेपाल सरकार द्वारा ही किया जाता हैं।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काशी को बाबा अपनी त्रिशूल की नोक पर धारण किए हुये हैं। अतः लोकविश्वास के अनुसार यहाँ भूकंप का प्रभाव कभी अत्यधिक नहीं होता। भगवान शिव कि जटा से मुक्त होकर माँ गंगा अत्यधिक वेग से धरती की ओर चलीं। ऐसे में शंकर की अपनी नगरी को क्षति पहुँचने का भय हुआ। किंवदंती यह है कि ऐसे में महादेव ने अपने त्रिशूल को पृथ्वी पर पूरे वेग से जमा दिया जिसके टंकार से त्रिभुवन काँपने लगा। त्रिशूल से टकराकर जाह्नवी का वेग रुक गया और यहीं से वह उत्तर वाहिनी हो गई और महादेव का आनंदकानन अर्थात काशी का विनाश बच गया। शहर के दक्षिणी सीमा पर गंगा के किनारे भगवान का यह रूप स्वयंभू लिंग 'शूलटंकेश्वर' के नाम से विराजमान है।

और अब आधुनिक काशी

समय के साथ परिवर्तन अवश्यम्भावी है और इसी के प्रमाण स्वरूप यह पौराणिक नगरी भी अब 'स्मार्ट सिटी' के रूप में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वर्तमान में आकार ले रही विशाल परियोजनाएं अर्थात राजमार्ग, फ्लाईओवर, आधुनिक रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बिजली व्यवस्था, ट्रेफिक एवं सिग्नल व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, सड़कों का विस्तार एवं सुंदरीकरण इसी 'स्मार्ट सिटी' परियोजना का अंग है। तो ऐसी ही है काशी, परम्पराओं को सहेजते हुये और आधुनिकता को गले लगते हुये 'चिर नूतन सदा पुरातन' काशी। और अब काशी के लिए सबसे ताजा संयोजन जनपरिवहन के क्षेत्र में होने जा रहा है। विश्व का केवल तीसरा एवं भारत का पहला रोपवे जिसका प्रयोग काशी में सार्वजनिक जन परिवहन हेतु होगा, इस वर्ष प्रारम्भ होना है।

मोक्ष धाम काशी

'काश्याम मरणम् मुक्ति' अर्थात काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष प्राप्ति सुनिश्चित होती है, अर्थात प्राणी जन्म–जन्मांतर के आवागमन से मुक्त होता है, ऐसा कहा जाता है। परंतु यहाँ के लोग तो मृत्यु को भी उल्लास के अवसर के रूप में लेते हैं, जहां राग–विराग, आनंद और शोक सब एकाकार है। एक अवसर ऐसा आता है 'होली' उत्सव के पूर्व रंगभरी एकादशी पर जब बाबा के भक्त श्मशान के चिताभस्म से होली खेलते हैं। यह अवसर होता है महाश्मशान मणिकर्णिका स्थित बाबा श्मशान नाथ के वार्षिक शृंगारउत्सव का। पद्म विभूषण पंडित छन्नुलाल मिश्र द्वारा गाई गई सुप्रसिद्ध 'होली गीत' 'खेलै मसाने में होरी दिगंबर, खेलै मसाने में होरी' इसी प्रसंग पर आधारित है। पारम्परिक आस्था एवं विश्वास के अनुसार काशी में प्राण त्यागने वाले प्रत्येक जीव को महादेव स्वयं मणिकर्णिका महाश्मशान पर उनके कान में "तारक मंत्र " देकर उद्धार करते हैं। इस महाश्मशान पर 24 घंटे तक अनवरत जलती चिताएँ संभवतः इसी विश्वास का साक्षी है।

काशी की कथा अधूरी रह जाती है अगर काशी का दिव्य उद्‌घोष 'हर हर महादेव' की चर्चा न की जाए। काशी का यह परंपरागत उद्‌घोष स्वागत, अभिवादन, विदाई सभी अवसर पर समान रूप से प्रयुक्त होता है। और तो और किसी मंचासीन कलाकार को मंच से उतारना है या फिर उसकी प्रशंसा करनी है तब भी यही उद्‌घोष काम आता है। ऐसी ही है काशी की कथा। सबसे अलग, सबसे निराला अंदाज। भव्य काशी, दिब्य काशी और अब नब्य काशी।

महत्वपूर्ण बात यह है कि काशी का कलेवर भले ही धीरे–धीरे बदल रहा हो परंतु उसके संस्कार, उसकी आत्मा, यहाँ के लोग अभी भी वैसे ही हैं। धर्मपरायण सब कुछ बाबा पर छोड़ निश्चिंत, बिंदास, छोटे बड़े सभी को सम्मान के साथ मालिक, गुरु अथवा 'राजा' कहकर बुलाने वाले लोग।

एकबार की बात है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के एक भक्त ने उनको प्रस्ताव दिया कि उस्ताद, बनारस में क्या रखा है। आप लंदन आके बस जाइए। यहाँ सब इंतजाम हम कर देंगे। उस्ताद का कहना था–" वो सब तो ठीक है, ये बताओ लंदन में गंगा कहाँ से लाओगे?" काशी का चरित्र समझने के लिए संभवतः यह प्रसंग पर्याप्त है -

काशीः काशीः काशीः शिवः शिवः शिवः
शिव काशीः शिव काशीः शिव काशीः ॥
अर्थात काशी ही शिव एवं शिव ही काशी है।

ऐसे दिव्य धाम का अनुभव करने के लिए वहाँ एक बार पधारना परम आवश्यक है। किसी प्रसिद्ध शायर ने शब्दों से अगर सम्मान करें तो -

" तुमको हम दिल में बसा लेंगे, तुम आओ तो सही। "

पुनश्चः भोलेनाथ धाम की महिमा का बखान करना इन पंक्तियों के लेखक जैसे तुच्छ जीव के लिए संभव नहीं है। उन्ही की असीम अनुकंपा से यह लेखक का प्रथम प्रयास है। अतः काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ के चरणों में सादर समर्पण। लेखक अहिंदीभाषी है। अतः किसी प्रकार की भाषागत, व्याकरणगत, वाक्य संरचना या कोई तथ्यात्मक त्रुटि हो तो प्रथम प्रयास मानकर सुधी पाठक अवश्य क्षमा करेंगे, ऐसा विश्वास है।

श्री काशी विश्वनाथो विजयते:

अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता में हिंदी भाषी वर्ग से प्रथम स्थान पर चयनित निबंध

वित्तीय क्षेत्र के कार्यालयों में भारतीय भाषाओं का महत्व

भूमिका:-

भारतीय भाषाएँ:– भारत में ऐसी लगभग 121 भाषाएँ हैं जो 10,000 या उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं। संख्या में भारत में कुल 600 से भी अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं। सभी भारतीय भाषाओं की करीब 19,500 बोलियाँ और उपभाषाएँ हैं।

भारतीय गणराज्य में बोली जाने वाली भाषाएँ, विभिन्न परिवारों से संबंधित हैं जैसे – इण्डो आर्यन भाषाएँ, द्रविड़ भाषाएँ आदि। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कुछ मुख्य भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जो संख्या में 22 हैं। जैसे – हिंदी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगू,नेपाली, बांग्ला, बोड़ो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत एवम् सिंधी।

वित्तीय क्षेत्र:-

वित्तीय क्षेत्र में वह व्यवसाय और संस्थान शामिल हैं जो वाणिज्यिक और खुदरा उपभोक्ताओं दोनों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं। जैसे:– निवेश संस्थाएँ, बैंक, बीमा संस्थाएँ, रियल एस्टेट निगम इत्यादि । वित्तीय क्षेत्र किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है।

वित्तीय क्षेत्र की ताकत निर्धारित करती है– राष्ट्र की अर्थव्यवस्था। एक अच्छे वित्तीय क्षेत्र का अर्थ है– एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था।

अतः एक बेहतर व स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है– एक स्वस्थ वित्तीय क्षेत्र और एक स्वस्थ वित्तीय क्षेत्र का माध्यम है– साधारण माध्यम से, विभिन्न भाषाओं द्वारा, आम जन–मानस और वित्तीय संस्थानों के बीच आपसी समझ और सामंजस्य, जो संचार प्रणाली यानि हमारी भाषाओं पर निर्भर करता है।

मुख्य भाग:-

पहले ही दृष्टिकोण में, वित्तीय क्षेत्र के कार्यालयों में भाषा का महत्व अविश्वसनीय है। वित्तीय क्षेत्रों में कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच, भाषा ही संवाद का माध्यम बनती है। सही भाषा का उपयोग ही यही सुनिश्चित करता है कि हम अपने ग्राहकों को कितने उत्पाद, कैसे उत्पाद और उनके लिए आवश्यक व उचित उत्पाद मुहैया करा पाते हैं या नहीं.......

वित्तीय क्षेत्र में ग्राहकों की भाषा और संबंध भाषा स्पष्टता अद्यतन की एक प्रमुख मांग है।

यदि ग्राहक वित्तीय संस्थान की भाषा को समझने में असमर्थ होता है, तो परिणामस्वरूप विचारशीलता का अभाव और भ्रष्टाचार की संभावना अधिक होती है।

इसलिए भारतीय भाषाएँ वित्तीय क्षेत्र के लिए अनिवार्य हैं ताकि जन–मानस तक अपनी बात, अपना उत्पाद और संवाद सुगम, सहज और प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सके।

भारतीय भाषाओं का विकास यानि वित्तीय क्षेत्रों का विकास । भारतीय भाषाओं का उपयोग आर्थिक क्षेत्र की प्रगति और उसके विकास का निर्धारण करता है।

भारत विविधताओं का देश है, जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं। उचित स्थान और व्यक्ति के संदर्भ में, उचित भाषा का प्रयोग ही संवाद को स्वस्थ बनाता है। उचित भाषा के कार्यालयों में प्रयोग से ही स्थानीय बचत और ऋण संस्थानों की सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं।

भारतीय भाषाओं का व्यापार क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान होता है। कर्मचारियों के बीच संवाद स्थापित करने में भाषा का अहम योगदान होता है। वित्तीय व आर्थिक क्षेत्र में आपसी संवाद इतना महत्वपूर्ण है कि जिसके बिना हम अपनी संस्थान और उसके उत्पादों को सही समय व सही व्यक्ति तक नहीं पहुँचा सकते। क्योंकि यह सिर्फ स्पष्ट और सुनिश्चित भाषा के माध्यम से ही संभव है।

वित्तीय क्षेत्र के कार्यालयों में भारतीय भाषाओं के उपयोग के विभिन्न लाभ:-

1) सेवाओं का अधिक सुलभ प्रयोग:-

भारतीय भाषाओं का क्षेत्रीय कार्यलायों में अधिक उपयोग का अर्थ है – आम जनता को वित्तीय/बैंकिंग सेवाओं का और अधिक सुलभ प्रयोग। बहुत सारे लोग क्षेत्रीय भाषा से परे,

अन्य भाषाओं की समझ कम रखते हैं। इसी कारण वे अपने हित की उचित चीजों और उत्पादों को खरीदने में संकोच करते हैं, जो उसके आर्थिक विकास व साथ ही देश के सामाजिक विकास में रुकावट का काम करता है।

2) आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलना:-

अत्यधिक लोग अंग्रेजी भाषा को ठीक से नहीं जानते व न समझते हैं, इसलिए उन्हें उनकी मातृ– भाषा में उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, ताकि सभी लोग, उचित समय पर उचित सेवाओं का लाभ ले सकें। अतः वित्तीय संस्थानों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वे उत्पाद की मूलभूत जानकारी से लेकर अंतिम लाभ की विशेष व्यवस्था भारतीय भाषाओं में करें ताकि निवेश के क्षेत्र में लोगों की रूचि बढ़े और आर्थिक व्यवस्था व वृद्धि को बढ़ावा मिले।

3) आर्थिक क्षेत्र में सामरिक महत्व:-

भारतीय भाषाओं का वित्तीय कार्यालयों में प्रयोग, आर्थिक क्षेत्र में सामरिकता को बढ़ावा देता है। बढ़ते हुए वैश्वीकरण के कारण कोई भी देश एक– दूसरे से अछूता नहीं रह गया है। कोई भी देश अपने–आप में संपूर्ण आत्मनिर्भर नहीं है। विश्व भर में भारत के भी वित्तीय संबंध बढ़ रहे हैं और भारतीय वित्तीय संस्थान भी विदेशों में पूरी तरह सक्रिय हैं। अतः भारतीय वित्तीय कार्यालयों को आवश्यकता होती है – अपनी बात, दृढ़तापूर्वक देशहित में, विदेशी संस्थानों के समक्ष रखने की।

यदि हम अपनी भारतीय भाषाओं का उपयोग करेंगे तो हमें अधिक विदेशी संस्थानों के साथ सामरिक रूप से, गौरवमयी तरीके से, अपनी भाषा में, संवाद स्थापित करने में सुविधा होगी और हमारे वित्तीय क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि।

4) भारत के आर्थिक क्षेत्रों में नौकरियों को बढ़ावा मिलना:-

अनेक विदेशी वित्तीय संस्थानों और बैंकों के साथ भारतीय भाषाओं में कारोबार करने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण उन्हें विदेशों में व भारत में विदेशी कार्यालयों में भाषा का ज्ञान व समझ रखने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इससे भारतीय भाषाओं में अच्छी क्षमता रखने वाले लोगों के लिए, वित्तीय व बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी के अवसर बढ़ जाते हैं और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

5) कर्मचारियों व उपभोक्ताओं / ग्राहकों के बीच बढ़ता सामंजस्य:-

भारतीय भाषाओं का वित्तीय कार्यालयों में प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह आम जनता को सुलभ वित्तीय सुविधाओं के साथ –साथ, अपना पैसा और उससे जुड़ा अपना भविष्य भी सुरक्षित महसूस कराता है।

विश्वास – एक ऐसा शब्द जो किसी भी संस्थान (क्षेत्र आदि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक है। एक स्वस्थ संवाद ग्राहकों का कर्मचारियों, वित्तीय संस्थान और उनके द्वारा दिए गए उत्पाद पर, उसके विश्वास को बनाता है जिससे उसे सुरक्षित व लाभार्थी महसूस कराता है।

हम भारतीय भाषाओं, क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं, वित्तीय कार्यालयों में उनके प्रयोग को, उनके लाभ को कुछ शब्दों में नहीं पिरो सकते। भाषा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है।

इसलिए हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए और उसका उपयोग करते हुए आर्थिक विकास की दिशा में अग्रसर रहना चाहिए।

भारतीय भाषाओं के उपयोग व विकास में कमी के कारण:-

उपरिलिखित विभिन्न लाभों व उपयोग के बावजूद हम कई बार, इस विषय में कमियों को देखकर दंग रह जाते हैं। हमें उचित लाभों के साथ – साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में भारतीय भाषाओं के उपयोग से संबंधित कमियों को नजरअंदाज नहीं करके , उन पर शोध कर, आवश्यक उपाय ढूँढने चाहिए।

1) भाषाओं के विभिन्न रूपों व लिपियों की विविधता:-

भारतवर्ष में अनेक प्रकार की भाषाएँ बोली जाती है; जैसे– तमिल, हिंदी, गुजराती, उर्दू, पंजाबी आदि, जिनकी अलग – अलग लिपियाँ हैं। इस कारण, वित्तीय क्षेत्रों में अलग – अलग भाषाओं का उपयोग संदेह व समस्याएँ उत्पन्न करता है, जिससे संवाद में अस्पष्टता होती है।

2) तकनीकी व वित्तीय शब्दावली का अभाव:-

वित्तीय क्षेत्रों में अपनी विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। अतः विभिन्न भाषाओं में शब्दावली के अभाव के कारण भारतीय भाषाओं का प्रयोग करना कठिन हो जाता है।

3) विभिन्न भाषाओं की प्राथमिकता और उच्चतमता में अंतर:-

विभिन्न वित्तीय संस्थानों में, अंग्रेजी भाषा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, का प्रयोग होता है। अधिकांश महत्वपूर्ण जानकारियाँ, शब्दावली कागज–पत्रियाँ, निर्देशों का आदान–

प्रदान अंग्रेजी भाषा में ही होता है, जो कि वित्तीय क्षेत्र के कार्यों को सुगम बनाता है।

4) क्षेत्रीय भाषाओं की प्राथमिकता:-

भारत विविधताओं से परिपूर्ण राष्ट्र है। हर क्षेत्र विशेष के व्यक्ति को अपने क्षेत्र की हर वस्तु, स्थान, यहाँ तक की भाषा व सांस्कृतिक परिचालनों पर गर्व हैं। वो अपनी भाषा को बोलने में अति सक्षम भी है। पर जब वही व्यक्ति किसी दूसरे राज्य या क्षेत्र में जाता है तो नई भाषा को समझने, उसे ग्रहण करने और अपनी क्षेत्रीय भाषा को छोड़ना व ना बोलना, उसके लिए कठिन हो जाता है।

ऊपर लिखी गई विभिन्न कमियों को हम अच्छी तरह से समझते हैं, जिसके कारण हमें संवाद में विचारों की प्रतिक्रिया को संघटित और सहज बनाने में कठिनाई होती है।

हर कठिनाई और कमी का एक हल होता है। अतः हमें गलतियों और खामियों से सीखकर भाषायी महत्व को बढ़ाना है, ताकि हम सुचारू रूप से अपनी भारतीय भाषाओं को वित्तीय संस्थानों में प्रयोग कर सकें।

उपरिलिखित कमियों को दूर करने के उपाय:-

1) तकनीकी और प्रौद्योगिक सुधार:-

विभिन्न भाषाओं में अनुवादित सेवाओं का उपयोग कर, शब्दावली में सुधार कर, डिजिटल अंतरण को बढ़ावा देकर हम इन कमियों को दूर कर सकते हैं।

2) वित्तीय भाषा का ज्ञान और उसका प्रशिक्षण:-

वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत लोगों को, संबंधित क्षेत्र व उसमें उपयोग होने वाली भाषायी जानकारी का आवश्यक व उचित ज्ञान अर्जित करना चाहिए।

3) संगठनात्मक उपाय:-

भाषायी कमियों का हल निकालने के लिए आवश्यक है – संगठित होकर काम करना। अपने क्षेत्रीय भाषा की जानकारी साझा करना व एक– दूसरे की सहायता कर, एक इकाई के रूप में कार्य करना।

4) सामग्री का सुधार:-

विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त करना, मानव संसाधन में विकास करना, अपनी सामग्री को आधुनिक बनाना ये सब करके हम कमियों को दूर कर सकते हैं।

साथ ही भारतीय भाषाओं को उनके उच्चतम स्तर पर विकसित कर, वित्तीय कार्यालयों में प्रयोग करके, आर्थिक व वित्तीय समृद्धि को सुनिश्चित कर सकते हैं।

निष्कर्ष:-

उपर्युक्त तथ्यों व महत्वपूर्ण जानकारी के माध्यम से हम भारतीय भाषाओं, वित्तीय क्षेत्र व दोनों की एक–दूसरे को लेकर बनी संपूर्णता को अच्छी तरह समझ चुके हैं।

भारत देश, विविधताओं और संस्कृतियों का अद्वितीय संगमस्थल है। हम विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रीय उपभाषाओं, वित्तीय संस्थानों की आर्थिक विकास में भागीदारी के तहत एक लोकतांत्रिक देशतंत्र में एकीकृत हैं।

भारतीय भाषाएँ न केवल हमारी भाषाई और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि इनकी भूमिका आर्थिक क्षेत्र में भी अति महत्वपूर्ण है। बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ, औद्योगिक विकास और व्यापार क्षेत्र में भी भारतीय भाषाओं का महत्व अविराम है।

इस प्रकार भारतीय भाषाओं का उपयोग बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, औद्योगिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अति आवश्यक है। यह हमारी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखता है। हमें भारतीय भाषाओं के प्रति समर्पित रहने की आवश्यकता है और हमें भारतीय भाषाओं के उपयोग और आर्थिक व वित्तीय क्षेत्र को विकसित करने के लिए समर्पित कार्य करने चाहिए।

अतः हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक व वित्तीय क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को महत्वपूर्ण व सम्मानजनक स्थान मिले।

सरकारी और निजी वित्तीय क्षेत्रों को संवेदनशीलता और संवाद को बढ़ावा देने के लिए उचित नीतियों का गठन करते रहना चाहिए। भाषाओं के प्रशिक्षण और अधिकारियों की आपूर्ति के माध्यम से, हम भारतीय भाषाओं के माध्यम से आर्थिक सेक्टर में सुधार और प्रगति को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि –

भाषाओं में निवेश !
वित्तीय संस्थानों के लिए है, अति विशेष !!
भारतीय भाषाओं को अपनाना है!!
वित्तीय संस्थानों और राष्ट्र को आगे बढ़ाना है!

सुमेश कुमारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिरसा

समाज में स्वास्थ्य बीमा का महत्व

कुमारी शिखा रानी दास
सहायक प्रबंधक,
जगीरोड शाखा कार्यालय
मोरीगांव, असम

जीवन स्वास्थ्य के बिना जीवन नहीं है। स्वास्थ्य ही धन है जिसका अर्थ है कि स्वास्थ्य ही धन और समृद्धि है। हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बीमा आवश्यक है... जो लोग अपने जीवन और स्वास्थ्य से प्यार करते हैं, उन्हें बीमा द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

स्वास्थ्य बीमा, एक प्रकार का बीमा कवरेज जो आपको स्वास्थ्य और वित्तीय जोखिमों से बचाता है। पॉलिसी लेकर एक बीमाधारक अपने मेडिकल और सर्जिकल खर्चों के भुगतान का दावा कर सकता है। हर इंसान अपने जीवन में एक अच्छा और अच्छा स्वास्थ्य चाहता है। कोई भी बीमार या चोटिल होने की योजना नहीं बनाता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को अपने जीवन में चिकित्सा देखभाल की जरूरत होती है। स्वास्थ्य बीमा इन लागतों को कवर करता है और कई अन्य महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। स्वास्थ्य बीमा आपको अप्रत्याशित, उच्च चिकित्सा लागतों से बचाता है।

हमारे और हमारे परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदना महत्वपूर्ण है क्योंकि चिकित्सा देखभाल महंगी है, खासकर निजी क्षेत्र में। अस्पताल में भर्ती होना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है और हमारे वित्त को पटरी से उतार सकता है। अगर पैसे लाने वाला शख्स अब अस्पताल के बिस्तर पर है तो यह और भी मुश्किल हो जाएगा। केवल एक छोटे से वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके इन वित्तीय समस्याओं से बचा जा सकता है जो चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में हमारे तनाव को कम करेगा। एक अच्छी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी आमतौर पर डॉक्टर के परामर्श शुल्क, चिकित्सा परीक्षणों की लागत, एम्बुलेंस शुल्क, अस्पताल में भर्ती होने की लागत और यहां तक कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद की रिकवरी लागत के लिए किए गए खर्चों को एक निश्चित सीमा तक कवर करती है।

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी होने के लाभ

1. कैशलेस उपचार – कोई भी कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकता है क्योंकि बीमा कंपनी विभिन्न अस्पताल नेटवर्क के सहयोग से काम करेगी।
2. यह वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
3. अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद की लागत कवरेज – बीमा पॉलिसी खरीदी गई बीमा योजनाओं के आधार पर 60 दिनों की अवधि तक अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के शुल्कों को भी कवर करती है।
4. यह गंभीर बीमारी के लिए कवर प्रदान करता है।
5. यह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करता है।
6. परिवहन शुल्क – बीमा पॉलिसी में बीमित व्यक्ति के परिवहन के लिए एम्बुलेंस को भुगतान की गई राशि भी शामिल है।
7. कमरे का किराया– बीमा पॉलिसी में बीमित व्यक्ति द्वारा भुगतान किए जा रहे प्रीमियम के आधार पर कमरे के खर्च को भी कवर किया जाता है।
8. कर लाभ – स्वास्थ्य बीमा पर भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत कर कटौती योग्य है।

स्वास्थ्य बीमा में डे केयर प्रक्रियाएं, अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क पर इलाज यहां तक कि मानसिक बीमारी का इलाज भी शामिल है। हमें अपने वित्त पर दबाव डालने वाली चिकित्सा स्थिति के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसलिए, हमें पता चलता है कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी किसी भी चिकित्सीय आपात स्थिति में आर्थिक रूप से हमारी रक्षा करती हैं। न तो स्वास्थ्य खर्च से बच सकते हैं और न ही मृत्यु से। यह सुनिश्चित करता है कि लंबे समय तक इलाज कराने से परिवार गंभीर आर्थिक संकट में न पड़ जाए। इसलिए, स्वास्थ्य बीमा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि हम जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करने के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं और यही कारण है कि बीमा वित्तीय योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वास्थ्य बीमाकर्ता सीधे अस्पताल के बिलों का भुगतान करता है जिससे बीमाधारक के कंधों से बोझ हट जाता है।

अंत में, स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य सेवा का एक अनिवार्य पहलू है जो वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, निवारक और विशेष देखभाल तक पहुंच को बढ़ावा देता है, और व्यक्तियों, परिवारों और समाज के लिए स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करता है। इसलिए स्वास्थ्य बीमा बीमा समाज के प्रत्येक नागरिक को दिया जाना चाहिए।

मेरा जुनून

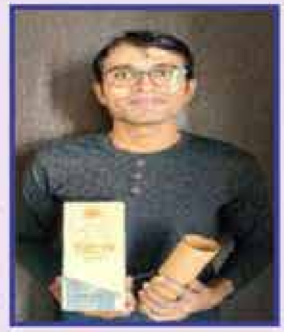

योगेश पटेल
(सहायक)
क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद

भारतीय वाइल्डोग्राफी से प्राप्त ट्रॉफी और प्रमाण पत्र के साथ

मैं अहमदाबाद से हूं। मैं बचपन के दौरान नलसरोवर पक्षी अभयारण्य (एक रामसर स्थल, आर्द्रभूमि स्थल जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है) के पास एक गाँव में रहता था। मेरा गाँव पानी की समुचित व्यवस्था और बिजली से वंचित था। इन संघर्षों के बाद भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ जिसने अपना बचपन एक जैव विविध स्थान पर बिताया है। एक किसान और ग्रामीण होने के कारण इस खूबसूरत ग्रह पर पनपने वाली कई प्रजातियों का सामना करना मेरे लिये एक रोजमर्रा की बात थी। पक्षियों ने मुझे बचपन से ही आकर्षित किया है।

पक्षी हमारी पारिस्थितिकी प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा हैं, वे दुनिया भर में फसल के परागण के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे अन्य कीड़ों की आबादी को नियंत्रित बनाए रखते हैं जो किसानों की मदद करते हैं और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। विश्व स्तर पर पक्षियों की लगभग 9,000 से 10,000 प्रजातियाँ हैं। भारतीय उपमहाद्वीप को लगभग 1400 प्रजातियों का वरदान प्राप्त है। गुजरात 500 से अधिक प्रजातियों का घर है। नलसरोवर पक्षी अभयारण्य स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लिए साल भर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, मैं उनके बहुत करीब रहा हूं। उनके रंग, पंख, बनावट और उनके व्यवहार से मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि यह प्रजाति कितनी सुंदर है, तब से मैं हमेशा उन्हें अपने आस पास देखने की कोशिश करता हूं, उनके बारे में वन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और अन्य साहित्यों में पढ़ता हूं। साथ ही, मैं अपने आस–पास विभिन्न सरीसृपों और स्तनधारियों को भी देखता था। अपने स्कूली दिनों के दौरान मैं नलसरोवर में वन विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाला एक सक्रिय छात्र था, जिसकी सराहना नलसरोवर में अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र के माध्यम से की गयी है। पक्षियों और वन्यजीवों के लिए मेरा जुनून उस समय पीछे छूट गया था जब मुझे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए अपना गांव छोड़ना पड़ा था। 10वीं, 12वीं और कॉलेज के दिनों को अकादमिक करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चरण माना जाता है इसलिए मैंने उस समय ज्यादातर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। मैं अकादमिक कैरियर के इस चरण के दौरान छात्रावास में रह रहा था।

जब मैं युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एक सहायक के रूप में चयनित हुआ, तो मुझे शुरुआत में जामनगर में नियुक्त किया गया था। मैंने अपने जुनून को बेहतर तरीके से पोषण और विकसित करने का फैसला किया। इसलिए मैंने Nikon (DSLR) कैमरा खरीदा, जो काफी बजट अनुकूल और नौसिखियों के लिए अच्छा है। हाल ही में मैंने अपने कैमरे को मिड–लेवल DSLR (Nikon D7500) में अपग्रेड किया है। इन नन्ही सुंदरता को दूर से छवि में उतारने के लिए मैं निकॉन 200–500 टेलीफोटो लेंस का उपयोग कर रहा हूं। मैं भारत के जंगलों में उगने वाले विभिन्न पक्षियों और वन्यजीव प्रजातियों को देखने और रिकॉर्ड करने के लिए भारत में विभिन्न स्थानों की यात्रा करता हूं। मैं बार–बार गुजरात के सातताल, कच्छ क्षेत्र, राजस्थान के स्थानों, सासन गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करता हूं। मैं मुख्य रूप से सप्ताहांत में इन जगहों पर जाता हूं इसलिए यह मेरे काम और पारिवारिक जीवन को प्रभावित नहीं करता है। पक्षियों और वन्यजीवों की फोटोग्राफी प्रकृति में बहुत चुनौतीपूर्ण है और इस तरह के साहसिक भ्रमण के लिए शारीरिक और मानसिक फिटनेस की आवश्यकता होती है। कुछ स्थान इतने दुर्गम हैं कि उनमें सेलुलर नेटवर्क भी नहीं है, ऐसे स्थानों पर जाते समय मुझे अपना भोजन और पानी स्वयं ले जाना पड़ता है। मुझे वन्यजीवों के साथ अवांछनीय संघर्ष को बचाने के लिए हर संभव सावधानी बरतनी पड़ती है। कभी–कभी चरम मौसम की स्थिति कठिन चुनौतियां पैदा करती हैं। लेकिन जब मुझे अच्छी छवियां मिलती हैं तो मुझे लगता है कि यह सब इसके लायक है।

वन्यजीव फोटोग्राफर के रूप में मैं हमेशा वन्यजीवन का प्रतिनिधित्व इस तरह से करने की कोशिश करता हूं कि यह दर्शकों में रुचि पैदा करे और लोगों का ध्यान आकर्षित करे। चूंकि कई प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं और वनों की कटाई, अनियोजित शहरीकरण, उद्योग की बढ़ती वृद्धि के कारण यहां स्वाभाविक रूप से बढ़ने में मुश्किल हो रही है। यह हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम उनके बढ़ने और समृद्ध होने के लायक वातावरण तैयार करें। यह मेरे दीर्घकालिक जीवन लक्ष्यों में से एक है कि मैं संरक्षण की दिशा में काम करूं और एक बेहतर पारिस्थितिकी प्रणाली का निर्माण करूं जहां पृथ्वी पर हर प्रजाति विकसित हो सके और सह–अस्तित्व का एक अच्छा उदाहरण तैयार कर सके।

चित्तीदार उल्लू: उल्लू और उल्लू ने कई आध्यात्मिक मिथकों में अपना स्थान पाया है। वे देवी लक्ष्मी के वाहन हैं। इतना ही नहीं,उन्हें ज्ञान का पक्षी माना जाता है।

एशियाई शेर (मादा) – इसे सासन गिर में सुबह–सुबह क्लिक किया गया था। वह हमारी उपस्थिति से निडर और सहज थी।

ब्लैक बिटर्न: बिटर्न सबसे मायावी पक्षी प्रजातियों में से एक है। भारतीय उपमहाद्वीप में इस स्कुलकर की कुल 5 प्रजातियाँ हैं। वे मुख्य रूप से गुजरात के लिए मानसून आगंतुक हैं।

पीला बिटर्न: भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली एक और कड़वा प्रजाति, शर्मीले हैं और उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। वे मुख्य रूप से शाम और भोर के दौरान सक्रिय होते हैं। मछली उनके पसंदीदा भोजन में से एक है।

सारस क्रेन यूनिसन कॉलरू सारस क्रेन को प्यार का प्रतीक माना जाता है क्योंकि वे जीवन भर जोड़ी बनाते हैं। इस छवि में वे अपनी एकजुटता का जश्न मना रहे हैं। इस छवि का उपयोग पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के तहत पर्यावरण उत्कृष्टता केंद्र, अहमदाबाद द्वारा शिक्षा के उद्देश्य से भी किया जाता है।

नामाक्वा कबूतर (मादा): नामाक्वा कबूतर मुख्य रूप से अफ्रीकी क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन वे विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। यहा संलग्न छवि को कोविद के समय में क्लिक किया गया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप में इस पक्षी का पहला रिकॉर्ड था, जिसे नालसरोवर पक्षी अभयारण्य में क्लिक किया गया था।

14 सितंबर 2023 - हिंदी दिवस का शुभारंभ

14 सितंबर 2023 को हिंदी दिवस के उपलक्ष में कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय में हिंदी दिवस का शुभारंभ किया गया। अध्यक्ष महोदय ने हिंदी दिवस –2023 एवं हिंदी पखवाडा का उद्घाटन करते हुए अपना संदेश प्रसारित किया। भाषाओं की महत्वता पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने सभी भारतीय भाषाओं की समृद्धता की सराहना की एवं सभी युनाइटेड इंडियंस से सर्वोत्कृष्ट योगदान देने की अपील की।

प्रधान कार्यालय से निदेशक एवं महाप्रबंधक सहित समस्त महाप्रबंधक तथा बीमांकक ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर वर्ष 2022–23 के लिए हिंदी में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए अध्यक्ष ट्राफी विजेताओं की घोषणा की गई।

बीमा संबंधी नए शब्द

01	Retail Health Product	खुदरा स्वास्थ्य उत्पाद
02	Micro Office In-Charge	सूक्ष्म कार्यालय प्रभारी
03	Pre Hospitalization	अस्पताल में भर्ती से पूर्व
04	Post Hospitalization	अस्पताल से मुक्ति के पश्चात
05	Non-Medical Expenses	गैर चिकित्सकीय व्यय
06	Home Care Treatment	घरेलू उपचार
07	Personal Protective Equipment	व्यक्तिगत संरक्षात्मक उपकरण
08	Institutional Quarantine	संस्थागत संगरोध
09	Home Quarantine	घर में संगरोध
10	Continuous Coverage	अविरत आवरण
11	Anyone Illness	कोई एक बीमारी
12	Cashless Facility	नगदी रहित सुविधा
13	Co-Payments	सहभुगतान
14	Grace Period	रियायत अवधि
15	Network Providers	नेटवर्क प्रदाता
16	Reasonable and Customary Charges	उचित और प्रथागत शुल्क
17	Waiting Period	प्रतीक्षा अवधि
18	Optional Covers	वैकल्पिक आवरण
19	Standard Permanent Exclusions	मानक स्थाई अपवर्जन
20	Unproven Treatment	अप्रमाणित उपचार
21	Portability	सुवाह्यता
22	Moratorium Period	अधिस्थगन अवधि
23	Family Discount	पारिवारिक छूट
24	Potential Threats	संभावित खतरे
25	Fraud Risk Management	धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन
26	Business Continuity	व्यवसाय निरंतरता योजना
27	Pre Authorization	पूर्व प्राधिकृति
28	Electric Vehicle	विद्युत वाहन
29	Free look period	विमुक्त अभिमुख अवधि
30	Daily Cash Allowance	दैनिक नगद भत्ता
31	Base Cover	मूल आवरण
32	Optional Cover	वैकल्पिक आवरण
33	Surgical Appliances	शल्यक उपकरण
34	Mental Illness Cover	मानसिक अस्वस्थता आवरण
35	Consultation Charges	परामर्श शुल्क
36	Diagnostic Centre	निदान केंद्र
37	Advance Diagnostic Treatment	उन्नत नैदानिक उपचार
38	Excluded Providers	अपवर्जित प्रदाताओं
39	Unproven Treatments	अप्रमाणित उपचार
40	Migration of Policy	पॉलिसी का प्रवासन

राजभाषा विभाग की ओर से

बीमा पॉलिसी-नियम और शर्तों की व्याख्या: दावों के त्वरित निपटान के लिए आवश्यक जानकारी

"प्रत्येक अनुबंध पर उसके उद्देश्य और उसकी संपूर्ण शर्तों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए और तदनुसार पार्टियों के इरादे को इकट्ठा करने के प्रयास में पूरे संदर्भ पर विचार किया जाना चाहिए, भले ही जांच का तत्काल उद्देश्य एक अलग खंड का अर्थ हो।"— सर्वोच्च न्यायालय, भारत। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना और अन्य बनाम मेसर्स ग्रीन रबर इंडस्ट्रीज और अन्य (1990) 1SCC731A

भारत में वाणिज्यिक अनुबंधों सहित सभी संविदात्मक व्यवस्थाएँ भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 द्वारा शासित होती हैं। वाणिज्यिक जगत में अनुबंधों का निर्माण और व्याख्या निर्माण और व्याख्या के स्वीकृत सिद्धांतों के साथ की जाती है। बीमा अनुबंध भी अपवाद नहीं हैं। किसी भी अन्य अनुबंध की तरह एक बीमा पॉलिसी भी कानूनी विवाद का विषय बन सकती है। यह आलेख बीमा पॉलिसियों जैसे अनुबंधों की व्याख्या पर केंद्रित है और यह पॉलिसियों को समझने और दावों और विवादों के निपटान में तेजी लाने में आपकी मदद कर सकता है।

आमतौर पर, अनुबंध के पक्षों के इरादे को निर्धारित करने के संदर्भ में एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण लागू किया जाता है। इसका मतलब है, विश्लेषण एक उचित काल्पनिक व्यक्ति द्वारा अनुबंध की समझ पर आधारित है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शब्दों को उनके प्राकृतिक और सामान्य अर्थ में लिया जाता है, अनुबंध और खंडों के समग्र उद्देश्य पर विचार किया जाता है और जहां शब्द अस्पष्ट होते हैं, वहां व्याख्या के व्यावसायिक सामान्य ज्ञान को लागू किया जाता है। दूसरी ओर, अनुबंधों में शर्तों को लागू करने का परीक्षण केस कानूनों के लंबे इतिहास के साथ विकसित किया गया है जो यह स्थापित करता है कि कि कोई भी निहित शर्त उचित और न्यायसंगत होनी चाहिए, अनुबंध को व्यावसायिक दक्षता देने के लिए आवश्यक होनी चाहिए, स्पष्ट अभिव्यक्ति में सक्षम होनी चाहिए और अनुबंध की किसी भी स्पष्ट शर्त का खंडन नहीं करना चाहिए।

बीमा अनुबंधों का गठन भी प्रस्ताव और स्वीकृति, प्रीमियम सहित सभी भौतिक शर्तों पर समझौते, कवर किए जाने वाले जोखिम की प्रकृति और अवधि और दायित्व की सीमा जैसे अनुबंधों के कानून द्वारा नियंत्रित होता है। इसलिए, जबकि एक बीमा पॉलिसी उन शर्तों को निर्धारित करती है जो बीमा अनुबंध के पक्षों के बीच संबंधों को नियंत्रित कर सकती हैं, यह वह अनुबंध है जो कानूनी परिणामों को जन्म देता है और पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए व्याख्या का विषय होना चाहिए।

बीमा अनुबंध अक्सर जटिल दस्तावेज होते हैं और इसमें कई भाग शामिल हो सकते हैं। कभी–कभी, पॉलिसी के एक भाग में कोई प्रावधान अन्यत्र प्रयुक्त समान शब्द के साथ विरोधाभासी प्रतीत हो सकता है। जहां भी ऐसा प्रतीत होता है, अदालतें हमेशा एक सुसंगत व्याख्या खोजने का प्रयास करती हैं। हालाँकि, यदि यह संभव नहीं है, तो मानक शर्तों के बजाय उन शर्तों पर अधिक जोर दिया जाता है जिन पर विशेष रूप से बातचीत की गई है और व्यापक खंड की तुलना में अधिक सटीक प्रावधान को अधिक महत्व दिया जाता है।

अनुबंधों में शर्तों को लागू करने का परीक्षण केस कानूनों के एक लंबे इतिहास में विकसित किया गया है जो यह स्थापित करता है कि कोई भी प्रस्तावित निहित शब्द उचित और न्यायसंगत होना चाहिएय स्पष्ट अभिव्यक्ति में सक्षम होना चाहिए और अनुबंध की किसी भी स्पष्ट शर्त का खंडन नहीं करना चाहिए। हालाँकि यह देखा गया है कि दुनिया भर में बीमा पॉलिसियों की व्याख्या के विभिन्न नियमों का पालन किया जाता है।

1. शाब्दिक व्याख्या का नियम:

बीमा पॉलिसी पार्टियों के बीच एक अनुबंध का प्रतिनिधित्व करती है। चूंकि बीमाकर्ता बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किए गए जोखिमों के कारण बीमाधारक को हुए नुकसान की भरपाई करने का वचन देता है, इसलिए बीमाकर्ता की देनदारी की सीमा निर्धारित करने के लिए समझौते की शर्तों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। बीमाधारक बीमा पॉलिसी द्वारा कवर की गई राशि से अधिक कुछ भी दावा नहीं कर सकता है। ऐसा होने पर, बीमाधारक को उसमें स्पष्ट रूप से निर्धारित पॉलिसी की वैधानिक सीमाओं या शर्तों के अनुसार सख्ती से कार्य करना होगा। बीमाधारक बीमा पॉलिसी द्वारा कवर की गई राशि से अधिक कुछ भी दावा नहीं कर सकता है।

बीमा पॉलिसियों को आम तौर पर वाणिज्यिक और उपभोक्ता अनुबंधों पर लागू होने वाले निर्माण के सिद्धांतों के अनुसार समझा जाना चाहिए। इसलिए पूरे दस्तावेज से सुनिश्चित करने योग्य पार्टियों के स्पष्ट और स्पष्ट इरादे को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक खंड को एक उचित निर्माण दिया जाना चाहिए। बीमाकर्ता का दायित्व बीमा पॉलिसी द्वारा कवर की गई राशि से अधिक नहीं हो सकता। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या दावा पॉलिसी द्वारा निर्दिष्ट सीमा के भीतर आता है, यह परिभाषित करना आवश्यक है कि पॉलिसी में क्या कवर किया गया है और पॉलिसी की समाप्ति से पहले किसी बताई गई घटना या दुर्घटना की पहचान करना आवश्यक है।

बीमा अनुबंध से संबंधित दस्तावेजों की व्याख्या करने में, न्यायालय का कर्तव्य उन शब्दों की व्याख्या करना है जिनमें अनुबंध पक्षों द्वारा व्यक्त किया गया है, क्योंकि नया अनुबंध बनाना न्यायालय का काम नहीं है, चाहे वह कितना भी उचित क्यों न हो, यदि पार्टियों ने इसे स्वयं नहीं बनाया है – जनरल एश्योरेंस सोसाइटी बनाम चांदमुल जैन एयर 1966 एससी 1644 (1966) 3 एससीआर 500 (संविधान पीठ) – सूरज मल राम निवास ऑयल मिल्स बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2010) 10 एससीसी 567 में अनुमोदन के साथ उद्धृत।

2. उचित अपेक्षा या उदार व्याख्या का नियम: "उचित अपेक्षाएँ" यकीनन सबसे अधिक बीमाकृत–सुरक्षात्मक नियम है, जो भ्रामक पॉलिसी भाषा के कारण उत्पन्न हुआ है। बीमा पॉलिसियों की व्याख्या करते समय, कोई बीमाधारक को कवरेज तब बढ़ा सकता है जब पॉलिसी भाषा इसे स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं करती है। दूसरी ओर, अद्वितीय प्रकृति की बीमा पॉलिसियाँ, जिनमें भ्रामक या गलत व्याख्या की महत्वपूर्ण संभावनाएँ शामिल हैं, ऐसी पॉलिसियाँ गहन जांच के अधीन हैं, जिसमें उचित अपेक्षाओं का सिद्धांत भी शामिल है, जो बीमाकर्ताओं को बीमाधारक को कवरेज–सीमित प्रावधानों को स्पष्ट रूप से और पर्याप्त रूप से बताने के लिए बाध्य करता है।

यदि "एक सामान्य, वस्तुनिष्ठ रूप से उचित व्यक्ति"पॉलिसी की भाषा से यह समझने में विफल रहता है कि कोई विशेष जोखिम कवर किया गया है या नहीं, तो बीमाधारक की उचित अपेक्षाएं बहिष्करणीय पॉलिसी भाषा को अमान्य ठहरा सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में, भले ही पॉलिसी "तकनीकी अर्थों में अस्पष्ट" न हो, यह माना जा सकता है कि कवरेज की सीमाएं "सामान्य पाठक" के दृष्टिकोण से अस्पष्ट हैं और इसलिए बहिष्करण संबंधी प्रावधान अप्रवर्तनीय हैं। उचित अपेक्षाओं के सिद्धांत को लागू करने वाले उपभोक्ता आयोगों सहित न्यायालयों ने माना कि बीमा पॉलिसियाँ आम तौर पर सच्ची सौदेबाजी प्रक्रिया का परिणाम नहीं होती हैं, अक्सर इसे ले लो या छोड़ दो के आधार पर लगाई जाती हैं, और अक्सर बीमाधारकों द्वारा इसे नहीं पढ़ा जाता है।

विक्रम ग्रीनटेक इंडिया लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2009) 5 एससीसी 599 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि उचित अपेक्षाओं का सिद्धांत अस्पष्टताओं को हल करने के लिए एक व्याख्यात्मक उपकरण से कहीं अधिक हैय इसका उपयोग यह स्थापित करने में सहायता के लिए किया जा सकता है कि क्या अस्पष्टताएं मौजूद हैं। दोनों ही मामलों में, अदालतें कानून के सवालों को हल करने के लिए सिद्धांत को लागू करती दिखाई देती हैं। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अनुबंध के दस्तावेज की व्याख्या करे जैसा कि पक्षों के बीच समझा गया था।

3. कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटेम का नियम:

सामान्य कानून नियम "वर्बा चार्टारम फोर्टियस एकिसिपियंटूर कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटेम" का अर्थ है कि पॉलिसी के शब्दों में अस्पष्टता को उस पक्ष के खिलाफ हल किया जाना है जिसने इसे तैयार किया है। उचित अपेक्षाओं के नियम के समान, लेकिन अनुप्रयोग में अधिक संकीर्ण, जो यह प्रदान करता है कि बीमा पॉलिसियों को बीमाकर्ता के विरुद्ध इस धारणा के आधार पर माना जाना चाहिए कि अनुबंध बीमाकर्ता द्वारा तैयार किया गया था। अक्सर अस्पष्टता के कारण, सिद्धांत को बीमा अनुबंधों को मसौदा तैयार करने वाले के विरुद्ध और बीमाधारक के लिए कवरेज के पक्ष में लागू करने के लिए लागू किया जाता है। नियम के पीछे तर्क यह है कि पॉलिसी की भाषा बीमाकर्ता द्वारा तैयार की गई थी, जो अनुबंध की स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। "यदि बीमा की पॉलिसी में कोई अस्पष्टता है, तो अस्पष्ट प्रावधान को बीमाकर्ता के विरुद्ध माना जाता है क्योंकि यह वह पक्ष है जिसने पॉलिसी लिखा है।"

बीमा अनुबंध में अस्पष्टता के मामले में, अस्पष्टता का समाधान दावेदार के पक्ष में और बीमा कंपनी के विरुद्ध किया जाना चाहिए – न्यू इंडिया एश्योरेंस बनाम जेडयूएआरआई इंडस्ट्रीज (2009) 9 एससीसी 70। जनरल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड बनाम चंदूमुल जय, (1966) 3 एससीआर 500; युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम एमध्एस ओरिएंट ट्रेजर्स प्राइवेट लिमिटेड, (2016) 3 एससीसी 49; और सुशीलाबेन इंद्रवदन गांधी और अन्य बनाम द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओआरएस, 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 367 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर दोहराया है कि किसी बीमा पॉलिसी की व्याख्या से संबंधित किसी भी अस्पष्टता या संदेह के मामले में, इसे कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेरेंट माना जाना चाहिए, यानी बीमाकर्ता के खिलाफ।

इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, यह देखा गया है कि अस्पष्टता के अभाव में, कोई पार्टी पॉलिसी के खंडों की व्याख्या के लिए कॉन्ट्रा प्रो–फेरेंटेम के नियम में रेखांकित सिद्धांत को लागू करने की हकदार नहीं है। पॉलिसी की भाषा में अस्पष्टता की उपस्थिति, कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम नियम के आह्वान के लिए अनिवार्य शर्त है।

4. बहिष्करण का संकीर्ण अर्थ लगाया गया:

व्याख्या करते समय, पॉलिसी बहिष्करण को आमतौर पर कवरेज के पक्ष में संकीर्ण रूप से माना जाता है, इस धारणा के आधार पर कि बीमाकर्ता ने कवरेज को सीमित करने के लिए उपयोग की जाने वाली शर्तों का चयन किया है। बीमा पॉलिसियों की व्याख्या करते समय, कंपनी द्वारा उपक्रमों से बहिष्करण और अपवादों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, और इसे कवरेज प्रदान करने के लिए सख्ती से समझा जाना चाहिए जो अन्यथा पॉलिसी द्वारा वहन किया जाएगा। अदालतों द्वारा यह माना

जाता है कि जहां मानकीकृत अनुबंध हैं और बीमाधारक और बीमाकर्ता असमान सौदेबाजी की स्थिति में हैं, कोई भी अपवाद, सीमाएँ, या बहिष्करण जो जारी की गई मूल पॉलिसी से भिन्न हो सकते हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से बीमाधारक के ध्यान में लाया जाना चाहिए। विशेषकर जहां कवरेज में कमी हो, वहां नोटिस विशिष्ट होना चाहिए।

निष्कर्ष:

1. एक बीमा पॉलिसी एक अनुबंध है, और अनुबंध की व्याख्या का प्राथमिक लक्ष्य पार्टियों के इरादे को प्रभावी बनाना है। यदि विचाराधीन पॉलिसी प्रावधान स्पष्ट है, तो बीमा पॉलिसी के सामान्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पार्टियों के इरादे को स्पष्ट और सामान्य अर्थ में प्रभावी किया जाना चाहिए।
2. यदि पॉलिसी की शब्दावली स्पष्ट है और पार्टियों के इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, तो बीमा अनुबंध को लिखित रूप में लागू किया जाना चाहिए।
3. बीमा पॉलिसी में अस्पष्टता को पॉलिसी को समग्र रूप से समझकर हल किया जाना चाहिएय अन्य पॉलिसी प्रावधानों की उपेक्षा की कीमत पर एक पॉलिसी प्रावधान को अलग से नहीं समझा जाना चाहिए। अनुबंध के शब्दों को उनका आम तौर पर प्रचलित अर्थ दिया जाना चाहिए। जब अनुबंध में कोई तकनीकी मामला शामिल हो तो कला के शब्दों और तकनीकी शब्दों को उनका तकनीकी अर्थ दिया जाना चाहिए।
4. बीमा के अनुबंध की व्याख्या उचित व्यावसायिक परिणाम को बढ़ावा देने के लिए की जानी चाहिए।
5. किसी बीमा पॉलिसी की व्याख्या अनुचित या तनावपूर्ण तरीके से नहीं की जानी चाहिए ताकि उसके प्रावधानों को उसकी शर्तों से परे बढ़ाया या प्रतिबंधित किया जा सके या एक बेतुका निष्कर्ष प्राप्त किया जा सके।
6. जहां शब्द दो या दो से अधिक अर्थ देने में सक्षम हों, वहां उस अर्थ का चयन करना चाहिए जो पक्षों की मंशा को बढ़ावा देने में अधिक उचित हो।
7. कवरेज प्रावधानों को व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए, जबकि बहिष्करण खंडों को संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए।
8. किसी खंड को दिए गए प्रभाव से बचा जाना चाहिए, यदि ऐसा करने से पॉलिसी द्वारा प्रदान किया गया कवरेज समाप्त हो जाएगा।

निष्कर्ष के तौर पर, यह बीमाकर्ताओं के अत्यंत हित में है कि वे उचित तरीके से अपनी पॉलिसीयों का निर्माण और व्याख्या करें, जिसे बीमाकर्ता और बीमाधारक के बीच हितों के टकराव से बचने के लिए एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति द्वारा समझा जा सके। दावों का निपटान करते समय, यदि हम निर्णय लेते समय पॉलिसीयों के अधिकांश प्रावधानों को न्यायालयों या आयोगों द्वारा व्याख्या किए जाने पर छोड़ देते हैं, तो इससे न केवल संगठन को भारी नुकसान होगा, बल्कि ग्राहकों का विश्वास भी खो जाएगा।

राकेश कुमार

प्रबंधक, दावा हब, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय–1

बढ़ते कदमों को रोको नहीं

मेरे बढ़ते कदमों को, मेरी यादों आके रोको नहीं
भूल बढ़ना चाहती हूं आगे, मुझे तुम टोको नहीं।

अब मैं खुलके जब–जब खिलखिला के हंसती हूं
मेरी खिलखिलाहट को, दर्द ए यादों में झोंको नहीं।

पीछे मुड़ के फिर से कुछ अब मैं देखना नहीं चाहती
सुनों हवा के झोके सहला जुल्फेंक मेरी मुझे रोको नहीं।

बताओ क्योंक मेरे आगे बढ़ने पर तुम मुझे रोकती हो
ना हक है मुझ पर मेरी यादों तेरा, तुम यूं कोसो नहीं।
मेरे मजबूत इरादों को तुम ना सुनो तोड पाओगी
लक्ष्यज ठान चली मैं, पीछे मुड़ने को मुझे कह टोको नहीं।

वीणा साधारण थी, साधारण सी बन बजना चाहती
सुरमई शाम सी वीणा बजना चाहे, यादों तुम रोको नहीं।

राजभाषा विभाग की ओर से

स्वर्गलोक का बीमा

मुझे नींद में स्वप्न बहुत आते हैं, और बहुत सारे तो मुझे स्मरण भी रहते हैं। 'उस दिन रविवार की अलसाती सी सुबह थी'। चाय की चुस्कियां लेते हुए मुझे अकस्मात् ही स्वप्न का स्मरण हो आया, मुझे विस्मृत हुआ क्षण याद आ गया कि जब मेरी आँख खुली थी तो मैं हँसा था और मैंने सोचा भी था की ये कैसा स्वप्न था। दिवा स्वप्न पर तो हम नियंत्रण रख सकते हैं लेकिन रात्रि स्वप्न पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। मैंने सोचा कि इसे लिखूं, थोड़ा अपनी तरह से और हास्य परिहास के लिए इसे सब से साँझा करूँ। मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करना बिलकुल भी नहीं है। लेख के सभी पत्र एवं घटनाएं स्वप्निल हैं या काल्पनिक हैं, अतएव कृपा करके इसे हास्य व्यंग्य ही समझा जाये।

सपने में मैं कर्यालय से घर लौट रहा था कि सहसा सामने से आ रही गाडी से मेरी गाडी की टक्कर हो गयी। मैं थोड़ा अचेत सा हुआ और वहां बिजली की से तेजी से देव वेश भूषा में दो देव पुरुष प्रकट हो गए। उनमे से एक ने मुझ से मुखातिब होकर कहा, " चलो! तुम्हारा समय यहाँ मृत्युलोक में पूरा हो गया है। तुम्हे अभी इसी समय हमारे साथ चलना होगा, यमराज का बुलावा है। " एक पल को लगा कि धरातल को छोड़ मेरे प्राण, किसी पखेरू की तरह उड़ चले हैं। मैंने उन्हें अपने परिवार का वास्ता दिया, अनेकों मिन्नतें की, गुहार लगायी कि शायद वो तरस खाकर मुझे छोड़ दें। कुछ न बन पड़ा तो मैंने अपना आखिरी वाक्यास्त्र छोड़ा कि मार्च का महीना चल रहा है और मुझे कार्यालय में बहुत से काम करने हैं। आप मुझे मार्च के बाद जब चाहें स्वेच्छा से ले जाएँ, सोच रहा था कि इस घडी से तो किसी तरह निपट लूँ बाद में जो होगा देखा जायेगा। इस पर एक देव पुरुष कुटिल मुस्कान के साथ बोला, " तुम क्या समझते हो, तुम्हे ही बहुत से कार्य करने हैं ? हम पर भी काम का बहुत दबाव है। हमारे अपने कार्य भी लक्षित हैं। हमें भी टारगेट मिलते हैं और तुम उस टारगेट कि बस एक गिनती मात्र हो। इतना समय नहीं है हमारे पास, यमलोक में भी अकाउंट क्लोजिंग चल रही है चुपचाप हमारे साथ चलो तुम्हारी खाता प्रविष्टि की जा चुकी है और तुम्हारा नाम रोजनामचा में दर्ज हो चूका है अब कुछ नहीं हो सकता और कोई प्रलोभन देने का प्रयास भी मत करना यमलोक में रिश्वत नहीं चलती। " यकीन मानिये मेरी धड़कने इतनी तेज थी कि उनके साथ आप नाच सकते थे और देव पुरुष की कुटिल मुस्कान मुझे अस्सी के दशक के किसी फिल्मी विलेन कि याद दिला रही थी।

अस्तु ! मुझे यमराज के दरबार में ले जाया गया, अब उसे दरबार कहा जाये या कार्यालय, ये निर्णय मैं पाठकों पर ही छोड़ रहा हूँ। मैंने देखा वहाँ तो आत्माओं का ताँता लगा हुआ था। मार्च का सा माहौल वहां भी बना हुआ था और उम्र के हिसाब से अलग अलग अनुमोदन प्राधिकरण थे। मैं जानना चाहता था कि मेरे लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है लेकिन मेरे कर्मों का हिसाब– किताब देखे बिना ही एक कार्यालय सहायक ने आनन फानन में कुछ पृष्ठ पलटे और और एक अधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर मुझे स्वर्गलोक भेज दिया गया। वहां पर एक वरिष्ठ देव ने मुझ से पूछा . " क्या कार्य कर सकते हो यहाँ ? " मेरे मन मस्तिष्क में तो उस काल घड़ी बीमा और दावों के अलावा कुछ था ही नहीं। बीमा कर सकता हूँ, मैंने उत्तर दिय। मैंने देव को बीमा और दावों के बारे में थोड़ा समझाया, देव मेरी बातों से थोड़ा सहमत सा दिखा। मैंने मौका ताड़ा और उस देव में एक ग्राहक को देखने लगा। मैंने कहा, " प्रभु! मैं आपके भवन का भी बीमा कर देता हूँ, बस आप उसके बाद मुझे पृथ्वी पर वापिस जाने दें। " बस फिर क्या था, देव को अपने उच्च अधिकारी को प्रसन्न करने का अवसर नजर आया और संयोगवश मेरे पास एक कवर नोट भी मिल गया, अंततः मैंने स्वर्गलोक के भवन का बीमा कर दिया। मेरे हृदय को एक दिलासा सी मिली कि अब शायद देव मुझे पृथ्वीलोक पर भेज दें। मैं स्वर्गलोक में अपने आवास पर पहुँचा ही था एक मुझे एक तेज गर्जन सुनाई दी। बाहर आकर क्या देखता हूँ कि स्वर्गलोक के भवन का एक हिस्सा दामिनी के प्रहार से चरमराकर गिर रहा था , दैवीय आपदाएं स्वर्गलोक में भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक बिजली मुझ पर भी गिरी। भवन वही था जिसक बीमा किया था। बदकिस्मती से मेरी और खुशकिस्मती से देव की, प्रीमियम लिया जा चुका था और क्षतिपूर्ति का दावा सामने खड़ा या यूँ कहिये पड़ा था। मुझे यूनाइटेड इंडिया इनश्योरेंस की ग्राहक सेवा प्रतिबध्दता और दावा निपटने की वचनबध्दता याद हो आयी। अब सपना तो सपना होता है, दावा प्रपत्र भी उपलब्ध हो गया। मैं प्रपत्र लेकर स्वर्गलोक में प्रस्तुत हो गया और देव को उसके नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया। दावा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया पूरी हुई तो मैंने देव से पूछा कि किसी सर्वेक्षक की आत्मा को भी लाएं हैं तो उसे भी बुलवा लीजिये। नुकसान का सर्वेक्षण करवाना होगा। तभी एक यमलोक का कर्मचारी भागता हुआ आया और मेरी तरफ इशारा करके कहा, " प्रभु! क्षमा कीजिये , हम अकाउंट क्लोजिंग के काम के आधिकारिक दबाव में गलती से इस मानव को ले आये हैं। " मेरी मुस्कान किसी अनुभवी अदाकारा को भी मात दे रही थी। मैंने तुरंत ही मुझे वापिस भेजने का आखिरी आग्रह किया।

तभी मुझे श्रीमती जी की आवाज सुनाई दी – नींद में भी ऑफिस के बारे में बड़बड़ा रहे हो। इतवार को भी फुर्सत नहीं मिलेगी क्या , उठो! और तैयार होकर दफ्तर ही चले जाओ। मैं हड़बड़ा कर उठा , हँसा और सोचा, " हे प्रभु ! ये तो स्वप्न था। उफ ! नींद में भी मार्च !"

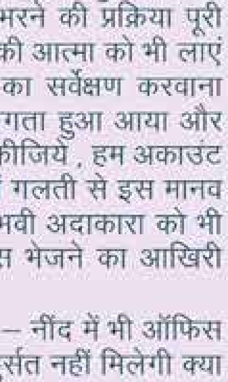

शशिकांत
उप प्रबंधक, सतर्कता विभाग,
प्रधान कार्यालय, चेन्नई

सुव्यवस्थित प्रगति हेतु परीक्षण एवं संतुलन

व्यवसायिक कंपनियाँ अपनी सुव्यवस्थित प्रगति हेतु स्व–संतुलित होने के लिए प्रकृति के नियमों से प्रेरणा ले सकती हैं।

व्यवसायिक संगठनों में कई ऐसे तथाकथित उच्च निष्पादक हैं जो श्रेष्ठ परिणाम दर्शाने के लिए "पूर्ण स्वतंत्रता" के उपयोग के लिए उत्सुक होते हैं। उनमें से कुछ का दृष्टिकोण यह है कि उनकी आजादी के लिए "नियम एवं विनियम" बाधक हैं। उनका यह भी मानना है कि ये नियम कार्यकुशल निष्पादकों के बाधक बनाने के लिए अफसरशाही मानसिकता के साथ स्थापित किए गए हैं।

यह देखना असामान्य नहीं है कि कुछ उच्च पदस्थ कार्यपालकों के दृष्टिकोण के अनुसार नियमों को लागू करने वालों के रूप में उन्हें नियमों से छूट मिलनी चाहिए। सामान्य शब्दावली में, ऐसे व्यक्तियों को "स्वयं उन तक सीमित कानून" के रूप में जाना जाता है।

किसी भी संगठन में परीक्षण एवं संतुलन को मुख्यतः दो लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। आंतरिक दक्षता और क्षमता के दुरुपयोग के विरुद्ध संरक्षण, एवं प्रगति के साथ सामंजस्य रखने के लिए विभिन्न अधिकारियों या कार्यकर्ताओं के बीच कार्यभार का कुशलता पूर्वक वितरण। इसका अर्थ है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए और "लक्ष्मण रेखा" का सम्मान करते हुए कार्यरत होना चाहिए।

बस थोड़ा विराम कर सोचें कि कैसे मानव शरीर परीक्षण और संतुलन की एक जटिल प्रणाली से निर्मित तथा विनियमित होता है। हमारा शरीर ऐसी करोड़ो कोशिकाओं से बना है जो कि संपूर्ण जीव के अनुरक्षण हेतु कार्य करती है परंतु अपनी–अपनी सीमा के अंदर रहकर। उदाहारणतः जब हम चॉकलेट खाते हैं, रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) में वृद्धि होती हैं जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप अग्नाशयी कोशिकाऐं (पेंक्रियाटिक सेल्स) इंसुलिन का स्राव करते हैं। इंसुलिन रक्त कोशिकाओं में जाती है जो कि रक्त शर्करा स्तर (ब्लड शुगर लेवल) में कमी का कारण बनता है और वह स्वयं समायोजित हो जाता है। ऐसा स्व–संतुलन एवं आपसी समन्वय ही किसी भी कुशल प्रणाली की रीढ़ है।

जहां यह संतुलन नहीं रहता और कोई भी एक अंग प्रत्यंग अपनी सीमा तोड़ता है, तो इससे अव्यवस्था आरंभ होती है।

महाभारत में पांडवो एवं कौरवों के चाचा विदुर की विवेकपूर्ण परामर्श युक्त राजनैतिक व्यवस्था, "विदुर नीति" के अनुसार, राजा को सदैव अपनी सीमा का ज्ञान होना चाहिए। विदुर कहते हैं, "वह राजा अपने राजसिंहासन पर लम्बी अवधि तक आसीन नहीं हो सकता जिसे अपने स्थान, राजकोष, (खजाने) क्षेत्र तथा सेना से संबंधित उत्थान एवं पतन में व्यवस्था रखने की उचित सीमा ज्ञात नहीं।

आंतरिक नियम

अतः अच्छे कॉर्पोरेट शासन के लिए फर्म या संगठन में प्रत्येक भूमिका के लिए 'परीक्षणों' एवं 'संतुलनों' के रूप में प्रभावी प्रणाली (मैकेक्निज्म) की आवश्यकता है। यह सुरक्षा प्रदान करना है ताकि यदि एक प्रणाली फेल हो जाती है तो संपूर्ण व्यवस्था उस चेन की तरह न हो जिसकी एक कड़ी कमजोर होने पर पूरी चेन ही टूट जाए। विभिन्न कॉर्पोरेट जगत की असफलताएं आंतरिक भ्रष्टाचार, क्षमता का दुरुपयोग और कार्यपालकों (अधिकारियों) की बेईमानी के कारण हुए, वास्तव में, महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षात्मक व्यवस्था के ब्रेकडाउन को प्रमाणित करता है।

वृहत स्तर (मैक्रो लेवल) पर किसी भी कॉर्पोरेट की नाजुक क्षमता का संतुलन तीन प्रमुख स्थिरकों पर निर्भर हैः शेयरधारक, प्रबंधक और निर्देशक मंडल (बोर्ड)। इनमें से प्रत्येक का अपना अलग दायित्व है परंतु प्रभावी शासन के लिए उनकी अंतक्रिया (उनके बीच बातचीत) महत्वपूर्ण होती है। जब वह एकजुट होकर कार्य करते हैं तब वह अपनी अर्थव्यवस्था को एक शक्तिशाली परीक्षण एवं संतुलन प्रदान करते हैं। लेकिन जब यह अच्छी तरह काम नहीं करते तो पूरी व्यवस्था खतरनाक रूप से असंतुलित हो सकती है।

चार प्रमुख तत्व

सूक्ष्म स्तर (माइक्रो लेवल) पर आंतरिक नियम और विनियम किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने में काम आते हैं। आंतरिक जांच की मजबूत प्रक्रिया के विकसित करने में 4 प्रमुख कारक होते हैं।

पहला है निर्णय लेने के लिए सीमित दृष्टिकोण। कभी ऐसा समय भी होता था जब किसी विशाल व्यवसाय समूह में प्राथमिक

रूप में व्यवसाय संचालन के लिए बाहरी स्वशासी (ऑटोक्रेटिक) प्रबंधकों को दायित्व सौंपा जाता था। आजकल संगठनों द्वारा एक या अधिक कमेटी गठित करके निर्णय लेने और महत्वपूर्ण परिचालन स्तरों पर स्वयं प्रबंध किए जाते हैं।

समितियां समूह के ''एकत्रित ज्ञान'' अर्थात् ''सिद्धांत'' का पालन करती है। ''एक प्रमुख से कई प्रमुखों का होना बेहतर है।'' कमेटी में कारणों पर की गई चर्चा से किसी निर्णय को निरस्त करने या सर्वश्रेष्ठ होने की उचित स्थिति प्रदान करने में सहायता मिलती है।

जब तक समिति (कमेटी) तत्परता और गति के साथ कार्य करती है और सदस्यों में आपसी एकता बनी हुई है, तब तक यह व्यवस्था किसी सदस्य द्वारा की गई किसी व्यापक अनियमितता के विरुद्ध सामूहिक सतर्कता सुनिश्चित करने की भूमिका निभाती है।

दायित्वों को पृथक करना

दूसरा सामान्य उपाय है कार्य को विभिन्न दायित्वों में विभाजित करना ताकि किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में पूरा दायित्व न हो। उदाहरणतः वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों में निवेश या वित्त प्रबंधक कार्य में यह आम बात है कि इस तरह से दायित्वों को विभाजित किया जाता है ताकि डीलर्स जो डील के सौदे में शामिल हैं वे डील के निपटारे में शामिल नहीं हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी एक विभाग अकेले सभी आदान–प्रदान संपूर्ण नहीं कर सकता है।

प्रकटीकरण का दर्शन

अनिवार्य प्रकटीकरणों को 'परीक्षण एवं संतुलन' के रूप में कार्य करने के लिए निमित्त माना जाता है। स्वतंत्र लेखा परीक्षकों (ऑडिटर्स) द्वारा ऑडिट तथा अन्य आवश्यक रिपोर्टिंग के अलावा, संगठनों को प्रत्येक कर्मचारी से हर ऐसी क्रिया की रिपोर्ट लेनी चाहिए जो उसके व्यक्तिगत लाभ में प्रभाव कारक हो या कंपनी के सामूहिक हित–के विरुद्ध हानिप्रद या क्षति कारक हो।

ऐसे विनियम जिसमें संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन, या नियोक्ता संगठन के साम्यांश शेयरों में कर्मचारियों द्वारा लेन–देन, या संबंधित संगठनों से लेन–देन का प्रकटीकरण आवश्यक है ताकि यह पुनः सुनिश्चित किया जाए कि किसी सदस्य द्वारा विषय ज्ञान प्राप्त होने के कारण क्षमता का दुरुपयोग न किया जाए।

मानव शरीर इसका सही उदाहरण है कि जब भी कोई शारीरिक समस्या उत्पन्न हो रही हो तो वो उसे कैसे प्रकट करता है या हमें संदेश देता है। पाचन की अव्यवस्था, तापमान (बुखार) का उतार–चढ़ाव, सिर दर्द, निम्न' ऊर्जा और ऐसे अन्य संकेत जो हमें शरीर से मिलते है, उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आगामी समय में यह चिरकालीन रोग न बन जाए, जिनका उपचार करना कठिन हो जाए।

समान अनुपालन

जबकि कंपनियां जांच की कार्यवाही के लिए नियमों एवं विनियमों को निर्दिष्ट करती हैं, यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी अनियमितता या भ्रष्टाचार से तत्काल, दृढ़ता पूर्वक तथा समान भाव से निपटा जाए। यहां तक कि यदि एक कर्मचारी बेहतर इरादे के साथ नियम तोड़ता है तब भी कार्यस्थल के प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कई व्यवसायिक संगठन अपने वर्षों या दशकों में बनाई गई प्रतिष्ठा या सम्पत्ति पर निर्भर करते हैं। जब कोई कर्मचारी व्यापक तरीकों से कंपनी की नीति का उल्लंघन करता है तो उस कंपनी पर से जनसाधारण का विश्वास उठ सकता है।

समान अनुपालन, उच्चाधिकारियों को अपने आप में सही उदाहरण प्रस्तुपत करने के लिए आमंत्रण देता है। उच्च पदस्थ कार्यपालकों द्वारा आचार संहिता का उचित अनुपालन न करने की स्थिति में चाहे कितने आंतरिक नियम क्यों न हों, वे कारगर सिद्ध नहीं होंगे।

तेत्तरीय उपनिषद के मंत्र के अनुसार ''भिशास्मद् वतः पावते, भिशोदेति सूर्याः'' सर्वोच्च अनुपालन के रूप में, ब्रह्मा के भय को मन में रखकर प्रत्येक तत्व द्वारा अपने निर्धारित दायित्वों का पालन किया जाता है। यह व्याख्यान की गई है कि उनके भय से ही हवा बहती है एवं सूर्योदय होता है। पुनः इसी भय से इन्द्र, अग्नि और मृत्यु अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं।

अतएव एक प्राकृतिक भय और सुव्यवस्थित विकास तभी होता है जब समग्र नियंत्रक निष्पक्ष रहता है तथा धर्म का पालन करनेवाला होता है।

राजभाषा विभाग की ओर से

वेदांत के मूलतत्व

जब हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि आत्मा के रूप में हमारी वास्तविक प्रकृति ब्रह्माण्डीय शक्ति का एक प्रतिबिंब है, तब हम परम आनंद की अवस्था में आ जाते हैं।

ब्रह्म ज्ञान

जैसा कि पूर्व वर्णित है, ज्ञान के दो चरण हैं। सबसे पहले यह समझना है कि केवल ब्रह्मा ही एकमात्र वास्तविक तत्व है (ब्रह्माअस्ति), अन्य कोई नहीं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण यह समझना है कि "मैं" ही वह ब्रह्मा हूं, "ब्रह्मास्मि" तथा इसके लिए मुझे बाहरी वस्तु की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है।

प्रथम "परोक्षज्ञान" है तथा द्वितीय "अपरोक्ष ज्ञान", अंतिम लक्ष्य है। ब्रह्मा स्वयं आलोकित है तथा उसे उजागर होने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यह संपूर्ण ज्ञान है और स्थान, काल, गुणों एवं इच्छाओं की किसी भी सीमा से संपूर्णतः मुक्त, "पूर्ण वस्तु", अतएव, "आनंद स्वरूप" है। चूंकि जीव ब्रह्मा के अलावा अन्य कोई नहीं है, वह यह सब है और वह भी "आनंद स्वरूप" है। एक बार यह वेदांतिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके देखने – समझने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता है। वह "नित्य तृप्त" है, अर्थात् सभी प्रकार से परिपूर्ण है।

आत्म विचार

अपनी वास्तविक प्रकृति पर चिंतन "आत्मविचार" आरंभ करने से पूर्व निम्नलिखित चरणों को अपनाने की आवश्यकता हैः

- सांसारिक विषयों तथा अभिलाषाओं के अनुचित प्रभाव से मन को नियंत्रित कर, उसे व्यक्ति पर हावी न होने दें।
- सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करें और उनके परिणामों को, चाहे जैसा भी हो स्वीकार करें।
- स्वयं के "सत्य" को जानने के लिए सशक्त तथा निष्कपट इच्छा प्राप्त करें।
- वेदांत सिद्धांत में संपूर्ण एवं अविचल आस्था रखें।
- सतगुरू के आश्रय में जाएं और ज्ञान प्राप्त करें।
- भक्तिभाव से उनकी वाणी श्रवण करें और "निधिद्यासन", अर्थात् उन पर अनुपालन करें तथा गुरूदेव से स्पष्टीकरण प्राप्त करें।
- क्या शाश्वत है तथा क्या क्षणभंगुर है समझने के लिए आत्मा–अनात्मा, विवेक, नित्य–अनित्य, वस्तु, विवेक पर चिंतन करें एवं अन्य प्रभावों से स्वयं को दूर करने के लिए वैराग्य को विकसित करें।
- उपरोक्त उद्देश्य हेतु जितना संभव हो महावाक्य विचार करें।

मुक्ति

मोक्ष या वास्तविक मुक्ति सर्वदा उपलब्ध है अतएव यह ऐसा कुछ नहीं जिसके लिए प्रतीक्षा की जाए। मैं सदैव मुक्त हूं तथा कभी बंधा हुआ नहीं था, इस आंतरिक वास्तविक प्रकृति से अनभिज्ञता का परिणाम है सांसारिक "दुःखकष्ट "।

ब्रह्मज्ञान कहां प्राप्त होता है ? यह मन में है या आत्मा में ? यह एक विरोधाभासी प्रश्न है। वास्तव में मन के रूप में कोई भी अलग अस्तित्व नहीं है, यह आत्मा ही है जो मन की भूमिका निभाती है और शरीर विभिन्न कर्मों को संपन्न करता है। अतः वास्तविक कथन है–"आत्मा ही है जो स्वयं को जानती है।"

"मनःस्थिति" ही उसकी "स्थिति" है, इस चिंतन को त्यागकर उसके स्थान पर यह चिंतन करें कि वह अति चैतन्य है जो मन को आलोकित करता है। प्राणी के प्रत्येक चिंतन एवं क्रिया "चैतन्य के साक्ष्य" है, यह आत्मा, "साक्षी चैतन्यम्" है जो कोई दूसरा नहीं बल्कि व्यक्ति स्वयं ही है।

जीव को "अहम् ब्रह्मास्मि" के चिंतन के रूप में इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने मन का उपयोग करना है। यह महज एक कोरा चिंतन या जप नहीं वरन् निरंतर ज्ञान है कि वास्तविक आंतरिक प्रकृति उसके अंदर का "साक्षी चैतन्य " है।

पूरी तरह से सूक्ष्म और परिष्कृत दिमाग के लिए यह ज्ञान तब स्वतः उदय हो जाता है जब वह "तत्वंमसि" का उपदेश प्राप्त करता है। अर्थात् यह "जीवन्मुक्ति एवं विदेहमुक्ति" जैसे मोक्ष की पारंपरिक प्रक्रिया से अनुभूत नहीं होता है। शास्त्रों ने इन्हें केवल मध्यस्थ चरण के रूप में मान्यता दी है।

अंतिम अनुभूति यह होनी चाहिए कि जीव कभी भी बंधा हुआ नहीं है और सर्वथा मुक्त है। "जीवत्वम् एवं सांसारित्वम्" का विचार केवल गलत धारणाएं है।

"निधिध्यासन" में, साधक को इस तथ्य पर ध्यान मग्न होना चाहिए कि वह सर्वदा मुक्त है, जिस स्थिति को वह किसी भी क्षण खोता नहीं है, अतः किसी मुक्ति प्रक्रिया की अनुभूति करने की उसे आवश्यकता नहीं है। मोक्ष प्रत्येक जीवन की शर्तहीन प्रकृति है।

वेदांतिक अध्ययन कब किया जाए

यह एक गलत धारणा है कि वेदांतिक अध्ययन व्यक्ति के कार्यालयी जीवन से सेवानिवृत्ति के बाद तब किया जा सकता है जब करने के लिए और कुछ भी काम नहीं रहता। वेदांतिक अध्ययन खाली समय की पूर्ति करने हेतु एक मनोरंजन की वस्तु नहीं है। यह कम उम्र से ही शुरू किया जाना चाहिए। प्रारंभिक उम्र में अध्ययन ज्ञान की बढोत्तरी के लिए एक मजबूत आधार बन जाता है।

क्या वेदांतिक अध्ययन संसार को निरस्त (त्याग) करना एवं प्राणी को सुख–सुविधाओं से निहित करना है ?

कदापि नहीं ! सांसारिक गतिविधियों के बीच में रहते हुए भी वेदांत का अध्ययन किया जा सकता है। यह मन का स्वभाव ही है जो कि मायने रखता है। आंतरिक रूप से व्यक्ति को सदैव स्वयं को याद दिलाना चाहिए कि वह वास्त व में न तो किसी कार्य का कर्ता है और न ही उसके परिणामों का उपभोगकर्ता है क्योंकि उसकी वास्तविक प्रकृति "आत्म स्वरूप" है जो कि "अकर्ता / अभोक्ता" है। यदि यह चिंतन सदैव मन में विद्यमान रहता है तो वह सभी कार्य दक्षतापूर्वक तथा हल्के मन से संपन्न कर सकता है। संसार को निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपने अस्तित्व के लिए उसका संसार में रहकर आदान–प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है।

के उषा,
प्रधान कार्यालय

बीमा का महत्व

हम जानते हैं कि इस दुनिया में हमारा जीवन अनिश्चित है। लोग जो आज हैं कल नहीं होंगे, यह इस दुनिया की विशेषता है। भारत में लोग मेहनत करते हैं और अगली पीढ़ी के लिए और अधिक कमाते हैं, संपत्ति बचाते हैं । आजकल हम देख सकते हैं कि हमारी कमाई हमारे दैनिक खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें अपने भविष्य, बच्चों की शिक्षा, आवास, विवाह, चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए पैसा बचाना होगा।

बीमा (इंश्योरेंस) उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क (जिसे प्रीमियम कहते हैं) देकर हानि का जोखिम दूसरे पक्ष (बीमाकार या बीमाकर्ता) पर डाला जा सकता है। जिस पक्ष का जोखिम बीमा करके डाला जाता है उसे 'बीमित' कहते हैं।

बीमा (Insurance) का अर्थ है बीमा, वित्तीय नियोजन की आधारशिला। जिसमें आप, आपके आश्रितों और आपकी संपत्ति को भविष्य में किसी अप्रिय घटना या परिस्थिति के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाते हैं, इस लेख के जरिए हम विस्तार पूर्वक बीमा (Insurance) कितने प्रकार के होते हैं? के बारे में प्रकाश डालेंगे।

बीमा की अवधारणा बहुत सरल है। आप बीमाकर्ता को एक निश्चित राशि का भुगतान करते हैं जिसे प्रीमियम कहा जाता है। जिसके एवज में वह कवरेज प्रदान करता है और भविष्य के नुकसान के लिए पूर्व निर्धारित राशि का भुगतान करता है।

बीमा का महत्व (Importance of Insurance) :

1. सुरक्षा (Protection) : बीमा व्यक्तियों को जोखिमों (रिस्क) से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होने के कारण से उसको गंभीर नुकसान होता है, तो ऐसे में बीमा कंपनी उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। इस के अलावा इलाज हेतु होनेवाली खर्च का भुगतान भी करती है।

सामान्य बीमा में, जीवन बीमा के विपरीत निर्जीव संपत्ति जैसे घर, वाहन, स्वास्थ्य, यात्रा, बाढ़, आग लगना, चोरी, सड़क दुर्घटना और मानव निर्मित आपदाओं की बीमा शामिल होती है। कुछ उदाहरण नीचे दिये हैं। कम शब्द में कहें तो सेफ्टी पिन से लेकर सैटेलाइट तक बीमा करते हैं।

1. **होम बीमा** (Home Insurance)
2. **मोटर बीमा** (Motor Insurance)
3. **यात्रा बीमा** (Travel Insurance)
4. **स्वास्थ्य बीमा** (Health Insurance)

2. बचत (Savings) : बीमा व्यक्तियों को बचत करने में मदद करती है, जैसा कि हम स्वास्थ्य खर्च के बारे में जानते हैं। कोरोना महामारी के समय लोगों को स्वास्थ्य खर्च ज्यादा करना पड़ता था। उस समय लोगों को स्वास्थ्य बीमा की आवश्यक्ता के बारे में भी अहसास हुआ। हमारे कमाने पर भी बचत न हो तो हम गरीब के समान ही हैं। इस लिये अगर हम बुद्धिमता से बीमा करें तो बचाव के साथ इलाज भी कर सकेंगे।

3. परेशानी से बचाव : खासकर, आजकल स्वास्थ्य खर्च दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, एक आदमी अपने कमाई से ज्यादा राशि स्वास्थ्य खर्च के लिये खर्च कर रहे हैं। इस लिये हम स्वास्थ्य बीमा लें तो बचाव भी कर सकते हैं, साथ ही अनावश्यक परेशानी से छुटकारा भी मिलता हैं। यह कथन स्वास्थ्य खर्च के लिये नहीं बल्कि समस्त बीमा हेतु लागू है।

निष्कर्ष :

वैसे तो बीमा मदद करता है हर दुखद घटना के बाद पर यह हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आज के इस भीड़ भाड़ वाले जीवन में कब क्या हो जाया किसे पता है। ऐसे में अगर आपने अपने मूल्यवान चीजों का बीमा सही तरीके से किया है तो यह आपके लिए एक Backup Help के जैसे काम करता है।

नागराजन जी.
प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति के साथ मंडल कार्यालय, आगरा का विचार-विमर्श बैठक सह निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति का दिनांक 06.07.2023 (गुरुवार) को आगरा–बैंक (उत्तर प्रदेश) और नोएडा–उपक्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों तथा उनके कुछ सदस्य कार्यालयों के साथ विचार –विमर्श बैठक सह निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति के माननीय उपाध्यक्ष श्री भर्तृहरि महताब जी की अध्यक्षता में होटल अशोका नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। समिति ने हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई निरीक्षण प्रश्नावली का अवलोकन किया एवं टिप्पणी करते हुए प्रशंसा की।

क्षेत्रीय कार्यालय पटना का निरीक्षण

दिनांक 27.07.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय पटना में मुख्य अतिथि श्री निर्मल कुमार दुबे, सहायक निदेशक कार्यान्वियन व कार्यालयाध्यक्ष क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्व क्षेत्र) कोलकाता, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में राजभाषा निरीक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। हिन्दी कार्यशाला के दौरान अपने संबोधन में अध्यक्ष महोदय ने कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित किया और राजभाषा नियमों की विस्तृत जानकारी दी।

क्षेत्रीय कार्यालय विशाखापत्तनम का निरीक्षण

दिनांक 28.07.2023 को उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण), गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, विशाखापत्तनम के साथ क्षेत्रीय कार्यालय विशाखापत्तनम का राजभाषाई निरीक्षण किया गया। निरीक्षण अधिकारी ने अपने संबोधन के साथ कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया, तथा उन्होंने आधिकारिक कार्यों के लिए कंठस्थ जैसे अनुवाद उपकरणों के उपयोग जैसे कुछ सुझाव दिए। उन्होंने विभाग द्वारा किए गए कार्य की सराहना की।

मण्डल कार्यालय वाराणसी का निरीक्षण

दिनांक 01.08.2023 को उपनिदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गृह मंत्रालय द्वारा मण्डल कार्यालय वाराणसी का निरीक्षण किया। मुख्य अतिथि डॉ छबिल कुमार मेहेर जी ने अपने विस्तृत वक्तव्य में सामान्य जीवन में बालशिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय की शिक्षा तक, कार्यालय से लेकर मंत्रालय ६ सचिवालय तक हिन्दी की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कार्यालय के हिन्दी के कार्यों का निरीक्षण किया एवं उनके द्वारा भेजी गई प्रश्नावली का अवलोकन किया तथा कार्यालय में सभी कर्मचारियों के द्वारा राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में किए जा रहे प्रयास की सराहना की तथा काफी प्रसन्न हुए।

क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का निरीक्षण

दिनांक 31.08.2023 को श्री नरेंद्र सिंह मेहरा, सहायक निदेशक, (कार्यान्वयन), भारत सरकार, राजभाषा विभाग, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय–1 द्वारा, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर का राजभाषाई निरीक्षण एवं विचार विमर्श किया गया। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर की निरीक्षण प्रश्नावली और संबंधित रिकॉर्ड का सम्पूर्ण रूप से अवलोकन किया और कार्यालय प्रमुख से राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित सार्थक चर्चा की। निरीक्षण अधिकारी ने अपने संबोधन से, राजभाषा संबंधी विस्तृत जानकारी दी और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दैनिक रूप से राजभाषा संबंधी कार्य को बढ़ावा देने के बारे में प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु किए जा रहे कार्यों और प्रयासों की सराहना की।

क्रोध - एक मानसिक पीड़ा

क्रोध ऊर्जा का एक रूप है। क्षमा की ओर निर्देशित होने पर यह प्रेम व करुणा में परिवर्तित हो जाता है।

दिमाग में क्रोध एवं भय की रासायनिक क्रिया लगभग एक समान है। दोनों ही मामलों में दिमाग "सामना करो या भागो प्रतिक्रिया" के लिए तैयार होना शुरु करता है जोकि किए गए गलत काम या खतरे के विरुद्ध बचाव की आवश्यकता के रूप में उत्पन्न होता है। क्रोध में सामान्य प्रतिक्रियाएं हैं – "दांत पीसना, उत्तेजना, चुभने वाली संवेदना, मुट्ठी या जबडाजकड जाना, पसीना आना और दिल की तेज धड़कन।" क्रोध केवल एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक भावना है।

कुछ लोगों में क्रोध इतना निहित (इनग्रेड) होता है कि वे इससे पूरी तरह अनजान होते हैं। आप अपने क्रोध को किस तरह अनुभव या व्यक्त करते हैं, यह आपकी संवेदनात्मक अवस्था, आपकी मानसिक तैयारी और आपके पालन–पोषण पर निर्भर है। अन्य कारक, जैसे– घर और बाहर में आपका वातावरण तथा आपकी संस्कृति एवं धर्म, इस बात को प्रभावित करता है कि आप कैसे अपने क्रोध को संभालते हैं। कुछ क्रोध को पकड कर या अंदर दबाकर रखते हैं और कुछ इसे पूरी तरह व्यक्त करते हैं। दोनों ही हानिकारक हैं।

जहां पूरी तरह क्रोध प्रकट करना आपके संबंधों पर भारी पड़ सकता है, वहीं क्रोध को अपने अंदर दबाकर रखना अत्यधिक घातक है। प्राथमिक रूप में क्रोध दो प्रकार का होता है।

प्रतिक्रियात्मक क्रोध

प्रतिक्रियात्मक क्रोध अनियंत्रित परिस्थिति के लिए आपका भावनात्मक, भौतिक या मानसिक प्रत्युत्तर हो सकता है। यह आपकी आवेगी प्रतिक्रिया भी हो सकती है जोकि दुःख, घृणा, आश्चर्य या भय द्वारा उत्पन्न होती है। यदि यह केवल एक प्रतिक्रिया है, "एक विस्फोट" तो कुछ समय बाद ही आपको हल्का या बेहतर महसूस हो सकता है। लेकिन यह प्रायः एक भ्रम ही है। सभी अवांछित (अनडिजयरेबल) परिस्थितियों में राहत महसूस करने के लिए, क्रोध को व्यक्त करना इससे निपटने का आपका मात्र एक "मानक उपाय" (कोपिंग मेकेनिज्म) बन जाता है।

क्रोध जब दुःख के कारण होता है तो यह अवरुद्ध नकारात्मकता एवं निराशा की विमुक्ति है। जब यह घृणा, भय या आश्चर्य के कारण है, तब यह आपका तत्काल प्रत्युत्तर है, जैसे कि अकस्मात किसी ने आपको "ऑफ गार्ड" पकड लिया हो और यह काफी हद तक गुस्से में उन्माद के दौरे की तरह है। आप चीजों को तोड़ने, लात मारने, मुक्के मारने, चीखने आदि जैसा महसूस करते हैं। एक प्रतिक्रिया के रूप में क्रोध में चिल्लाना लोगों के लिए आम बात है।

प्रतिक्रियात्मक क्रोध एक ज्वालामुखी है, कुछ लोग दबाव में फूट पडते हैं। दूसरे फूले हुए गुब्बारे की तरह फट पडते हैं जब भी वह प्रतिकूलताओं से कंटकित होते हैं। वे अपना क्रोध, भावनात्मक विस्फोट (इमोशनल आऊटबर्स्ट) या उन्माद के दौरे जिसे हम हिस्टीसरिया कह सकते हैं, की तरह व्यक्त करते हैं। व्यक्ति उन्माद की दशा से कुछ क्षण बाद स्वयं ही अलग हो जाता है और तब वह शांत हो जाता है। प्रायः बाद में वह अपने किए पर पश्चाताप करते हैं। यहां तक कि वे क्षमा प्रार्थना भी कर सकते हैं और पुनः क्रोधित न होने की प्रतिज्ञा लेते हैं। लेकिन यह सभी व्यर्थ सिद्ध होता है।

अगली बार जब फिर से वे किसी टकराव या विरोध का आभास करते हैं, वह उसी तरह का व्यवहार करते हैं। क्रोध का आऊटबर्स्ट उनके लिए अकसर कठिन परिस्थितियों से निपटने का एक तरीका बन जाता है। तब तक, जब तक वह ऐसा कर सकते हैं। जिस तरह से वांछनीय परिस्थितियों में वे प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं, उसी तरह सभी अवांछनीय परिस्थितियों में वे क्रोध की अनुभूति करते हैं।

विषाक्त क्रोध

आप जब अपनी संवेदनाओं अथवा भावनाओं को दबाते हैं तब यह आपकी चेतना में विषैले बीज की तरह बस जाती हैं। लम्बी अवधि तक अधिक दमन से, यह पनपती व बढ़ती हैं तथा आपके शरीर एवं मन की संभवतः असंख्य, अपूरणीय क्षति का कारण बनती है।

जब आप अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने या भूलने में असमर्थ होते हैं तथा उसे लम्बी अवधि तक अपने अंदर ही संजो कर रखते हैं, तो उसकी विषाक्तता में वृद्धि होती रहती है जोकि प्रायः तनाव और चिंता का कारण बनती है। इससे हानिकारक उपापचययी (मेटाबॉलिक) परिवर्तन होते हैं जिसके परिणामस्वरूप भयंकर सिर दर्द या वजन में वृद्धि हो सकती है। यह हृदय रोग, उच्च रक्त चाप तथा कैंसर कारक भी हो सकता है।

योग तथा आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार, क्रोध एवं अन्य नकारात्मक संवेदनाओं का, हम जिस हवा से सांस लेते हैं, उसमें स्थित "प्राणवायु" की गुणवत्ता पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पडता है। "प्राण" के इस अभाव के कारण ट्यूमर, अन्य मेटाबॉलिक, हार्मोनल और ग्रंथि विकारों से संबंधित रोग हो जाते हैं।

विषाक्ति क्रोध कढती हुई कॉफी की तरह है। एक सीमा के बाद, यह कडवा लगता है – उपभोग करने के लिए अत्यकधिक "तिक्त "। तब यह शहद मिलाकर भी मीठा नहीं किया जा सकता है। इसी तरह व्यक्ति जब अपनी नकारात्मक संवदेनाओं

को पकडे रहता है तब यही नकारात्मकता उसके अंदर पकती रहती है और व्यक्ति को केवल और "तिक्त" बनाती है।
क्रोध को अंदर ही अंदर दबाना उन्माद के दौरे की ओर आसानी से ले जाता है और फिर यह एक कारण न होकर लक्षण बन जाता है। यह एक संकेत है कि आपने अपने अंदर नकारात्मक संवेदनाओं को पकड रखा है। इसकी तुलना माइक्रोसॉफ्ट ओवन में स्टीम किए जानेवाले एक "डंपलिंग" से की जा सकती है "डंपलिंग" कुछ तापमान तक ही गर्म होगा। उसके बाद वह फूट कर चारों ओर बिखर जाता है, और खाने के योग्य नहीं रह जाता, प्रस्तुमतीकरण योग्य नहीं रह जाता।
आप जितना मोहग्रस्ते होंगे, आपका क्रोध उतना ही अधिक होगा। वैदिक ग्रंथों के अनुसार मोह व क्रोध दोनों ही मानसिक रोग है। आप जितना अधिक आहत होते हैं वह उतना ही मोह ग्रस्त होने की सीमा का सीधा अनुपात होता है। उदाहरणतः यदि आप वास्तव में अपने अधीन वस्तुओं से मोहग्रस्त है, जब कभी उनके साथ कुछ गलत होता है तो आपको दुःख का अनुभव अवश्य होगा।
जितना अधिक मोह उतना अधिक दुःख और इसी तरह, जितनी अधिक पीडा, क्रोध का खिंचाव भी उतना ही होता है। कुल मिलाकर, क्रोध आपकी आंतरिक पीडा का एक लक्षण है। इसका अर्थ है आप आपके अंदर कहीं पर आहत है, पीडा अभी भी है।
मैं हजारों लोगों से मिलता हूं। मैं यह पाता हूं कि लोग स्वयं पर बहुत कठोर हैं। वे अधिकतर अवास्तविक चाहतों के भारी बोझ तले दबे हुए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि उन्मुक्तु होकर अपना जीवन जिएं। आप जितना उन्मुक्तर रहेंगे उतना कम कुंठित होंगे और कम कुंठा का अर्थ है – "बहुत कम क्रोध।"
क्रोध एक शक्ति है। यह ऊर्जा का रूप है। अतः अन्य। ऊर्जाओं की यह भी प्रणालीकृत (चैनेल्ड) और रूपांतरित (ट्रान्सफॉर्म्ड) हो सकता है। इसे सहानुभूति तथा क्षमाशीलता के प्रति निर्देशित करें। इससे यह अपने आप प्रेम एवं करुणा में परिवर्तित हो जाएगा।

राजभाषा विभाग की ओर से

दुनिया हर जीवित प्राणी की है, न कि सिर्फ इन्सानों की

इंसान ही एक ऐसा समझदार प्राणी है कि जिसे भगवान ने दिमाग, भावनाएं दी है और वह किसी का भी दुख दर्द समझ सकता है। परंतु इंसान बहुत लालची हो गया है , प्रकृति से छेड़छाड़ करके ,प्रकृति को बहुत नुकसान पहुँचा रहा है, उसे लगता है कि सब कुछ उसे ही मिल जाए , इसके लिए वह सब प्रकार के अच्छे बुरे कार्य करकें प्राप्त करने की कोशिश करता है, भले ही किसी भी प्राणी का नुकसान हो तो हो।

इन्सानों की बस्ती में यदि कोई भालू, बाघ, बघेरा, शेर आ जाए तो शोर मच जाता है। सभी इंसान पत्थर, लाठी इत्यादि सामान लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते है और उसे जान से ही मार देते है अथवा खदेड़ कर ही दम लेते है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों के कदम जो अन्य प्राणियों के रहवासों की तरफ बढ़ते ही जा रहे है, उसका क्या ?

जानवर की खाल, नाखून, सिंग, दाँत, चमड़ी, फर इत्यादि के लिए लाखों बेजुबान प्राणी हर रोज मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, उसका क्या?

इसी का नतीजा है आज कितनी प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही है और इस बात की चिंता किसी को नहीं है।

भारतीय संस्कृति सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें सभी प्राणियों का सह–अस्तित्व कोई नयी बात नहीं है। माँ दुर्गा के साथ सिंह है तो शिव जी के गले में नाग है, कार्तिकेय मयूर सवारी करते हैं तो, गणेश जी मूषक की सवारी, विष्णु जी की गरूड़ की सवारी, इन्द्र भगवान एरावत हाथी की। लगभग सभी देवी देवताओं की सवारी में प्राणियों का अस्तित्व दिखाई पड़ता है। दुनियाँ पर सभी प्राणियों का समान अधिकार है। बेजुबान अपनी वकालत खुद नहीं कर सकते, इसलिए हमें ही यह समझना होगा कि इन सबके बिना दुनिया बहुत ही बेरंग हो जाएगी। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, गौ माता की पूजा की जाती है, हरा चारा खिलाया जाता है, श्राद्ध पक्ष में कौवों और गाय माता के लिए सबसे पहले खाना निकाला जाता है और चींटियों के लिए भी कई लोगों द्वारा आटा डालने की परंपरा रही है, ऐसे ही देश में हर प्राणी आशा रख सकता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की मिसाल बनने की।

नानकी रामसिंघानी
प्रशासनिक अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

बेजुबान प्राणी और इन्सानों का आदियुग से ही बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। कहते हैं कि बेजुबान प्राणी भी प्यार की भाषा भली–भांति समझते हैं। पशु एवं पक्षी बेजुबान अवश्य होते हैं, परंतु उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं, सुख दुख प्रेम संवेदना और क्रूरता में अंतर समझते और इन्हें महसूस भी कर सकते हैं।

बेजुबान हूँ, पर निर्जीव नहीं, बोल नहीं सकता, पर रोता हूँ मै भी, लगती है चोट मुझे भी, करता हूँ प्यार मै भी, बिल्कुल आप ही की तरह (एक बेजुबान प्राणी)

गर्म पानी के छह लाभ

अच्छे स्वास्थ्य और सुंदरता के लिए बस थोड़ा गरम पानी पीते रहें।

तैतरीय उपनिषद के अरुण प्रश्न में एक प्रसिद्ध मंत्र है, जिसके अनुसार जल विश्व का कारण है। सूर्य की किरणों से जल भाप बन कर आकाश में जाकर बादल बनता है और फिर वर्षा होती है। प्रथम तत्व के रूप में जल की रचना हुई है जिसके माध्यम से विश्व की सृष्टि हुई।

"देविर्भुवन सुवरी, पुत्रवत्याय में सुता" अर्थात् जल मेरे लिए लाभप्रद हो और मुझे संतान प्रदान करें।

जल वास्तव में जीवन का अमृत है। चिकित्सा वैज्ञानिकों ने ऐसा प्रमाणित किया है कि किस तरह से सामान्य गरम पानी बेहतर सेहत के लिए लाभकारी है। बस एक बार आप इसकी आदत डाल लें, देखिए आपकी सेहत कैसे सही रहती है। यह सच है कि एक गिलास गरम पानी पी कर दिन की शुरुआत करने से सारा दिन अच्छा बीतता है, खास कर उन लोगों के लिए जो अपनी सेहत के प्रति सचेत रहते हैं।

यह जानना जरूरी है कि ठंडे या गरम में से कौन–सा पानी पीना बेहतर है। चिकित्सकों की राय में गरम पानी पीने से निम्नलिखित छह लाभ हैं–

1. **गरम पानी कब्ज से राहत देता है:**– खाली पेट गर्म पानी पीने से मलत्याग करना नियमित हो जाता है और कब्ज भी दूर होती है। पानी की कमी से मल सूख जाता है और मलत्याग करने में कठिनाई महसूस होती है। गरम पानी आंतों में फंसे हुए खाद्य पदार्थों को हजम करने में सहायक है। अतः मलत्याग करना आसान होता है तब यह कष्टदायक भी नहीं रहता है। कब्ज से जुडी समस्याओं और दर्द से मुक्ति भी मिल जाती है। अधिक लाभ के लिए गरम पानी में नींबू और शहद भी मिलाया जाए तो और भी बेहतर होगा।
2. **गरम पानी से हाजमा बेहतर होता है:**– गुनगुने पानी से पाचन क्रिया तेज हो जाती है जिससे आमाशय के खाद्य पदार्थों का विघटन सुगम हो जाता है। इससे शारीरिक ऊर्जा की भी बचत होती है। इसके अतिरिक्त गुनगुने पानी से आमाशय की अम्ल अर्थात् पेट के (एसिड्स) की अधिकता काबू में रहती है और अधिक पाचन रस का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। अतः कब्ज से परेशान लोगों के लिए दिन की शुरुआत और अंत दोनों गुनगुना पानी पीकर करना लाभकारी होता है।
3. **गरम पानी से गले में खराश (सोर थ्रोट) से राहत मिलती है:**– इससे कफ या मोटी बलगम घुलकर सांस की नली से निकल जाती है। एक ग्लास गरम पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर गरारे करने की स्वदेशी चिकित्सा बहुत पुरानी और प्रचलित विधि है। नाक बंद होने पर गरम पानी की भाप बहुत लाभकारी है। इससे बंद नाक खुल जाती है व कफ जमा नहीं हो पाता। यह भी सच है कि एक बार बंद नाक खुल जाने पर दोबारा वायरस और बैक्टीरिया अर्थात् जीवाणु पनपने की आशंका कम होती जाती है।
4. **गरम पानी से मोटापा कम होता है:**– यदि आप शरीर के अधिक भार को कम करके मोटापे पर काबू पाने के लिए संतुलित आहार और व्यायाम का सहारा ले रहे हैं तो गरम पानी आपके लिए अत्यंत लाभप्रद है। गरम पानी शरीर के तापमान को बढ़ाता है जिससे मेटाबॉलिक दर में वृद्धि होती है। मेटाबॉलिक दर की वृद्धि से कैलौरिज जलकर कम हो जाती है। दरअसल गरम पानी से शरीर में जमा फैट (चर्बी) का स्तर भी कम हो जाता है।
5. **गरम पानी से शरीर डीटॉक्सिफाई होता है:**– गरम पानी से शरीर के विषाक्त जैव रसायन घुल कर बाहर निकल जाते हैं। इससे शरीर का तापमान थोडा बढ़ जाता है। हमें पसीना आता है जिससे पसीने के साथ ही साथ शरीर के विषाक्त रसायन अर्थात् टॉक्सिन्स बाहर निकल आते हैं। इससे त्वचा भी डीटॉक्सिफाई हो जाती हैं जिससे त्वचा संबंधित रोगों जैसे–झाइयां, कील, मुहांसे आदि से बचाव होता है और त्व चा कांतिमय हो जाती है। यदि गरम पानी में नींबू के रस की कुछ बूंदे डाल दी जाए तो और लाभदायक परिणाम प्राप्त होते हैं। यह भी एक पुरानी स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है।
6. **गरम पानी से अच्छी नींद आती है:**– यदि आप अनिद्रा रोग से ग्रस्त हैं तो कैफीन या किसी कृत्रिम वस्तु का सेवन न करें बल्कि सोने से पहले बस एक ग्लास साधारण गरम पानी का सेवन करें। गरम पानी से शरीर का तापमान थोडा बढ़ जाता है जिससे शरीर की नसें हल्की और तनावरहित हो जाती है। इससे अच्छी नींद आती जाती है।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गरम पानी बुढ़ापा आने की गति को भी कम कर देता है क्यों कि इससे बुढ़ापे के कारक रसायन अर्थात् टॉकसिन्स दूर हो जाते हैं। यह त्वचा की कोशिकाओं को जीवंत कर उसमें नयी

शक्ति का संचार करता है। यदि गरम पानी में नींबू का रस भी मिलाया जाए तो डीटॉक्सिफिकेशन की क्षमता में और वृद्धि होती है। कितने अद्भुत तरीके से प्रकृति एक सौंदर्य विशेषज्ञ की भूमिका निभाती है।

कुछ सावधानियां

यहां कुछ सावधानियां अपनाने की भी आवश्यकता है। अधिक गरम नहीं बल्कि हमेशा गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। अधिक गरम पानी से मुंह और सांस की नली को हानि पहुंचती है। पानी उबाल कर उसे थोडी देर ठंडा होने दें। खाना खाते समय भी गुनगुना पानी ही पीएं। यदि आप खाने के साथ ठंडा पानी पीते हैं, आमतौर पर हम ऐसा ही करते हैं, तो यह हाजमे के लिए हानिकारक है। व्यायाम करने या जिम से आने के बाद कभी भी गरम पानी न पीएं क्यों कि उस समय शरीर का तापमान तो पहले ही ज्यादा होता हे।

अंत में मैं, "अरुण प्रश्न" दी गई पानी को लेकर लाभकारी वाणी का उल्लेनख करूंगा।" "अपागम् रसस्य वो रसः तम् वो गृहयम् उत्तम् इतिः" अर्थात् सोम का रस अमृत है जोकि जल तत्व के रूप में ही है, मैं इस सोम रस का सेवन करूं।

के उषा,
प्रधान कार्यालय

आजादी का अमृत महोत्सव पर विचार

आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा योजना पर आधारित है। जिसको 12 मार्च 2021 (दांडी मार्च दिवस) से 15 अगस्त 2023 तक मनाया जायेगा। यह महोत्सव हमारे भारत की उन्नति को प्रकट करता है। हम महोत्सव मनाने के लिए अलग–अलग जगहों पर विभिन्न प्रकार के फौजी हथियार और लडाकू विमानों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं।

इस पर्व का उद्देश्य मुख्य रूप से सभी नव जवानों को भारत देश के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए हर किसी के दिल में भारत के लिए गौरव और सम्मान को ज्वलित करना है। इस पर्व को देश के कोने–कोने में बडे ही धूमधाम और विशेष तरीके से मनाया जानेवाला है।

भारत लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और उनके दिये गये आदेश और निर्देशों पर ही काम करता रहा, लेकिन सभी देशवासियों के मन में स्वतंत्रता प्राप्ते करने की प्रबल इच्छा थी और यही इच्छा ही एक दिन आत्मविश्वास और जुनून में बदल गई। ढेर सारी कुर्बानियों के बाद एवं लगभग 100 वर्ष से भी लंबे संघर्ष के बाद भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और आजाद भारत की नींव रखी गई।

आजादी का अमृत महोत्सव किसी विशेष धर्म –जाति या राज्य के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लिए है और संपूर्ण भारत इस महोत्सव को मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में जितने भी सरकारी भवन हैं उन सब में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और कार्यक्रम कराया जाता है। किताबों के माध्यम से आज की पीढ़ी ने थोडी बहुत जानकारी हासिल की है लेकिन आजादी के संघर्ष को करीब से नहीं जान पाए हैं। स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और आजादी के संघर्ष के क्षणों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को याद किया जाता है।

हम सभी जानते हैं कि भारत को बहुत ज्यादा संघर्ष और बलिदान के बाद आजादी प्राप्त हुई जिसस भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पडा था, ऐसी स्थिति में भारत एक बहुत मुश्किल दौर से गुजरा, ब्रिटिश सरकार ने जाते–जाते भारत को पूरी तरह से लूट लिया था।

भारत को हर क्षेत्र में और उन्नति पाने की आवश्यकता है। शत प्रतिशत तकनीकी की मदद से हर एक विभाग में कई बदलाव हो गया है । डिजि (Digi) लाकर की मदद से आप अपने मुख्य दस्तावेजों को अच्छी तरह से रख सकते हैं। यह सब इस उन्नति का ही उदाहरण है।

आजादी का अमृत महोत्सव क्यों जरूरी है ?

जिस वक्त या क्षण पर हमें गर्व है वह है आजादी का क्षण। अतः आजादी का पर्व हमें जोश के साथ मनाना है। हमारे देश के हरएक लोगों के मन में स्वतंत्रता के पल को याद करने के लिए इसी तरह का महोत्सव करने की आवश्यकता है। देश की आजादी के पर्व के अवसर पर हरएक भारतवासी को संकल्प करना है कि देश को प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाना है। आइये मनाते हैं स्वतंत्र भारत का महोत्सव धूम–धाम से !

अपना भारत महान
जय हिंद ! जय भारत !

बी. रमाप्रभा,
उप प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै

आपको जो प्राप्त होता है उससे भी अधिक कार्य करें

अपने दायित्व को कुशलता व अधिक उत्तंरदायित्व से निभाने पर आप न केवल समृद्धि प्राप्त करते हैं वरन् अन्य लोगों के लिए आदर्श और रोल मॉडल बन जाते हैं।

हम किसी भी कार्यस्थल के कर्मचारियों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं।

पहले, वे जो अपने काम में सक्षम होते हैं, अपने नियोक्ता को श्रेष्ठ सेवा देते हैं और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करते हैं।

दूसरे, वे जो केवल एक सीमा में रह कर अपना कार्य करते हैं, और किसी अतिरिक्त दायित्व के लिए पहल नहीं करते।

तीसरे, वे जो कम से कम जिम्मेंदारी उठाना चाहते हैं, बस खानापूर्ति के लिए काम करते हैं। ये हमेशा असंतुष्ट और कटु रहते हैं तथा अपने दायित्व से आगे बढ़ कर काम करना पसंद नहीं करते। यह लोग हमेशा थकान व तनाव दर्शाते हैं और इनकी सोच होती है कि काम कोई खुशी नहीं बल्कि एक मजबूरी है।

तीन श्रेणियों का यह विभाजन सभी कार्य क्षेत्रों व व्यक्तियों के लिए सत्य है फिर चाहे वे कंप्यूटर ऑपरेटर हों या वैज्ञानिक या कोई अन्य सुपर मार्केट का अधिकारी।

क्षमता से कम काम क्यों ?

लोग अपनी क्षमता से कम काम क्यों करते है ? इसके दो कारण है – **प्रथम,** व्यक्तिगत नकारात्मकता कि मैं ही ज्यादा काम क्यों करूं ? साथी कर्मचारी तो कम काम करते है। अपनी गलतियों को छुपाना या सही साबित करना और दूसरों की सोच प्रश्न चिन्ह उठाना। उनकी क्षुद्र मानसिकता के कारण वे सदैव ऐसा मानते हैं कि संसार ने उनसे कुछ ले रखा है और वह समय–समय पर अपने आपको पीडित समझते हैं। प्रख्यात लेखक मार्क ट्वाइन ने एक बार कहा था, "दुनिया ने तुमसे कुछ नहीं लिया है, बल्कि दुनिया पहले ही यहां थी।"

द्वितीय, क्षमता से कम काम करने का दूसरा कारण यह सोच है कि कौन देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, यह गलत है। दूसरे शब्दों में वे स्वयं अनुशासित होकर काम करने के बजाए, किसी की निगरानी के अभाव में मनमानी काम करने का उन्हें अवसर प्राप्त हो जाता है। ऐसे लोग काम के समय में दूसरे बेकार के कामों में बेवजह उलझे रहते हैं और ऐसी सोच रहती है कि इतना कठिन कार्यकरने का कोई औचित्य नहीं है।"

कार्य का महत्व बढ़ाएं

प्रत्येक कार्य में सदैव अपेक्षा से अधिक कार्य करने की संभावना होती है। यदि उस अपेक्षा के अनुसार आप अधिक कार्य करते रहते हैं तो आप अपने वरिष्ठ अधिकारी की दृष्टि में आदर–सम्मान स्नेह प्राप्त करेंगे। दूसरी ओर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न करने से केवल अपनी वर्तमान स्थिति ही बचा पाते हैं। इससे आपकी क्षमता औसत से भी कम हो जाती है।

हमारे धर्मग्रंथों में दृढ़ता से कहा गया है कि हर स्थिति में अपनी श्रेष्ठ सेवा प्रदान करें। सदैव अपनी क्षमता में वृद्धि का प्रयास करें।

श्रीमद्‌भगवद गीता के कर्म योग में इस तथ्या की व्याख्या की गई है कि पूरी क्षमता व मन से किये गए सही कर्म "यज्ञ ही सिद्ध होता है। इस प्रकार किए गए कर्म सूक्ष्म शक्ति का स्वरूप लेते हैं जिन्हें वैदिक सिद्धांत में "अपूर्ण" कहा गया है। इस शब्द का अर्थ बहुमुखी हे उसमें से एक है "कार्य के सभी परिणाम उसके कारणों के उपरांत तत्काल प्राप्त नहीं होते "दूसरे शब्दों में ऐसे कर्म से मानसिक शक्ति मिलती है व व्यक्तित्व में आध्यात्मिक उन्नति होती है।

श्रीमद्‌भगवद गीता में भगवान ने कहा है "मैं सभी प्राणियों के अस्तित्व को विभिन्न स्तरों पर पोषण, प्रशिक्षण, अनुशासन तथा उन्नति आदि प्रदान करने केलिए समुचित व्यवस्था करता हूं।" इस दुनिया में आने के बाद अपने कर्तव्य का समुचित निर्वाह करना ही होगा वरना आपका जन्म लेना निरर्थक हो जाएगा। अपनी जिम्मेदारी की पूर्ति न कर, आप ईश्वरीय योजना का पालन नहीं करते। उससे प्रकृति के उद्देश्य की पूर्ति बाधित होती है। श्रीकृष्ण ने इसी कारण सभी कर्मों को पूरी निष्ठा एवं ऊर्जा से संपन्न करने की सलाह दी और कहा, "तस्मद् अशक्तः सतत्म् कर्मा समाचार"।

स्वामी विवेकानन्दा ने कहा, "वह व्यक्ति जो अपने हृदय और आत्मा की पूरी क्षमता से कर्म करता है उसे न केवल सफलता मिलती है बल्कि इस प्रक्रिया की सफलता के बाद, उसे सर्वोच्च सत्य परब्रम्ह का ज्ञान भी प्राप्त होता है। अतः केवल निःस्वार्थ आप पूर्णता की ओर बढ़ते हें।"

आप अपने कर्मों को पूरी क्षमता व प्रतिभा के साथ करें। परमेश्वर एवं पूरा ब्रह्माण्ड आपको देख रहा है जब आप अपनी पूर्ण योग्यता और क्षमता के साथ सर्वोच्च स्तर पर कार्य करते हैं तब आप समाज के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ध्यानपूर्वक तथा पूर्ण समर्पण से किये गए कर्म के कारण आपके लिए असीम अवसरों के द्वार परमेश्वर की कृपा से सदैव खुले रहेंगे।

दिशा – निर्देशक स्पष्टीकरण

जब आप कार्यस्थल पर अपने नियोक्ता को उत्कर्ष सेवा प्रदान करते हैं। तब आप टीम से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। आपकी सेवाओं का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आप इस दुनिया को एक अलग ही ढंग से लेने लगते हैं।

किसी भी कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए छह मूल सिद्धांत हैं –

पहला, नकारात्मक टिप्पणियां न करें। साधारणतया व्यर्थ गप्पबाजी में मजा आता है परंतु इस आदत में काबू पाना होगा। यदि वरिष्ठ अधिकारी आपके किसी सहकर्मी के बारे में आपकी राय पूछता है तो नकारात्मक टिप्पणी करने के बजाए उसकी खूबी और अच्छाइयां उजागर करें।

दूसरा, खाली समय में कुछ उपयोगी काम करें। कई कार्यस्थलों में काम के बीच कुछ समय मिल जाता है। आप अगले ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं या आपने काम पूरा कर लिया है और आपके पास थोडा समय बचता है। इस समय का सदुपयोग करें। थोडा अनोखा या नए काम करें। इसी सोच पर आप दूसरों से आगे निकल जाते हैं। कुछ परियोजना पर काम किया जा सकता है और अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि की जा सकती हैं। हर समय कुछ न कुछ करने का अवसर अवश्य होता है। कोई आपको बुला कर कुछ करने के लिए कहे, उसका इंतजार न करके खुद कुछ नया करने की पहल करें।

तीसरा, हरेक कार्य अच्छे। तरीके से करें। साधारणतया कोई काम छोटा हो तो उसे बस किसी तरह से पूरा करने के लिए कम से कम मेहनत की जाती है। उदाहरणतया आपको डेस्कटॉप पर दस्तावेज टाइप करने के लिए दिए जाते हैं आप किसी तरह से काम पूरा करते हैं। उसमें की गई गलतियों पर ध्यान दिए बगैर समझ लेते हैं कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। जबकि पूरी लगन और सावधानी से काम करना चाहिए। छोटा काम है यह सोच कर किसी भी काम की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हर काम को अपनी ओर से बेहतर ढंग से करना सबसे अच्छीह नीति है।

चतुर्थ, जो लोग अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं उनसे सीखें और अनुसरण करें। किसी भी कार्यस्थल में ऐसे समर्पित व्यक्तियों की पहचान करना कोई कठिन काम नहीं है। उनसे सीखना चाहिए ओर सलाह भी लेनी चाहिए। ऐसे लोगा सहायता करने और दिशानिर्देश देने के लिए हर समय तैयार रहेंगे।

पांचवा, सहकर्मियों के साथ सकारात्मक संबंध रखें। कार्यस्थल सबसे बडे अधिकारी से लेकर सबसे छोटे कर्मचारी तक सभी के साथ दोस्ती का सकारात्मक संबंध रखें। समान रुचि और सद्भाव विकसित करके आपको मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी।

अंत में, अपनी कंपनी के साथ प्रशासनिक मुद्धे पर सच्चोई अपनाएं। उदाहरणतया बीमारी की छुट्टियों को किसी अन्य मद में खर्च न करें। व्यक्तिगत खर्चों को कंपनी से चार्ज करें।

कार्मिक लेखा

प्रत्येक कार्य को अच्छी तरह करने का एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। अपने कार्मिक खाते में नकारात्मक आंकडों की गिनती कम करने का यह बेहतरीन तरीका है।

जीवन के वृहत्तर स्तर पर एक बलिदान दूसरे के लिए वरदान सिद्ध होता है। यदि लेन–देन में संतुलन करें तो श्रेष्ठ व्यक्ति सदैव अपनी प्राप्ति से अधिक देता है। दूसरी ओर वे जो अपने कार्य कम या घटिया करते हे उनके कर्मफल ऋण के रूप में रह जाते हैं। इस आधार का भुगतान इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य करना पडता है क्योंकि कर्मफल का हिसाब तो सबको देना पडता है।

वास्तव में कर्मयोगी की व्याख्या करते हुए भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है – **"यो भुन्क्ते स्तेनएव सह"** अर्थात् काम से जी चुराने वाले को चोर कहा गया है, वह चोर है जो सब कुछ ले लेता है परंतु कुछ भी त्याग नहीं करता है। ऐसे नकली समृद्ध व्यक्ति का अस्तित्व अंततः शून्य हो जाता है। प्रबुद्ध व्यक्ति कभी भी अपने आपको ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं लाएगा।

राजभाषा विभाग की ओर से

बर्ग हरे है

बर्ग हरे है अभी भी पुराने शजर के
ठहरो यहाँ भी कभी
अब , इंतजार किसका है !!

जरा संभल के आना उसी राह पर
कोई बता ना दे नई दरख्तेां पे
ये पुराना सामान किसका है !!

उम्मीद ना छोड़ना
गर मुस्किलात हो
हादी हो जब रब
फिर इंतजार किसका है !

तकलीफें महज कम हों
जब जबान दिल से बयाँ हों
कह दो बेफिकर आज
अब , मलाल किसका है !

वक्त ही बस साबित यहाँ
बाकीं सब दलीलें है
रिश्ते है बदरंग जहाँ
अपनों से ही मुश्किलें हैं

अंत ही तो शुरुआत है
देख नई गली में
पुराना मजार किसका है !!

सत्यम सौरव
सहायक प्रबंधक,
प्रधान कार्यालय

जलाशयों का उत्सव मनाएं

हमारे इस नीले ग्रीटिंग्स की रचना पानी से हुई और उसी के कारण हमारा अस्तित्व बना हुआ है।

प्रकृति को इसके पांच मूल तत्वों–पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश द्वारा समझा जा सकता हैं। मानव शरीर की रचना भी इन्हीं पंच तत्वों से हुई है साथ ही पांच संकायों अर्थात् शब्द, स्पुर्श, रूप, रस एवं गंध का संबंध भी इन्हीं तत्वों से है।

आयुर्वेद में मानव शरीर की चिकित्सा का आधार भी उपरोक्त पंचतत्व ही है।

- **आकाश** – इस प्रथम तत्वी का संबंध कान और ध्वनि से हे। आकाश अर्थात् अंतरिक्ष है जिसमें सृष्टि की सभी रचनाएं संपन्न होती है।
- **वायु** – वायु का संबंध स्पर्श, त्वचा तथा अंगुलियों से है। यह पदार्थ की वायु अवस्था तथा हवा का प्रतिनिधित्व करता है और मानव के श्वास तंत्र से संबंधित है।
- **अग्नि** – इसका संबंध आंख अर्थात् रोशनी व दृष्टि से है। यह स्वास्थ्यकर होने के साथ ही विनाश का तत्व भी है। पाचन क्रिया तथा बोधात्मक ज्ञान का उत्तरदायी भी यही है।
- **जल** – यह अति महत्वपूर्ण मूल तत्व है इसका प्रतिनिधित्व जीभ द्वारा किया जाता है तथा यह स्वाद एवं वाणी को नियंत्रित करता है। यह पदार्थ की तरल अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। मानव शरीर का 65 प्रतिशत भाग रक्त कोशिकाएं तथा अन्य तरल हैं जो पानी पर ही आधारित है।
- **पृथ्वी** – पांचवा तत्व है जो कि नाक और गंध से संबंधित है। यह पदार्थ की ठोस अवस्था है। यह मानव शरीर का भौतिक तत्व है। अस्थियों ऊतकों तथा दातों से इसकी रचना हुई।

यह सभी तत्व एक – दूसरे से एक पिरामिड के आकार की तरह जुडे हुए हैं। जिसके आधार पर "पृथ्वी" तथा शीर्ष पर "आकाश" है। इसका वास्तविक अर्थ उन्नति करते हुए अंततः ईश्वरत्व के साथ मिलने का प्रतीक है।

योग साधना में दक्षता प्राप्त करने के लिए इन मूल तत्वों पर नियंत्रण तथा उनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया को भूतशुद्धि कहा जाता है।

अमृत समान जल

पंच तत्वों में से जल उस "अप्रकट" पदार्थ का प्रतिनिथित्व करता है जिससे सभी तत्वों की उत्पत्ति होती है। वेदों के अनुसार जल पृथ्वी का आधार और जीवन का अमृत है अतः यह स्पष्ट है कि "जल ही जीवन है "।

भारतीय कला में जल को हमेशा जीवनदायक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। मगरमच्छ पर "गंगा नदी" तथा कछुए पर सवार "यमुना नदी" की मूर्ति की नक्काशी मंदिर द्वारों पर अकसर देखने को मिलती है। मध्यप्रदेश की उदयगिरी पहाडियों में स्थित चौथी शताब्दी की वाराह गुफा में पानी की दीवार में दो देवियों के एक साथ आने का चित्र है जो प्रज्ञा का सूचक है। पल्लवों द्वारा चेन्नै के पास मामल्लपुरम् में एक अखंडित शिला पर गंगा अवतरण की कहानी नक्काशी द्वारा उत्कीर्णित की हुई है।

जल शुद्धता का प्रतीक है। इसका संबंध वास्तुशास्त्र से है तथा भवन निर्माण में उत्तर दिशा से। यदि भवन में जल संतुलित अवस्था में हो तो यह जीवन में आध्यात्मिक तथा दार्शनिक व्यवहार को प्रोत्साहन देता है।

भगवान शिव को भी जलमूर्ति या जलधारा कहा जाता है। उनकी जटाओं में गंगा नदी की शक्ति तथा धारा समायी हुई है। भगवान विष्णु को जलशायनम् के रूप में दिखाया जाता है जो दूध के महासागर में शेषनाग पर शयन कर रहे है। वरुण को जल एवं वर्षा का देवता माना जाता है।

विभिन्न जल पात्रों जैसे कमण्डल, कलश, पंच–पात्र आदि के रूप में जल का महत्व पूजा, धार्मिक अनुष्ठानों, अर्चना, यज्ञ इत्यादि कार्यों में देखा जा सकता है।

सूर्य भगवान को हाथ जोडकर श्रद्धा पूर्वक जल अर्पण करने की परंपरा भी है। पवित्र स्थल पर स्थापित मूर्ति के पहले ""जलधिवासम्" अर्थात् जल से पूजा–अर्चना की व्यंवस्था है जिसमें मूर्ति को पानी में डुबाया जाता है तत्पश्चात् उस पर जल की धारा छोडी जाती है जिसे जलस्थापनम् कहा जाता हैं।

हमारी परंपरा के अनुसार जल में खडे होकर ध्यान करने का महत्व है जिसे "जलपाजनम्" कहा जाता है। केवल पानी पर ही जीवित रहने के कठिन अभ्यास को "जल–आहरम्" गर्दन तक गहरे पानी में खडे होकर मंत्र जपने को "नीरनिला" कहा जाता है। एक अन्य पूजा पद्धति "जलधारा" है जिसमें जल की धारा के नीचे (झरने की तरह) खडे होकर ध्यान आदि संपन्न करते हैं।

भारत में नदियों को ईश्वरीय अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। बडी नदियों के तटों पर विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ है। गंगा और यमुना की दैनिक संध्या आरती एक महत्वपूर्ण तथा देखने योग्य धार्मिक अनुष्ठान हैं।

कई नदियों के तटों पर तीर्थ–स्थल हैं। प्रत्येक बारह वर्ष के चक्र में विभिन्न नदियों और उनके स्थानों में कुंभ का उत्सव मनाया जाता है यह वैदिक पंचाग के अनुसार अति महत्वपूर्ण है और इसका वास्तविक अर्थ भी जलाशयों का महत्व स्वीकार करना है।

के उषा,
प्रधान कार्यालय

अब डिजिटल हुआ रुपया

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) की अवधारणा कोई हाल की बात नहीं है। कुछ लोग सीबीडीसी की उत्पति का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन को देते हैं, जिन्होंने 1980 के दशक में सुझाव दिया था कि संयुक्त राज्य (यूएस) के फेडरल रिजर्व बैंक जनता को ऐसा "माध्यम" उपलब्ध कराए, जिसमें जमा राशियों की सुविधा और मुद्रा की सुरक्षा हो। हालांकि, डिजिटल मुद्रा की अवधारणा पर केंद्रीय बैंकों, अर्थशास्त्रियों और सरकारों द्वारा व्यापक चर्चा पिछले दशक में ही जाकर की गई है, लेकिन इतना तय है कि डिजिटल रुपए का उपयोग हमेशा पैसे का निशान छोड देगा। इसका मतलब है कि सरकार यह ट्रेक कर सकेगी कि आपने पैसे का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जा रहा है। भारत जैसे देश में इसे अब अपरिहार्य माना जा रहा है, क्यों प्रस्तुत है एक विश्लेषण –

कोविड ने दी नई दिशा

दरअसल, हाल के वर्षों में लेन–देन में भी भौतिक नकदी का उपयोग गिरावट पर रहा है। कोविड 19 महामारी से अवधारणा और मजबूत हुई है। कई केंद्रीय बैंकों और सरकारों ने वैध मुद्रा के डिजिटल संस्करण की खोज के प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्रीय बैंकों के बीच इसको लेकर कुछ रुचि स्थानीय कारणों से भी रही है। भारत में भी इन्हीं प्रयासों का नतीजा दिख रहा है और अब एक तरह से डिजिटल करेंसी के युग का सूत्रपात हो गया है। आरबीआई ने ई–रुपए का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। डिजिटल करेंसी को नकदी हस्तांतरण की तरह सुरक्षित और गोपनीय बनाने के विकल्प का भी ध्यान रखा गया है। डिजिटल रुपए का इस्तेमाल फिलहाल केवल थोक लेन–देन के लिए होगा। आरबीआई के मुताबिक नौ बैंकों को फिलहाल डिजिटल रुपए में ट्रांजेक्शन की इजाजत दी गई हे। इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बडौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी शामिल हैं

खुदरा और थोक दोनों भुगतान में आसानी

भारत में सीबीडीसी का उपयोग खुदरा और थोक भुगतान दोनों के लिए किया जाएगा। थोक भुगतान के लिए सीबीडीसी का उपयोग आसन है, क्योंकि सभी अंतर बैंक लेन–देन पहले से ही डिजिटल स्वरूप में है और नकदी का कोई इस्तेमाल नहीं है। वैसे भी भारत, प्रौद्योगिकी का एक निष्क्रिय प्रयोगकर्ता रहा है। वो प्राथमिक रूप से नवाचार की बजाय, उपभोक्ता के बाजार के तौर पर अपनी भूमिका अदा करता रहा है। हाल में भारत ने डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं और इंडिया स्टैक के विकास ने डिजिटल भुगतानों को स्वीकार किए जाने की कवायद ने जबरदस्त सुधार किया है। इसने उद्यमिता को बढाने साथ–साथ स्टार्टअप इकोसिस्टाम को भी खूब रफ्तार दी है। कोविड–19 के दौरान ऑनलाइन वाणिज्य में आए उछाल ने डिजिटल भुगतानों को स्वीकार किए जाने की कवायद को और हवा दी है।

गुमनाम नहीं रहेगा लेन–देन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने 2022–2023 के केंद्रीय बजट में रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा डिजिटल रुपए की व्यवस्थित शुरुआत का ऐलान किया था। आरबीआई ने डिजिटल मुद्रा को व्यापक बनाने के लिए पिछले साल अक्टूबर में सरकार को प्रस्ताव दिया था। रिजर्व बैंक के ताजा परिकल्पना पत्र में डिजिटल रुपए के संभावित संरचना विकल्पों और उनके प्रभावों को रेखांकित किया गया है। डिजिटल रुपए के सटीक स्वरूप अब तक अस्पष्ट हैं। माना जा रहा है कि गुमनामी सुनिश्चित करने और लेन–देन के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए रिजर्व बैंक ढांचे भी तैयार कर सकता है। इसके लिए एक डेटा ट्रस्ट बनाया जा सकता है, जो आगे नीतिगत संरचना तय करने के लिए डेटा शेयरिंग में मदद कर सकता है।

कई देश अपना रहे हैं

यही कारण है कि वैश्विक जीडीपी के 90 प्रतिशत हिस्से के भागीदार देश अपनी–अपनी राष्ट्रीय सीमाओं में डिजिटल करेंसियों को आगे बढ़ा रहे हैं या धीरे–धीरे उन पर अमल कर रहे हैं। चीन की डिजिटल आरएमबी किसी बडी अर्थव्यवस्था द्वारा लॉन्च की गई पहली डिजिटल करेंसी थी। इसके अलावा केंद्रीय बैंक आफॅ नाईजीरिया (ई–नायरा), द बैंक आफॅ बहामास (सैंड डॉलर), द ईस्टर्न कैरेबियन केंद्रीय बैंक (डी कैश) और बैंक आफॅ जमैका (जैमडेक्स) की ओर से परियोजनाएं शुरू की गई है। हालांकि सॉवरिन डिजिटल करेंसी जारी करने की योजना बनाने से पहले दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों कई सालों तक वर्चुअल और क्रिकेट करेंसी के क्षेत्र में होनेवाले घटनाक्रमों पर नजदीकी से निगरानी रखते रहे। कई सालों तक इसके इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जाते रहे।

प्रॉक्सी वॉर से बचने के लिए जरूरी

आज अमरीका और चीन दोनों डिजिटल मुद्रा के विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं। जिससे डिजिटल मुद्रा को लेकर प्रॉक्सी वॉर देखने को मिल रहा है और भारत इसमें फंस न जाए, इसीलिए डिजिटल रुपए की आवश्यकता है। डिजिटल रुपए के माध्यम से भारत डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है। डिजिटल रुपए के माध्यम से आरबीआई कम समय में व्यापक स्तर पर मुद्रा को नियंत्रित कर सकेगा। इसके द्वारा वास्तविक समय में भुगतान सुनिश्चित हो और मध्यस्थ बैंकों की भूमिका को समाप्त किया जा सकेगा। यह अस्थिरता से होनेवाले नुकसान

को कम करेगा। यह घरेलू स्तर के साथ–साथ विदेशों में भी (इंटर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन) भुगतान को सक्षम बनाएगा, जिसमें किसी तीसरे पक्ष या बैंक की जरूरत नहीं होगी।

नोट छापने का खर्च बचेगा

नकदी रहित अर्थव्यवस्था का एक फायदा यह है कि केंद्रीय बैंकों की नोट छापने, इसका वितरण करने और गंदे नोटों की सफाई की लागत में कमी आएगी। आखिर यह इतना अहम क्यों है ? आइए इस बात पर गौर करते हैं कि आरबीआई नोटों की छपाई पर कितने पैसे खर्च करती है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड से सूचना के अधिकार के माध्यम से मिले आंकडों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 में 10 रुपए के 1,000 रुपए के नोटों का बिक्री मूल्य 960 रुपए था, जिससे 10 रुपए के एक नोट की लागत 96 पैसे हो गई। वहीं 20 रुपए के एक नोट की लागत सिर्फ 1 पैसा कम यानी 95 पैसे थी। 50 रुपए के एक नोट की लागत 1.13 रुपये थी, जबकि 100 रुपए के नोट की लागत 1.77 रुपए, 200 रुपए के नोट की लागत 2.37 रुपए और 500 रुपए के नोट की लागत 2.29 रुपए है। वित्त वर्ष 2021 की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में, 50 रुपए के नोट की कीमत में 23 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई (यह 92 पैसे से बढ़कर 1.13 रुपए हो गई), जबकि 20 रुपए के नोट की कीमत सिर्फ 1 पैसा थी। इस दौरान 500 रुपए के नोटों की छपाई लागत में कोई बढोत्तरी नहीं हुई। कुल मिलाकर, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 में नोटों की छपाई के लिए 4,984.8 करोड़ रुपये खर्च किए जो वित्त वर्ष 2021 (4,012.09 करोड़ रुपये) की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है हालांकि इस दौरान नोटों की आपूर्ति कम थी। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2017 (नोटबंदी का वर्ष) में नए नोट छापने के लिए 7,965 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जो पिछले वर्ष के 3,421 करोड़ रुपये की तुलना में 133 प्रतिशत अधिक है।

कुछ परेशानियां भी हैं राह में

- पिछले साल तक आरबीआई अकाउंटिंग के उद्देयों के लिए जुलाई–जून वित्तीय वर्ष के मुताबिक काम पर अमल कर रहा था। जिन कारकों ने आरबीआई को सीबीडीसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, उनमें से एक क्रिप्टो करेंसी को लेकर इसे गहरा एतराज है। इसके पीछे भी कई कारण बताए जा रहे हैं।
- उदाहरण के लिए, उन्हें स्लॉट में बांटा नहीं जा सकता है, क्योंकि वे न तो एक सामान हैं, न कोई मुद्रा और न ही भुगतान प्रणाली का हिस्सा है। चूंकि वे केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं, इसलिए ऐसी मुद्राओं को समर्थन नहीं दिया गया है। इसके अलावा, चूंकि लेन–देन अनाम तरीके से होता है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी को सार्वजनिक जांच के दायरे में नहीं लाया जा सकता है।
- इसके केवाईसी मानदंडों के गंभीर असर होंगे और यह धनशोधन और आतंकी अभियान की फंडिंग के जोखिमें से भरा है। आरबीआई क्रिकेट को एक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करने से इनकार करता है, क्योंकि इसमें भविष्य में नकदी प्रवाह की गुंजाइश नही है और अटकलों के कारण इसके मूल्य में हमेशा उतार–चढ़ाव होता रहा है। इसमें उपभोक्ता सुरक्षा का भी पहलू नहीं है।

निजता पर खतरे की आशंका

कम से कम 10 देशों ने पूरी तरह से एक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत कर दी है। इस सूची में भारत भी शामिल है। भारत के केंद्रीय बैंक, आरबीआई की कम से कम दो आंतरिक समितियों ने सीबीडीसी पर काम किया है। हालांकि डिजिटल मुद्रा में सुरक्षा का भी खतरा है। आज ऑनलाइन मौजूद किसी भी चीज को हैक किया जा सकता है। इसके मद्देनजर सरकार को उच्च सुरक्षा तकनीक को सुनिश्चित करना होगा। यह आम लोगों की निजता पर खतरा उत्पन्न करेगा। भारत में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर साक्षरता की काफी कमी है, जिससे इसे लागू करने में सरकार को बडी चुनौती का सामना करना पड सकता है।

राजभाषा विभाग की ओर से

सोच बिखर सा जाता हूँ

आत्मव्यथित ह्रदय मेरा !!
छोटे थे तो थे बेहतर
माँ का हाथ सिरहोना
और गोद होता था बिस्तर !!

छन में गहरी नींद
खो जाते आँखें मिंद
वो सहज और बिश्वास से
अब कहाँ सो पाता हूँ !!

आत्मव्यथित ह्रदय मेरा
सोच बिखर सा जाता हूँ !!
ऑफिस से घर
वही सीमित सा सफर
ज़्यादा पाने की चाह में
छूट गया वो बिस्तर !!

चेनों सुकूँ की तलाश थी
अब मुस्कुरा भी ना पाता हूँ

आत्मव्यथित ह्रदय मेरा
सोच बिखर सा जाता हूँ !!
है सब कुछ अब
बस मन मौन है
सवाल है तू कौन है ?
जवाब कहाँ इस सवाल का
सोच बिखर सा जाता हूँ !!

आत्मव्यथित ह्रदय मेरा ......
सोच बिखर सा जाता हूँ !

सत्यम सौरव
सहायक प्रबंधक,
प्रधान कार्यालय

दिव्य शब्दांश ? का महत्व

गुढ चिह्न "? " में गहन आंतरिक चेतना को जागृत करने की क्षमता है।
प्राचीन वैदिक सभ्यता के समय से "? " शब्द हिंदु दर्शन में एक प्रमुख स्थान रखता है। आज इसे विभिन्न हिंदु संदर्भों में पाया जाता है, साथ ही पश्चिमी सभ्यता में भी इसका उल्लेख मिलता है। "? " शब्द ने दुनिया भर के हिंदुओं के लिए अपने गहन आध्यात्मिक महत्त्व को बरकरार रखा है।
? अक्सर प्रार्थना में एक दिव्य आह्वान के रूप में कार्य करता है और श्रद्धेय "गायत्री मंत्र (? भूर्भुव स्वः)" में पहले आता है, हालांकि हमारी प्रार्थनाओं में यह शब्द सर्वप्रथम अकेले भी आ सकता है।
'श्वेताश्वत्रा उपनिषद' ने नश्वर शरीर व ? की दो अलग–अलग अंधन की छडों से तुलना की है। एक साथ वे हमारी दिव्य प्रकृति के ज्ञान की लौ को चिंगारित कर सकते हैं। (1.14.16)
इसी प्रकार "मुंडका उपनिषद" यह दर्शाता है कि यदि व्यक्ति की आत्मा "तीक्ष्ण बाण" है और लक्ष्य अविनाशी सर्वोच्च ब्रह्म "परमात्मा" है, तो '? ' वह धनुष है जो हमारे लिए उस दिव्य शक्ति (2.24) के साथ हमारे मिलना की खोज को संभव बनाता है।
दरअसल भगवत गीता का कहना है कि जो कोई भी दिव्य शब्द "? " का हृदय में निरंतर जाप करता है वह भौतिक काया को पार कर सर्वोच्च लक्ष्य (परमात्मा) को प्राप्त कर लेता है। (8.13)
आध्यात्मिक पहलू के अलावा ? शब्द अपने भीतर दिव्यता की अनुभूति कराता है। यह ब्रह्म (परमात्मा) की आवाज है और अपनी तीन भागों – "? तत् सत" (गीता 17.23) में दिव्यता की व्याख्या करता है। भगवद् गीता में उनकी विभूतियों (दिव्य अभिव्यक्तियों) को बताने के लिए श्रीकृष्ण कहते हैं, "भाषा के स्वरूप में, मैं अतुलनीय शब्दावली "? " हूं।"(10.25)
जिस तरह से ब्रम्हांड उन पर निर्भर करता है, उसका विवरण देते हुए वे कहते हैं, "मैं सभी वेदों में दैवीय शब्दी "? " हूं (7.08)।"

तीन प्रभाग

प्रतीकात्मक शब्दांश "? " के लिए हिंदु दर्शन में कई अवधारणा? हैं। उनमें से पहली सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारणा है ब्रह्मांड की प्रगति। ? (AUM) में "ओ" (A) मुंह खोलने, ध्वनि की शुरुआत और भौतिक ब्रह्मांड की प्रकटन (संभवतः बिग बैंग के माध्यम से) शामिल है। 'उ' अर्थात् (U) में होठों का संकुचन तपस्या के प्रकटन के रूप में होता है – चेतना की एकाग्रता जो ब्रम्हांड के विकार को आगे बढ़ाता है। अंत में 'म'(M), होठों का समापन और ब्रह्मांड का अंत लाता है।
निर्माण का यह प्रतिरूप पवित्र त्रिदेवों से जुड़ा है – ब्रह्मा निर्माता, विष्णुम रक्षक या प्रतिपालक और शिव विनाशक के रूप में।
किंतु ब्रम्हांड के अतिरिक्त "? " का तीन गुणा विभाजन वेदांत में कई अन्य अवधारणाओं का प्रतीक है। "तैत्रीय" उपनिषद के अनुसार "? " की ध्वनि (ब्रह्म – आत्म की आवाज), निम्न रूपों में प्रकट होती है:–

- लिंग संपन्न शरीर – पुरुष, महिला और नपुंसक माध्यम से (सृजन के कार्य के संदर्भ में, न कि मनुष्यों की पहचान के रूप में) –
- प्रकाश और गर्मी से संपन्न शरीर – वायु (हवा, जो प्रकाश को छिडकती है और गर्मी करती है), अग्नि (ऊर्जा) और आदित्य (सूर्य) के माध्यीम से,
- ज्ञान संपन्न शरीर – ऋग, साम्, यजुर (तीन मुख्य वेदों) के माध्यम से,
- समय संपन्न शरीर – अतीत, वर्तमान और भविष्य के माध्यम से,
- विकास संपन्न शरीर – भोजन, पानी और चंद्रमा के माध्यम से,
- विचार संपन्न शरीर – मन, बुद्धि और चित् (यादों और छावों का भंडार) के माध्यम से

वास्तव में "? " मानव परिस्थितियों को स्वयं में विलीन करता है। "मांडुक्य उपनिषद' के अनुसार "? " तीन चेतनाओं – जागने, सपने देखना और गहरी नींद का प्रतिनिधित्व करता है। यह 'मृत्यु लोक' के तीन उपलोकों – भूर (मनुष्य को प्राण प्रदान करने वाला), भुवः (दुःखों का नाश करनेवाला), स्वः (सुख प्रदान करने वाला) के तीन उपअक्षरों से मेल खाती हैं। मनोविज्ञान द्वारा पहचाने जाने वाली तीन प्रमुख अवस्थाएं – जागना, बिना तीव्र नेत्र संचलन (Non-REM) वाली नींद तथा तीव्र संचलन (REM) वाली नींद। कुल मिलाकर "? मंत्र" हमें ब्रह्माण्ड के साथ समक्रमिक कर उसकी दिव्यता को सराहने की क्षमता देता है। कई गैर–हिंदू इसका महत्व समझते हैं क्योंकि इसका उपयोग हिंदू धर्म से लेकर बौद्ध सिख, और जैन धर्मों तक फैल गया है।
बिना इस बात को महत्व दिए कि हिंदू धर्म का अर्थ क्या है एवं अपनी आध्यात्मिक यात्रा के विषय में सोचे बिना '? ' का आलिंगन करें एवं देखें कि यह आपको कहाँ तक लेकर जाता है।

के उषा,
प्रधान कार्यालय

गतिहीनता एक जहर

किसी भी संगठन या संस्थान में परिवर्तन को स्वीकार न कर पाने के दो मुख्य कारण होते हैं – भय और असुरक्षा

जब पिछले रविवार शिवकुमार को स्थांतरण हेतु आदेश प्राप्त हुआ तो वह परेशान हो गया। कई वर्षों से उसने कंपनी के प्रति पूर्ण निष्ठा दर्शायी थी, एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली थी, यहॉं तक कि बुखार होने के बावजूद वह प्रतिदिन कार्यालय में आता रहा।

उसके कार्य में प्रभाव न पडे इसलिए वह कभी भी देरी से कार्यालय न पहुंचता पूर्णतः परिश्रम से कार्य करता, प्रतिदिन ऑफिस में देर तक रुककर कार्य करता और अपने बॉस के जाने के बाद ही, यह सुनिश्चित करके की सब ठीक है या नहीं वह घर के लिए निकलता। अपना पूर्ण जीवन उसने अपने परिवार के साथ लखनऊ में ही व्यतीत किया था। वह आस–पडोस का आनंद उठाता हुआ पैदल ही ऑफिस के लिए निकल जाता था।

वफादारी की व्याख्या

अब ये क्या! वे उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं ? वे उसका स्थानांतरण प्रयागराज भला कैसे कर सकते है? हॉं, प्रयागराज में एक नया ऑफिस अवश्य खोला गया है पर उसी को क्यों? वे चाहते तो किसी जूनियर को भेज सकते थे या फिर कोई और जो उससे भी अधिक अनुभवी हो उसे भी भेजा जा सकता था।

वह लखनऊ में ही रह सके, इसके लिए उसने कभी किसी पदोन्नति की मॉग भी नहीं की थी। यहीं रहने के लिए वह अपने वेतन में कटौती के लिए भी राजी था। वह किसी भी हाल में इलाहबाद नहीं जाना चाहता था, पर दिल्ली से आया उसका यह नया मालिक हृदय विहीन या निर्दयी था। वह उसकी नहीं सुनेगा। "शिवकुमार जी, आपको इलहाबाद जाना ही होगा। कंपनी की भलाई इसी में है। कंपनी को आपके अनुभव की और आपकी आवश्यकता है। आपको ऐसा करना ही होगा। यह स्वयं आपके लिए भी हितकर है।"

तुम्हारे लिए हितकर है ? यह उसके लिए हितकर भला कैसे हो सकता है ? नई जगह, नया पडोस, नया घर, बच्चों के दाखिले का सिरदर्द, घर के सामान की उठा–पटक आदि। उसके पीछे से उसके पुश्तैनी घर का ध्यान कौन रखेगा ? और उसके माता पिता ? क्या उन्हें भी शहर छोडकर उसके साथ जाना होगा ? उसकी माता जी कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगी।

कालिया पर कृष्ण का नृत्य

शिवकुमार इस बात से अनजान है। पर वह ठीक वैसा ही बन गया था जैसे कालिया नाग बन गया था यमुना के लिए – जहरीला। वृंदावन के निकट यमुना नदी में एक जगह छोटा–सा मोड था, जहॉं गायों तथा चरवाहों ने जाना छोड दिया था। यहॉं का पानी प्राण घातक था। यहॉं तक कि यदि घास का तिनका भी पानी में गिर जाता तो एक पल में ही मुरझा जाता था। यह कालिया नाग के जहर का ही नतीजा था।

जब श्रीकृष्ण को इस बात का ज्ञात हुआ तो उन्होंने इस नाग को आडे हाथों लेने का विचार किया। सभी साथियों ने कृष्ण को ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने किसी की एक न सुनी। उन्होंने नदी में कूदते ही, उल्लास पूर्वक पानी बाहर छिडकना शुरू कर दिया और अपने उन मित्रों पर हंसने लगे जो किनारे खडे व्याकुलता से उन्हे बाहर आने के लिए कह रहे थे।

पानी में अकस्मात अशांति के कारण कालिया नाग को सनदी तल से उठकर ऊपर आना पडा। उसने कृष्ण को अपने चंगुल में लेने का प्रयास किया। फिर अपने फन को फैलाकर उसने बाल कृष्ण को निगलने का प्रयास किया। किंतु वह आश्चर्यचकित रह गया जब बालकृष्ण एकाएक एक चतुर सैनानी में परिवर्तित हो गये। कृष्ण ने स्वयं को उसके चंगुल से किसी प्रकार छुडवाया और उसके फन पर जोर–जोर से प्रहार करने लगे। इससे पहले कि कालिया नाग कोई प्रतिक्रिया दे पाता, कृष्ण उसके फन पर चढकर नाचने लगे। परंतु नहीं ! वह नृत्य नहीं था, उसे वहॉं से जाने के लिए बलपूर्वक कहा जा रहा था – "जाओ, जाओ, जाओ।"

कृष्ण ने कहा। कालिया ने विरोध किया। उसने पलटी मारी और अपनी पूंछ को हाथी की सुंड की तरह झुकाया और फन को जोर से हिलाया। कृष्ण को अपने फन से नीचे गिरने के लिए कालिया नाग ने जोर से फुफकारते हुए अपने विषैले दांत दिखाए। फिर वह घुमा और मुडा, कभी ऊॅचा उठा तो कभी कृष्ण को गिरने के प्रयास में पानी के अंदर चला गया। किंतु कृष्ण उसके फन पर ज्यों के त्यों खडे रहे और उन्होंने उसकी पूंछ को पकड लिया। फिर जोर–जोर से कालिया के सिर पर मारते हुए कहने लगे – "जाओ, जाओ, जाओ।" किंतु कालिया ने जाने से इंकार कर दिया।

पर क्यों ? कृष्ण ने विनम्रता किंतु स्वहठी से पूछा। "डर के कारण" कालिया ने कहा। "यहॉं मैं गरूढ से सुरक्षित हूं। नदी के इस मोड से बहर आते हो गरूढ मुझे देख लेगा और आकाश से सीधे नीचे आकर मुझे अपने पंजो में पकड लेगा। इसके पश्चात मुझे अपना सुलभ आहार बना लेगा। इस जगह वह मुझे नहीं देख पाता अतः यहॉं मैं सुरक्षित हूँ।"

भय को दूर करें

श्रीकृष्ण मुस्कराए और बोले, "जीवन परिवर्तन का विषय है, स्थिरता का नहीं। हम डर से विचलित नहीं हो सकते। तुम यहॉं जितना समय रहोगे, इस पानी को उतना ही विषाक्त करोगे। जाओ और डरो मत। विश्वास रखो, तुम जीवित रहोगे। बस चले जाओ। अपनी चतुराई से तुम गरुढ से बचने का मार्ग भी खोज लोगे और भय पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। तुम ऐसा अवश्य करोगे। मुझ पर विश्वास रखो।"

चित्रों में कालिया नाग सदा फन फैलाए हुए दर्शाया गया है। एक कोबरा नाग अपना फन तभी फैलाता है जब वह स्थिर (अकर्मण्य) हो। जब वह क्रियाशील होता है तो फन नहीं फैलाता। अतः फन फेलाए खडा हुआ कालिया स्थिरता

(अकर्मण्यता) का प्रतीक है। जब कालिया हिलने या कही जाने से इंकार कर देता है तो वहाँ का पानी विषाक्त हो जाता है।

यह स्पष्ट रूप से इस बात का रूपक है कि जब कोई भय के कारण परिवर्तन से इंकार कर देता है, तब वह अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलना नहीं चाहता क्योंकि अनजान परिस्थियों से भयभीत होता है। कालिया गरूढ से भयभीत था। गरूढ कहीं वास्तविक भय है तो कहीं काल्पनिक भय है। गरूढ कालिया के क्रियाशील रहने में बाधक है। साथ ही वह बाधा है कालिया के विकास के लिए उसकी असुरक्षित भावना पर विजय प्राप्त करने के लिए।

कालिया को जो बात अपने लिए सजा जैसी लग रही थी वास्तविकता में वह ज्ञान का पाठ था। कृष्ण उसे जाने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि आगे बढो, सामना करो, डरो मत, छिपो मत। नदी में अपने स्वभाव के अनुसार तैरो। तुम जितना अधिक अपने आपको छुपाने का प्रयास करोगे, तुम अपने और दूसरों के लिए उतना ही हानिकारक सिद्ध होगे।

शिवकुमार को ऐसा लगता है कि दिल्ली से आया हुआ उसका बॉस बिलकुल कालिया नाग के समान है जिसे श्रीकृष्ण द्वारा दण्ड मिलना चाहिए। किंतु वास्तव में वह स्वयं कालिया है। उसके बॉस ने उसकी क्षमता को पहचान लिया है। उस क्षमता को, कि वह कंपनी के लिए और भी बहुत कुछ कर पाने में सक्षम है। न केवल कंपनी के लिए अपितु उसका जाना स्वयं उसके विकास में भी सहायक होगा। शिवकुमार स्वयं को कम आंकता है। वह अपनी तथाकथित संतुष्टी की ओट में छुपकर रहना चाहता है।

फिर भी वह कंपनी के उन युवाओं से ईर्ष्या करता है जिन्हें पदोन्नति के साथ बेहतर बोनस या प्रोत्साहन प्राप्त हुए हैं।

वह अन्य लोगों की सफलता में बाधक बनता है। स्वयं को उनके समान बनाना चाहता। किंतु इसके लिए अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहता। वह अपने व्यवहार, कार्यप्रणाली और दिनचर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहता। वह जैसा है केवल वैसा ही रहना चाहता है।

उसके मित्र जब नौकरी के लिए दूसरे शहर जाते हैं तो वह गुस्सा हो जाता है। जब उसके बॉस स्थानांतरण का फैसला स्वीकार करते है, या पडोस में पुरानी इमारतों को तोडकर नई संरचना? बनाने का प्रयास किया जाता है तो उसे लोगों को बताना अच्छा लगता जो उससे यह सुनना पसंद करते हैं, "वे भी क्या दिन थे।"

शिकुमार के आसपास परिस्थितियां रोज बदलती रहती हैं। किंतु शिवकुमार परिवर्तन से इंकार करता। उसके समक्ष कुछ नया सीखने का सुअवसर आया है। एक स्थानांतरण, एक नया शहर, एक नयी नौकरी, नए मित्र तथा नए अवसर। किंतु वह भयभीत है। गरूड़ नदी के मोड के परे घात लगाए बैठा है। वह कृष्ण से नाराज है, वह कहीं जाना नहीं चाहता, किंतु जाए बिना कृष्ण का नृत्यी बंद नहीं होगा अर्थात् स्थानांतरण का आदेश रद्द नहीं होगा। साथ ही उसे कहा जाएगा, "जाओ, जाओ, जाओ।'

राजभाषा विभाग की ओर से

संस्मरण

रुपेश स. पाटील
शाखा प्रबंधक,
शाखा कार्यालय, बारामती

युनाइटेड इंडिया पुणे क्षेत्रीय कार्यालय का एक कर्मचारी अपने लोगो से मिलने गांव आता है, लेकिन तभी अचानक कोरोना की वजह से अचानक लॉकडाऊन शुरु हो जाता है। वर्क फ्रॉम होम करनेवाले इस कर्मचारी के मन में तब आये हुए विचार....

वैसे तो अंधेरा छा जाने पर शायरी याद आती है, पर आजका श्वर्क फ्रॉम होमश खत्म करके शाम में खेत का एक चक्कर लगाने निकला तो बहुत कुछ याद आया। खेती के इस कारोबार में भले कमाई छोटी हो, सुकून बड़ा है। पढ़ाई और उसके बाद नौकरी के लिए गाँव छोड़ा था, उसे अब कई बरस हो गए। ऐसा मान लो कि लगभग आधी जिंदगी शहर में ही गुजरी है। पर शहर का अब भी नहीं हो पाया हूँ। दिल दब सा जाता है वहाँ की चकाचौंध देखकर। हमेशा लगता है कि किसी मेले में आया हूँ, किसीका मेहमान बन के आया हूँ, रोज शाम आते आते लगता है कि मुझे कही लौट जाना है.. खामखाँ जल्दी में रहता हूँ शाम गुजरने तक। शामें हमेशा युं परेशान ही करती आयी है मुझे। पहले नौकरी की तलाश में शहर आया तो मुझे अदम गोंडवी की एक नज्म बार बार याद आती थी –

यूं खुद की लाश अपने कांधे पर उठाये हैं
ऐ शहर के वाशिंदों ! हम गाँव से आये हैं।

क्यूंकि गाँव बोलता था श्वापिस नहीं आना है नौकरी मिले बगैर, चाहे कुछ भी हो जाएश। लेकिन विडम्बना ये है कि जब नौकरी मिली तब गाँव छूट गया, हमेशा के लिए।

अब हाल कुछ युं है कि गाँव जाऊ तो श्शहर से आया मेहमानश मानते है। पापी पेट और श्दो टकियों की नौकरीश की वजह से अब सालभर में कुछ दिन ही गुजारने मिलते है गाँव में। पर गाँव का कोई शहर में आए तो भी मैं मिट्टी की खुशबू महसूस कर लेता हूँ.. खयालो में कहीं सुनी हुई एक शायरी आती है–

'मेरा बचपन भी साथ ले आया
जब गाँव से आया कोई'

मोबाइल के मायाजाल में भटकते युवा

मोबाइल आज हमारी जरूरत ही नहीं बल्कि हमारी जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा है। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां बिना मोबाइल के दुनिया के साथ दौड पाना सम्भव नहीं दिखता। शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन आदि सभी कुछ मोबाइल से जुड चुका है। भारत सरकार की बहुत सी योजनाओं में हमारे हाथों में छोटा–सा मोबाइल महत्वपूर्ण भूमिका रखता है।

जब कोई टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के इतने पास से जुड जाये तब जरूरी हो जाता है कि हमें उसके लाभ और हानि के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।

यद्यपि मोबाइल के साइड इफेक्ट्स हर आयु व वर्ग के लोगों पर हुए हैं। लेकिन मोबाइल कम्युनिकेशन का सबसे अधिक दुरुपयोग युवा वर्ग के द्वारा ही होता है। यही वर्ग मोबाइल कम्युनिकेशन से सबसे अधिक नुकसान उठाता है। युवक या युवतियां जिसे आनन्द समझ रहे होते हैं, वह वास्तव में उनके लिए बेहद हानिकारक होता है। रात में फ्री बातचीत, फ्री पैक आदि का सबसे बडा उपभोक्ता वर्ग यही लोग होते हैं। टीनएजर मोबाइल पर घण्टों बातें करते हैं।

आयु का तूफान उन्हें अपनी ओर खींचता है। मोबाइल पर बढ़ती सुविधाओं ने बच्चों व टीनएजर्स की पहुंच पोनोंग्राफी तक भी पहुंचा दी है। जब बच्चे आपस में उछल–कूद करके खेलते हैं तो उनमें स्पोर्ट्समैनशिप, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना, नेतृत्व क्षमता व सामुदायिक सहयोग की भावना जन्म लेती है। लेकिन जब बच्चे अपने–अपने मोबाइलों पर गेम खेलते हैं तो इसके कई नुकसान होते हैं।

1. उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है।
2. मानसिक विकास में बाधा आती है।
3. जीवन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता।
4. अनुभव करने की या महसूस करने की क्षमता का पूर्ण विकास संदिग्ध होता है।
5. सामुदायिक नहीं हो पाता सहयोग की भावना का विकास।
6. बच्चो वक्त से पहले बडे हो जाते हैं।
7. हमारे चारों तरफ आज भोगवादी संस्कृति है और बच्चे भी यही सीखते हैं। भोगवादी नजरिया किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा से शून्य है। इसके अन्तर्गत मानवीय विकास की कोई पगडण्डी नहीं खुलती।
8. शाहरुख खान, प्रियंका चौपडा, आमिर खान और रितिक रोशन उनके सबसे बडे आइकन होते हैं।

बच्चों और युवाओं को लेकर कुछ बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं जिनकी देख–रेख उनके माता–पिता / अभिभावकों द्वारा की जानी चाहिए।

मोबाइल फोन निर्माता कम्पनियों की अंधी व्यावसायिक दौड ने हमारे युवाओं को सामाजिक व नैतिक रूप से भ्रमित कर दिया है। एमएमएस के जरिए अश्लील चित्रों का आदान–प्रदान और ब्लैकमेलिंग की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। मोबाइल / इंटरनेट की सुविधा का दुरुपयोग गैर–सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हो रहा है। इससे लोगों की निजता व स्वतंत्रता बाधित हो रही है।

मोबाइल गेम्स के सम्बन्ध में खतरनाक बात यह है कि ये आस–पास की दुनिया से आपका सम्पर्क तोड देते हैं। सडक पर पैदल चलते हुए या गाडी चलाते समय यह जानलेवा हो सकता है।

आज ज्यादातर मोबाइल फोन मल्टीमीडिया सुविधाओं से लैस हैं।

जिसके चलते छात्रों की पहुंच अश्लील तस्वीरों, अश्लील वीडियो व अश्लील साहित्य तक हो चुकी है। अगर कोई किशोर ऐसी कोई सामग्री देख या पढ़ रहा है। तो विपरीत लिंगी के लिए यह एक चेतावनी है। धार्मिक हिंसा व घृणा से सम्बन्धित वीडियो व्हाट्सएप की मुख्य सामग्रियों में से हैं।

बहुत से युवा महंगे मोबाइल फोन लेकर गर्व महसूस करते हैं पर वे नहीं समझ पाते कि वे खुद ही किस अंधेरे की ओर बढ़ रहे हैं। आज से कुछ वर्षों पहले बस, ट्रेन यात्राओं के दौरान युवाओं के हाथों में पुस्तकें दिखाई देती थीं। पर अब इन यात्राओं के दौरान लोग फेसबुक के स्टेटस अपडेट करते हैं, जाने–अनजाने लोगों से चैट करते हैं, ट्वीट करते हैं, वाट्स–एप करते हैं। जब यह सब नहीं करते तो वो दूसरों का ऐसा किया हुआ पढ़ते हैं। उस पढे हुए को लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं। फेसबुक, वाट्स एप, ट्विटर हमारे शयनकक्षों व स्नानकक्ष तक में घुस आये हैं। पहले ऐसी सुविधाओं वाले मोबाइल महंगे होते थे और ये स्टेटस सिंबल माने जाते थे। मगर अब ये सुविधायें सस्ते मोबाइल में भी हैं। तो उच्च वर्ग से लेकर मध्यवर्ग और निम्न मध्यवर्ग तक फैला एक विशाल जन–समूह है जो इसकी चपेट में आ चुका है। खासकर युवा वर्ग। पुस्तकें हमें भीतर से समृद्ध करती हैं, पर वे हमारी प्राथमिकता नहीं रही। खेल हमें शारीरिक–मानसिक तंदुरुस्ती देते हैं। पर अब उनका स्थान

मोबाइल गेम्स या इंटरनेट ने ले लिया है। युवा और वयस्क दोनों ही जहां शारीरिक तंदुरुस्ती व भीतरी समृद्धि खो रहे हैं वहीं उनकी वास्तविक दुनिया भी एक आभासी दुनिया में बदलती जा रही है।

यद्यपि मोबाइल के फायदों में कमी नहीं। वह आपको अपनों से व दुनिया भर से जोडता है। मोबाइल आपके प्रोफेशन में भी मददगार है। इसकी मदद से आप बडी–बडी बिजनेस डील्स भी कर पाते हैं। बैंकिंग सेवाये घर बैठे प्राप्त कर पाते हैं। ज्ञान का बहुत बडा भण्डार आप अपनी मुट्ठी में लेकर चलते हैं।

मगर खतरा इसलिए है कि बहुत ही कम लोग ऐसी सुविधाओं का सकारात्मक उपयोग कर रहे हैं और ज्यादातर लोग गति पकडती मोबाइल से जन्मी वर्चुअल आंधी में उडे जा रहे हैं।

सेलफोन ने यूं तो पूरे समाज को ही प्रभावित किया है लेकिन इसका सबसे भयानक असर स्कूल–कॉलेजों के कैम्पस पर देखा जा सकता है। तमाम प्रतिबन्धों के बावजूद छात्र मोबाइल फोन लेकर कैंपस में जाते हैं। यह एक विचलित कर देनेवाली सच्चाई है। क्योंकि इस उम्र में सेलफोन उनके स्वास्थ्य व व्यक्तित्व निर्माण के लिए घातक साबित हो सकता है। यह उम्र एक बेहतर भविष्य की नींव डालने के लिए होती है पर उन्हें मोबाइल फोनों से चिपका हुआ देखकर निराशा होती है। इसने तमाम अनैतिक क्रियाकलापों को भी जन्म दिया है।

इसलिए बच्चों / युवाओं के अभिभावकों को उन पर पर्याप्त धयन देना चाहिए। एक निश्चित उम्र तक तो बच्चों के पास मोबाइल फोन होना ही नहीं चाहिए। यदि ऐसा है भी तो यह मोबाइल साधारण प्रकार का होना चाहिए जिसमें मल्टीमीडिया सुविधायें न हों। इससे मोबाइल के अन्य फंक्शंस का दुरुपयोग नियंत्रित किया जा सकता है।

साथ ही माता–पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा मोबाइल पर कितनी देर बातें करता है, किससे बातें करता है और क्या बातें करता है। यह अनायास नहीं है कि बच्चों में मोबाइल से जुडे अपराधों की दर तेजी से बढ़ी है। लडकियों के आपत्तिजनक एमएमएस बनाने की घटनायें, वो भी कम उम्र के लडकों द्वारा, अब आम हो चली हैं। उनके नग्न फोटों खींचना, उन्हेंक यौन शोषण करना आम घटनायें हैं। यदि आपका बच्चा मोबाइल से अधिक देर तक बातें करता है तो यह आपके लिए व खुद उसके लिए खतरे का संकेत हो सकता है।

इससे बच्चों का अध्ययन कार्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। रात–रात भर बातें करना, हद से कहीं अधिक मैसेजों का आदान–प्रदान सामान्य बातें हैं। उनका समय तो बर्बाद होता ही है। साथ ही मस्तिष्क में तरह–तरह का कचरा भरता रहता है। इस कचरे का भरा जाना केवल मोबाइल फोन द्वारा सीमित नहीं है। मोबाइल, कम्पयूटर, इंटरनेट आदि सभी बच्चों/युवाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए अभिभावकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बच्चे नहीं जानते कि इन आधुनिक संचार यंत्रों का श्रेष्ठतम उपयोग क्या है ? उनकी पढ़ने की आदत छूटती जा रही है। मनोरंजन के साधनों की भीड ने पुस्तकों को दूर कर दिया है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास में कॉमिक्सें, नन्दन, चम्पक, सुमन–सौरभ बेहतरीन काम कर सकती हैं लेकिन अब वे बच्चों और युवाओं की प्राथमिकतायें नहीं हैं। यदि प्रश्न उनके व्यक्तित्व निर्माण का है तो जो काम पुस्तकें कर सकती हैं, वही काम मोबाइल व कम्प्यूटर नहीं कर सकते। अब हम कहीं भी नजर डालें, लोग लगातार मोबाइल कान में लगाये या कानों में तार डाले दिख जाते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो अन्दर ही अन्दर हमें डराता है।

के उषा,
प्रधान कार्यालय

कलम बड़ी या कम्प्यूटर

2001 के बाद से ऐसे सॉफ्टवेयर का महत्व काफी बढ़ गया है, जो दाढ़ीवाले बिना दाढ़ी वाले, पग्गडधारी किसी भी बहुरूप में अपनी शिनाख्त कर लेते हैं। दुनिया की सरकारें आतंकवाद से निपटने के लिये उच्च्य तकनीकी की मदद ले रही है। इस तरह के विकास को देखते हुए भारत के उच्च्य तकनीकी संपन्न न होने का कोई कारण नजर नहीं आता। कई लोगों ने जानना चाहा है कि पर्सनल कम्प्यूटर तकनीकी किस दिशा में अग्रसर हैं ? डेस्कटॉप के बाद, लैपटॉप उसके बाद पामटॉप और अब इसके बाद क्या ?

सवाल सही है। ज्यादातर हार्डवेयर कंपनियॉ महसूस करने लगी हैं कि कम्प्यूटर अपने मौजूदा रूप मेंअसुविधाजनक हैं। आपको की बोर्ड एक माउस लगता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा होता है या उससे अलग होता है। इस सबकी वजह से आपको एक कुर्सी से बंधकर बैठना पडता है। सवाल यह है कि आपको की बोर्ड की जरूरत ही क्या है, जब उसका काम पेन यूनिट को यह बताना भर है कि आपने कौन–सी बटन दबायी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको किसी ऐसी चीज को जरूरत है, जो कम्प्यूटर को नियंत्रित कर सके। जरूरी नहीं कि वह चीज की बोर्ड ही हो। उसके लिये आप अपने हाथ पर ही सेंसर लगा सकते हैं और मजे से बिस्तर पर बैठे–बैठक अपना काम कर सकते हैं।

स्वच्छता

तमिल में एक कहावत है सुत्तम सोरु पोडुम **சுத்தம் சோறு போடும்**, दलिया बन भी जाए तो नहाकर पी लें **கஞ்சி செய்தாலும் குளித்துவிட்டு குடியுங்கள்**. यदि आप अपना घर और हृदय साफ रखते हैं, तो प्रभु आएंगे, **வீட்டையும் உள்ளத்தையும் தூய்மையாக வைத்திருந்தால் இறைவன் வருவார்.** अगर हम अपने आसपास सफाई रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। हमने महामारी के दौरान अपने आसपास के वातावरण को साफ रखा। हमें आसपास की सफाई का एहसास हुआ।

हमारी स्वच्छता, खान–पान की आदतें और धूप ही हमें महामारी के कारण जान गंवाने से बचाते हैं। अगर आप रोजाना इसका पालन करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। नीचे स्वच्छता के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं।

स्वच्छता क्या है?

निरंतर प्रयोग में आने पर या वातावरण के प्रभाव से वस्तु या स्थान मलिन होता रहता है। धूल, पानी, धूप, कूड़ा–करकट की परत को साफ करना, धोना, मैल और गंदगी को हटाना ही स्वच्छता कही जाती है। अपने शरीर, वस्त्रों, घरों, गलियों, नालियों, यहाँ तक कि अपने मोहल्लों और नगरों को स्वच्छ रखना हम सभी का दायित्व है।

स्वच्छता के प्रकार

स्वच्छता को मोटे रूप में दो प्रकार से देखा जा सकता है– व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता में अपने शरीर को स्नान आदि से स्वच्छ बनाना, घरों में झाड़ू–पोंछा लगाना, स्नानगृह तथा शौचालय को विसंक्रामक पदार्थों द्वारा स्वच्छ रखना। घर और घर के सामने से बहने वाली नालियों की सफाई, ये सभी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक स्वच्छता में मोहल्ले और नगर की स्वच्छता आती है जो प्रायः नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों पर निर्भर रहती है। सार्वजनिक स्वच्छता भी व्यक्तिगत सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकती।

स्वच्छता के लाभ

'कहा गया है कि स्वच्छता ईश्वर को भी प्रिय है।' ईश्वर का कृपापात्र बनने की दृष्टि से ही नहीं अपितु अपने मानव जीवन को सुखी, सुरक्षित और तनावमुक्त बनाए रखने के लिए भी स्वच्छता आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। मलिनता या गंदगी न केवल आँखों को बुरी लगती है, बल्कि इसका हमारे स्वास्थ्य से भी सीधा संबंध है। गंदगी रोगों को जन्म देती है। प्रदूषण की जननी है और हमारी असभ्यता की निशानी है। अतः व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखने में योगदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

स्वच्छता के उपर्युक्त प्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त इसके कुछ अप्रत्यक्ष और दूरगामी लाभ भी हैं। सार्वजनिक स्वच्छता से व्यक्ति और शासन दोनों लाभान्वित होते हैं। बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय होने वाले सरकारी खर्च में भी कमी आती है। इस बचत को अन्य सेवाओं में उपयोग किया जा सकता है।

स्वच्छता – हमारा योगदान

स्वच्छता केवल प्रशासनिक उपायों के बलबूते नहीं चल सकती। इसमें प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी परम आवश्यक होती है। हम अनेक प्रकार से स्वच्छता से योगदान कर सकते हैं, जो निम्नलिखित हो सकते हैं:–

- घर का कूड़ा–करकट गली या सड़क पर न फेंकें। उसे सफाईकर्मी के आने पर उसकी ठेले या वाहन में ही डालें।
- कूड़े–कचरे को नालियों में न बहाएँ। इससे नालियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं। गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है।
- पालीथिन का बिल्कुल प्रयोग न करें। यह गंदगी बढ़ाने वाली वस्तु तो है ही, पशुओं के लिए भी बहुत घातक है।
- घरों के शौचालयों की गंदगी नालियों में न बहाएँ। खुले में शौच न करें तथा बच्चों को नालियों या गलियों में शौच न कराएँ।
- नगर पालिका के सफाईकर्मियों का सहयोग करें।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। इसका प्रचार–प्रसार मीडिया के माध्यम से निरंतर किया जा रहा है। अनेक जन प्रतिनिधि, अधिकारी–कर्मचारी, सेलेब्रिटीज (प्रसिद्ध लोग) इसमें भाग ले रहे हैं। जनता को इसमें अपने स्तर से पूरा सहयोग देना चाहिए। इसके साथ गाँवों में खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करने के लिए लोगों को घरों में शौचालय बनवाने के प्रेरित किया जा रहा है। उसके लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। इन अभियानों में समाज के प्रत्येक वर्ग को पूरा सहयोग करना चाहिए।

हमारे कार्यालय में हमने स्वच्छता पखवाड़ा अपनाया है। पिछले सप्ताह , हमने अपने कार्यालय के सामने एक अभियान चलाया है और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जनता को पंपलेट वितरित किए हैं। हमने अवांछित कागजों को नष्ट कर दिया है और सभी जगहों को साफ कर दिया है।

अगर हमने इसे नियमित रूप से अपने कार्यालय, परिवेश और अपने घर में भी हमें अपनाना होगा। क्योंकि स्वच्छता ही ईश्वरत्व है।

टि. गिरिजा पोन्विली,
प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै

देश की आत्मनिर्भरता में राजभाषा का योगदान

हमारा भारत देश विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक रहा है और इस देश की संस्कृति , रंग–ढंग देखकर हम कह सकते हैं की भारत पहले से ही काफी आत्मनिर्भर है। स्वय के हुनर से स्वयं का विकास करना ही आत्मनिर्भरता का सही मतलब है। हर व्यक्ति यही चाहता है की वह आत्मनिर्भर बने, फिर चाहे उसके रहन– सहन से हों या उनके तौर–तरीके से हो।

भारत की कला और संस्कृति को देखते हुए यह बात स्पष्ट होती है कि भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर रहा है। लेकिन आजादी के बाद देश में जो परिस्थितियां बन गई थी वे सर्वविदित हैं।

आत्मनिर्भर भारत क्या है:

आत्मनिर्भर भारत बनने का तात्पर्य है कि हमारे देश को हर क्षेत्र में खुद पर ही निर्भर होना होगा। भारत को देश में ही हर वस्तु का निर्माण करना होगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि भारत के संसाधनों से बनी वस्तुओं को भारत में ही उपयोग में लाना है। आत्मनिर्भर भारत से अपने यहां के उद्योगों में सुधार करना और युवाओं के लिए रोजगार, गरीबों के लिए पर्याप्त खाना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। आत्मनिर्भर भारत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने सम्बन्धी एक दृष्टि है।

आत्मनिर्भरता में राजभाषा की परिभाषा:

भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान–प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में– जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावो को समझ सके उसे भाषा कहते है। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते है।

आत्मनिर्भर भारत और हिंदी:

हिंदी सम्पूर्ण भारत देश की राजभाषा है। भारत में हिंदी की उपयोगिता को किसी भी कीमत पर नकारा नहीं जा सकता। हिंदी का हर भारतीय के जीवन में अत्यंत महत्व है। हिंदी हर भारतीय के उज्ज्वल भविष्य का आधार है। प्राचीन काल से आज तक हिंदी ने देश को एकसूत्र में बांधा है। हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।

हिंदी सम्पूर्ण भारत को समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है क्योंकि हिंदी देश की सर्वाधिक बोली एवं समझी जाने वाली भाषा है। वह राष्ट्र भाषा, संपर्क भाषा, बोलचाल की भाषा तथा व्यापार की भाषा है। अनेक कंपनियों ने उसकी लोकप्रियता के कारण हिंदी साइट शुरू की हैं। सभी मिलजुलकर हिंदी के उत्थान का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग धंधों को और अधिक विकसित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति तभी सम्भव है, जब भारत मातृभाषा व जन–जन की भाषा हिंदी को साथ लेकर चलेगा। बिना हिंदी के विकास के देश का विकास होना असम्भव सा है और बिना विकास किए कोई भी देश भला आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है?

अतः भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हिंदी की अहम भूमिका है। भारत सरकार यह अच्छे से जानती है कि बिना राजभाषा हिंदी को मान–सम्मान दिए देश के विकास और आत्मनिर्भर भारत का ढांचा खड़ा करना नामुमकिन है। अतः भारत सरकार के द्वारा युवाओं को हिंदी भाषा से सम्बंधित रोजगार दिलाने हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे है।

भारत सरकार निवेश को प्रोत्साहित करने की रणनीति के साथ आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए देश में तेजी से आर्थिक विकास की जरूरत को पहचानती है। इसीलिए सरकार हिंदी को इतना जरूरी मानती है। ग्रामीण क्षेत्रों मेंकुटीर उद्योग के द्वारा बनाए गए सामानों और उसकी आमदनी से आए पैसों से परिवार का खर्च चलाने को ही आत्मनिर्भरता कहा जाता है।

कुटीर उद्योग या घर मेंबनाए गए सामानों को अपने आस–पास के बाजारों मेंही बेचा जाता है, यदि किसी की सामग्री अच्छी गुणवत्ता का हो तो, अन्य जगहों पर भी इसकी मांग होती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे देश के हर कोने का व्यक्ति अच्छे से बोलता और समझता है।

अतः हिंदी ऐसे छोटे–छोटे उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुटीर उद्योग सामग्री, मत्स्य पालन इत्यादि आत्मनिर्भर भारत के कुछ उदाहरण है। इस प्रकार से हम अपने परिवार से गांव, गांव से जिला, एक दूसरे से जोड़कर देखे तो इस प्रकार हिंदी पूरे राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देती है। इस तरह से हम भारत को आत्मनिर्भर भारत के रुप मेंदेख सकते है।

निष्कर्ष:

हमारी हिंदी एक समृद्ध भाषा है लेकिन हम ही इतने संकीर्ण हो गए हैं कि अंग्रेजी को बोलना सम्मान की बात समझने लगे हैं। आज हम भारतवासियों को हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? भारत एक हिंदी भाषी देश, जिसकी मातृभाषा हिंदी है, ऐसे देश में हर दिन हिंदी दिवस होना चाहिए। जिस प्रकार सरकार द्वारा हिंदी के विकास पर बल दिया जा रहा है। निश्चित रूप से हिंदी आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बनेगी और भारत देश को विश्वगुरु का खिताब दिलाएगी।

" जब जन–जन की भाषा हिंदी का होगा पूर्ण विस्तार। "

क्योंकि हिन्दी न सिर्फ स्वावलम्बन एवं स्वाभिमान का मस्तक है बल्कि यह आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार भी है।

" आत्मनिर्भर भारत और हिंदी " बनेगी आत्मनिर्भर और खुशहाल भारत का आधार, जय हिंद।

एस. नरसिम्हन,
उप प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै

काव्य सौरभ

मेरी माँ

मेरे जीवन की पहली
पाठशाला,
जहाँ मैंने संस्कारों को
सीखा
और रखा अपने जीवन
का बुनियाद,
जहाँ बहता ममता का
निर्झर अपरम्पार,
जिसने मुझे आँचल से
ढका और खुद धूप सहा
ओ है मेरी माँ ! ओ है
मेरी माँ !

जो मेरी एक पुकार पे दौड़ी चली आएं,
जिसके थपकियों पर मुझे नींद आ जाएं,
जिसके सीने के गरमाहट से मन बच्चा हो जाये।
ओ है मेरी माँ! ओ है मेरी माँ!

भूख मुझको लगता पर तड़पती ओ थी,
पेट भर मैं खाता खाना पर तृप्त ओ होती थी।
जिसके हर फटकार में मेरा फिक्र होता था,
जिसके हर बात में मेरा जिक्र होता था।
ओ है मेरी माँ ! ओ है मेरी माँ !

ठोकरें मुझको लगतीं पर आँहें उसके निकलते थे
दर्द मुझको होता पर अश्रुधारा उसके बहते थे
मेरे बदमाशियों पर कभी
डाँटती! फटकारती! मारती!
तो कोने में खुद सुबकती थी
मुझे सुलायें बगैर जो नहीं सोती थी .....
ओ है मेरी माँ ! ओ है मेरी माँ !

अगर मैं बिखर जाता तो ओ निखार देती थी
मेरे हर जीत में शाबाशी देती थी
मेरे हर हार में ढाढस बढ़ाती
और मेरा प्रयत्न व प्रयास देखती
और जीत जाऊँ! जो सुधार करती थी।
ओ है मेरी माँ ! ओ है मेरी माँ !

मनोज कुमार
प्रशासनिक अधिकारी
माइक्रो कार्यालय, मोहिउद्दीननगर

नारी को कुछ करने दो

इस अबला नारी पर पगले, क्यों तू जोर दिखाता है?
अपने इस बलिष्ठ यौवन को, क्यों तू व्यर्थ गंवाता है?
मत बाँधो उसके मन को, तुम उसे अनन्त विचरने दो,
नारी को कुछ करने दो.

या तो उसका उद्धार करो, या फिर तुम उसको मरने दो,
पर पापी! पाप कमा कर ना, जग–जीवन में उसे सड़ने दो,
नारी को कुछ करने दो.

ये तो काली की रूपा है, ये तो काली की दासी है,
वो तो खून की प्यासी थी, ये तो बस हया की प्यासी है,
ना तुम इसका अपमान करो, थोड़ा काली का ध्यान करो,
थोड़ा खुशहाल करो इनको, ये जो छाई यहाँ उदासी है,
ना तुम इनको बरबाद करो, ना खुशियाँ इनकी हरने दो,
तुम पापी! पाप कमा कर ना, जग–जीवन में उसे सड़ने दो,
नारी को कुछ करने दो.

तू तो अबोध इस बात से भी, नारी नारी ही होती है,
पर नारी का ये विलाप समझ, तेरी मईया भी रोती है,
तेरे अपहरण–बलात्कारों का, अंत तभी हो पाएगा,
जब तेरी बहना संग कोई दानव ऐसा कर जाएगा,
तब केवल 'हरि' ही, तेरे सुरों से, ताल मिलाने आयेगा,
तब ही ये बोध होगा तुझको, कि पीर ये कैसी होती है,
क्यों उसकी मईया रोती थी, क्यों तेरी मईया रोती है,
तब तेरी बहना के आँसू भी, पाप तेरे छलकाएंगे,
तू फिर, कितनी भी कोशिश करले, आँसू धुल ना पाएँगे,
रोते–रोते जान गँवा के, जब 'हरि' शरण में जाएगा,
तब माफी के लिए मनुज तू, ढूँढ चरण नहीं पाएगा,
थक–थक के तू दृ गिर–पड़ के तू, नरक की आग में जाएगा,
तब भी मन की शठता से तू, नरक को ही झुलसाएगा,
ये सब सहने के बाद में तुझको, पाप–बोध हो पाएगा,
तब की तो मुझको खबर नहीं, पर अब ये 'हरि' मुस्काएगा,
क्योंकि उस पाप–बोध के बदले, जन्म तू व्यर्थ गँवाएगा,
बेहतर होगा इससे कि तुम, नारी के दुःखो को हरने दो,
तुम पापी! पाप कमा कर ना, जग–जीवन में उसे सड़ने दो,
नारी को कुछ करने दो.

तुम प्रण ले लो कि आज इन्हें, सन्मान दिला कर जाओगे,
जो जन्म–ऋण लिया है तुमने, भुगतान करा कर जाओगे,
इन्हें 'कल्पना चावला' की भांति, आकाश से बाँहें भरने दो,
तुम पापी! पाप कमा कर ना, जग–जीवन में उसे सड़ने दो,
नारी को कुछ करने दो.
उसे भी आगे बढ़ने दो,
भवसागर को तरने दो,
नारी को सब–कुछ करने दो.

काव्य सौरभ

मैं तालियों के लिए लिखता हूं।

कभी वालिद साहब की शाबासी,
तो कभी अम्मी की गालियों के लिए लिखता हूं,
कभी बिछड़ गए दोस्तों के नाम,
तो कभी होने वाली सालियों के लिए लिखता हूं,

मैं तालियों के लिए लिखता हूं,

कभी मिटते जा रहे पर्वतों,
तो कभी नदी–नालियों के लिए लिखता हूं,
कभी फेंके जा रहे भोजन के लिए,
तो कभी खाली थालियों के लिए लिखता हूं,
कभी मां के खनकते कंगन के लिए,
तो कभी बेगम की चमकती बालियों के लिए लिखता हूं,
हां हिंदी बहुत प्यारी है मुझे,
पर कभी–कभी उर्दू और कव्वालियों के लिए लिखता हूं,

मैं तालियों के लिए लिखता हूं,

कभी देश की बिगड़ती दशा के लिए,
तो कभी अवाम की खुशहालियों के लिए लिखता हूं,
हर बार झूठे जवाबदारों के लिए नहीं,
चन्द मर्तबा सच्चे सवालियों के लिए लिखता हूं,
कभी पंजाबी – कभी मारवाड़ी,
कभी तमिल, तो कभी गढ़वालियों के लिए लिखता हूं,
कभी बांके नौजवानों के लिए,
तो कभी युवतियां निरालियों के लिए लिखता हूं,

मैं तालियों के लिए लिखता हूं,

कड़वे सच सुनने का साहस है मुझमें,
फिर भी मुस्कानें जालियों के लिए लिखता हूं,
कभी किसी के अनगिनत प्रयासों के लिए,
तो कभी किसी के पुलाव ख्यालियों के लिए लिखता हूं,

कभी तो एक कलम भी भारी है पड़ जाती,
तो कभी तोपों, ए के सन्तालियों के लिए लिखता हूं,
हुकूमत से ही नहीं मिलती फुरसत कभी,
तो कभी बेचारी कामवालियों के लिए लिखता हूं,

मैं तालियों के लिए लिखता हूं,

कभी मैला ढोते लोगों के लिए,
तो कभी किसी की मालामालियों के लिए लिखता हूं,
कभी ऊंची–ऊंची प्रतिमाओं के लिए,
तो कभी किसानों की बदहालियों के लिए लिखता हूं,
इकटक देखता रहता हूं बस उस गायक को ही,
अचानक कभी खड़तालियों के लिए लिखता हूं,
कभी तृप्त हो गए राजनेताओं के लिए,
तो कभी जनता खालियों के लिए लिखता हूं,
अधमरे से, खस्ताहाल बचपन के लिए,
तो कभी यौवन बलशालियों के लिए लिखता हूं,
कभी अथक असफल अवसरों के लिए,
तो कभी सार्थक पूर्ण प्रणालियों के लिए लिखता हूं,
जानता हूं श्हरिवचनश, उजियारा आएगा,
फिर भी मैं रातें कालियों के लिए लिखता हूं,

क्या मैं सिर्फ तालियों के लिए लिखता हूं?

शिवाजी महेन्द्रा 'हरिवचन'
मण्डल कार्यालय
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

जियो जिंदगी: जिंदादिली से

साठ साल से ऊपर होकर
पूरे जीवन भर बोझा ढोकर
ढलती उमर को छोड़ के पीछे
युवा जोश के अहसासों सा
गर मस्त जिंदगी जीना है
खुद में परिवर्तन लाना होगा

दिनभर की अफसरशाही का
मातहतों की आवाजाही का
जी कारा सुन कुछ कहने का
अंदाज छोड कर जाना होगा
गर मस्त जिंदगी जीना है
खुद में परिवर्तन लाना होगा

अपने बच्चों को दोस्त बनाकर
बहू को अपनी बिटिया मानकर
पत्नी के संग समय बिताकर
सबसे सामंजस्य बिठाना होगा
गर मस्त जिंदगी जीना है
खुद में परिवर्तन लाना होगा

हर जगह पर टोका टोकी
बच्चों के काम में रोका रोकी
नवयुग की धारा में चलकर
टांग को कम ही फंसाना होगा
गर मस्त जिंदगी जीना है
खुद में परिवर्तन लाना होगा

बच्चों के संग बच्चे बनकर
फुल मस्ती में ही हंस हंस कर
बच्चों का उत्साह बढ़ाने हेतु
खेलों में खुद को हराना होगा
गर मस्त जिंदगी जीना है

श्री ओ. पी. मंगल
विकास अधिकारी,
हिण्डौनसिटी

डिजिटल रिश्ते

मनीषा एलिस सिंह
सहायक प्रबंधक,
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

देखो फोन पर कार्ड भेज दिया है..
आ जाना !!
location भी भेज दिया है....
आ जाना !!
समय नहीं रहा ... जा कर तुम्हारे
हाथ में ...कार्ड देने का,
बुरा न मानना ....

रिश्ते भी Digital होने लगे ......
फोन पर Edited फोटो ही देख लेना....
फिर Video Calling से ही...
रिश्ते कायम कर लेना ...
अगर पसंद आ जाये तो ...फोन पर ही
क़समें वादे कर लेना ....
जब कभी आपस में प्रत्यक्ष मिल जाये ...
तो मोह भंग कर लेना...
बस फिर क्या ...
Digital तरीके से रिश्ते का तोड़ मरोड़ कर लेना.....

मेहमान भी आये तो ...
Digital ही भोजन मंगा लेना
अब कहाँ रहा , गरमा गरम पकोड़े ,
गुलगुले का स्वाद ...??

न्योता..... जो ...हल्दी से लिपटे चावल के दाने ...आँचल में देने का ...
अब तो आँचल भी वो नहीं रहा
जिसमे सप्रेम...न्योता...ठंडे गुड़ शरबत के साथ ....
सब कुछ क्पहपजंस.....

एक सदी.... रिश्तों की तार ...कई मील चल कर जुड़ते थे और दिल में बसते थे ....
अब तो अदृश्य लम्बे तारों से जुड़ कर ...दिल के टुकड़े टुकड़े होते हैं ....

कोई लौटा दे मेरे बिना Digital वाले दिन....
हाँ, बस इसी Digital पर ही मेरे लेख पढ़ लेना.....!!!!

मैंने देखा है भगवान को

मैंने देखा है भगवान को
मैंने देखा है भगवान को
उस मां की ऑखों में
जिसे हजारों मन्नतों के बाद
अपनी गोद में खेलता नन्हा सा जीवन मिलता है
मैंने देखा है भगवान को
उस भिखारी की ऑखों में
जिसे दिनभर खाली हाथ के बाद
अचानक कहीं से सूखी रोटी मिलती है।

मैंने देखा है भगवान को
उस नववधू की ऑखों में
जिसका सैनिक पति बॉर्डर से
जंग लडकर सही सलामत घर वापस आता है।

मैंने देखा है भगवान को
रेगिस्तान में प्यास से तडपते
उस इंसान की ऑखों में
जिसे मृगतृष्णा ही सही लेकिन
पानी नजर आता है।
मैंने देखा है भगवान को
उस मजदूर की ऑखों में
जो दिनभर धूप में पत्थर तोडने के बाद
शाम को अपने झोंपडे में लौटता है
मैंने देखा है भगवान को।

मृत्यु से लडकर जीते उस
इंसान की ऑखों में
जो अस्पताल के बिस्तर से
डॉक्टर को देखता है।

मैंने देखा है भगवान को
अपनी बेटी की ऑखों में
उसकी मुस्कुराहट में
जब ऑफिस से घर लौटने पर
वो मेरी गोद में आती है
मैंने देखा है भगवान को
मैंने देखा है भगवान को।

पैसा तो पैसा ही है

मन–मस्तिष्क में
निसदिन यही मंथन चलता है
ऐसा है / कैसा है
जैसा भी है, बस यहॉं पर
पैसा तो पैसा ही है।

मनी–मनी स्वीटर टैन हनी
अर्थातः शहद से भी अधिक
मीठा तो बस, पैसा है।
पैसे की मिठास स्थायी है
जीवन में आदि से अंत तक
पैसा कभी स्वादहीन
नहीं होता है।

आह ! ... पैसा तो शहद से
इतना अधिक मीठा है कि
किसी बच्चे के सामने
पैसा और शहद रखा दो
बच्चा पैसे की ओर दौडता है
शहद को वह पीछे
बिल्कुल पीछे छोडता है।

मनी बीगेट मनी
अर्थात् यहॉं पर
पैसे से पैसा पैदा होता है
पैसे से पैसे को आकर्षित किया जाता है।
पैसे का आकर्षण सार्वभौम है
पैसे की आभा सर्वव्यापी है
पैसा अप्रतिहार योद्धा है
पैसा कभी संसार में
पराजित / आभाहीन नहीं होता है।

और तो और
मनी बाइ मनी
अर्थातः पैसे से पैसे को
आसानी से खरीदा जाता है।
और, यह भी कि
मनी सेल मनी
अर्थात् पैसा ही पैसे को
भरे बाजार में बेच देता है ।

इसीलिए तो
संसार में चक्कर पे चक्कर
ऐसा चल रहा कि कहॉं से/कैसे आये पैसा,
कैसे बचायें पैसा, कहॉं पर छिपायें पैसा,

पैसा तो बस, पैसा है
पैसा न तो बचता है
और, न ही छिपता है
किसी भी हाथ में
कभी भी नहीं रुकता है

पैसा बडा हो या मोटा
वह तो बस, चलता है / दौडता है।
वह आज भी चल रहा है
दौड रहा है।
वह चलता / दौडता रहेगा
अपना माया–जाल बुनता रहेगा।

धनशोधन का निवारण संक्षेप में

धनशोधन वित्तीय प्रणालियों के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित धन को स्थानांतरित करने की एक प्रक्रिया या गतिविधि है जिससे यह कानूनी रूप से अर्जित किया गया प्रतीत होता है। पीएमएलए अधिनियम 2002 और पीएमएलए नियम–2005 के प्रावधानों के अनुसार, खाता आधारित संबंध स्थापित करते समय बीमाकर्ताओं को ग्राहक पहचान प्रक्रिया का पालन करना होगा और उनके लेन–देन की निगरानी करना आवश्यक है।

पीएमएल नियमों के नियम 9 के खंड (ii) और (iii) उप नियम (14) के प्रावधानों के अनुसार, बीमाकर्ताओं को धनशोधन कार्यक्रम बनाना होता है। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकार ने धनशोधन/आतंकवाद वित्तपोषण निवारण –2022 पर प्रमुख दिशानिर्देश जारी किए हैं और इसे 01/01/2023 से लागू किया जाना है।

प्रत्येक नए ग्राहक के मामले में, खाता आधारित संबंध शुरू करते समय ग्राहक के वैध केवाईसी दस्तावेजों के साथ आवश्यक क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस किया जाना चाहिए। एएमएल/सीएफटी की आवश्यकताएँ सभी मौजूदा ग्राहकों के लिए लागू हैं। इसलिए पहले से प्राप्त आंकड़ों की पर्याप्तता के आधार पर समय–समय पर मौजूदा ग्राहकों के लिए केवाईसी के साथ आवश्यक क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस किया जाना चाहिए।

समग्र जोखिम मूल्यांकन के आधार पर बीमाकर्ताओं का आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण विभाग द्वारा समय–समय पर धनशोधन गतिविधियों से संबंधित सटीक नीतियों, प्रक्रिया और नियंत्रणों के अनुपालन को सत्यापित किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में विशेष रूप से इस संबंध में आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं की मजबूती पर टिप्पणी की जानी चाहिए और जहां आवश्यक हो, नीति और कार्यान्वयन पहलुओं को सदृढ़ करने के लिए हितकारी सुझाव देना चाहिए।

जहाँ ग्राहक वैयक्तिक है, तो बीमाकर्ता द्वारा उसकी पहचान, पता और हाल के फोटो का सत्यापन करना चाहिए। सभी प्रकार के समूह बीमा (जीवन/सामान्य/स्वास्थ्य) के लिये, मास्टर पॉलिसी धारकों/ न्यायिक व्यक्ति/कानूनी अस्तित्वक और संबंधित लाभार्थी के केवाईसी विवरण को एकत्र करने की आवश्यकता है। हालांकि, समूह बीमा के तहत मास्टर पॉलिसीधारक को कवर किए गए सभी व्यक्तिगत सदस्यों का विवरण बनाए रखना होगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर बीमाकर्ता को भी उपलब्ध कराया जा सके।

जहाँ ग्राहक न्यायिक व्यक्ति हैं, वहाँ बीमाकर्ता को एएमएल पॉलिसी में सूचीबद्ध विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से इसकी वैधता की स्थिति की पहचान और उसका सत्यापन करना होगा।

राजनीतिक रूप से सजग व्यक्तियों के प्रस्तावों को वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा जांच करने की आवश्यकता है।

"राजनीतिक रूप से सजग व्यक्ति (पीईपी)" ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी अन्य देश में प्रमुख सार्वजनिक कार्यों के लिए गए हैं या राज्यों / सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी / न्यायिक/ सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी, आदि हैं।

जब बीमाकर्ता ग्राहक के वास्तविक पहचान और ग्राहक द्वारा किए गए लेन–देन से संतुष्ट नहीं होता है, तो एक संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) को फाइनान्शियल इंटेलिजेन्स यूनिट – इंडिया (एफआईयू–आईएनडी) को प्रेषित किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने दिनांक 26 नवंबर 2015 की राजपत्रित अधिसूचना द्वारा सेंट्रल रजिस्ट्रीग आफ् सेक्यूरिटाइसेशन असेट्ट रीकन्ट्र क्शलन एंड सेक्युजरिटी इन्ट्रास्टज आफ् इंडिया (सीईआरएसएआई) को सीकेवाईसीआर के रूप में कार्य करने और उसके कार्यों को निष्पादित करने के लिए अधिसूचित किया है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) एक अंतर–सरकारी निकाय है। एफएटीएफ का उद्देश्य धनशोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित जोखिमों से निपटने के लिए कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। एफएटीएफ आवश्यक उपायों को लागू करने में अपने सदस्यों की प्रगति की निगरानी करता है, धनशोधन/आतंकवादी वित्तपोषण तकनीकों और प्रति–उपायों की समीक्षा करता है, और वैश्विक स्तर पर उचित उपायों को अपनाने और कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है।

संजय कुमार झा
मुख्य प्रबंधक, प्रधान कार्यालय

मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) दिशा निर्देश

राजेश कुमार महतो
सहायक प्रबंधक, प्रधान कार्यालय

दिनांक 31 अगस्त 2017 को भारतीय बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा एम आई एस पी दिशानिर्देश संख्या IRDA/INT/GDL/MISP/202/08/2017 जारी किया गया था। इसे बीमा अधिनियम 1938 की धारा 34 तथा भारतीय बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत जारी किया गया तथा यह दिनांक 1 नवंबर 2017 से प्रभावी है।

उद्देश्य:-

- मोटर पॉलिसियों का वितरण एवं सेवाओं के प्रति ऑटोमोटिव डीलरों की भूमिका को मान्यता प्रदान करना।
- बीमा संबंधी उनकी क्रियाकलापों पर प्राधिकारी की निगरानी रखा जा सके।

परिभाषाएँ :

- **अधिनियम :** से तात्पर्य बीमा अधिनियम 1938।
- **प्राधिकारी :** से तात्पर्य भारतीय बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण।
- **ऑटोमोबाईल डीलर :** से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो ऑटोमोबाईल निर्माता द्वारा नवनिर्मित अथवा पहले से उपयोग किए गए ऑटोमोटिव वाहनों की बिक्री हेतु एक आधिकृत डीलर अथवा सब डीलर है।
- **ऑटोमोटिव निर्माता :** से तात्पर्य ओ ई एम से है (ऑरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर)
- **वितरण शुल्क :** बीमाकर्ता अथवा बीमा मध्यवर्ती द्वारा एक एम आई एस पी को की गई भुगतान की राशि। (कमीशन/ब्रोकरेज/रिवार्ड हेतु प्रभावी विपणन दिशानिर्देश का अवलोकन करें)
- **एम आई एस पी :** से तात्पर्य एक ऐसे ऑटोमोबाईल डीलर से है जिसके माध्यम से बेचे गए ऑटोमोटिव वाहनों का मोटर बीमा पॉलिसियों के वितरण और/अथवा सेवाओं को देने के लिए बीमाकर्ता अथवा बीमा मध्यवर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है।
- **बीमा व्यवसाय की सेवा :** से तात्पर्य मोटर बीमा पॉलिसियों की बिक्री के पश्चात उत्पन्न होने वाली बीमा संबंधी कार्य और इसमें समाहित होने वाली पॉलिसी सेवा वितरण, पॉलिसी का निर्गमन, संशोधन, पृष्ठांकन, परिवर्तन, नवीनीकरण, रद्द करने संबंधी निर्देशों का ग्राहकों से प्राप्त करना यानी पॉलिसी मामलों से संबंधित सभी कार्यों का समन्वय करना एवं इसमें दावा सेवा वितरण भी सम्मिलित है।
- **एम आई एस पी :** दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित कोई भी ऑटोमोबाईल डीलर।
- **प्रायोजित करने वाली इकाई :** या तो बीमाकर्ता(ओं) अथवा बीमा मध्यवर्ती।
  - एम आई एस पी की समस्त भूल चूक हुई कार्यों के लिए प्रायोजित करने वाली इकाई होगी जिम्मेदार।
  - एक एम आई एस पी के रूप में कार्य करने के लिए डीलर से (आवश्यक दस्तावेजों के साथ) सहमति पत्र प्राप्त करना।
  - एम आई एस पी द्वारा मनोनित व्यक्ति का नामांकन (न्यूनतम 12वीं पास)।
  - पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन के लिए मनोनित व्यक्ति को प्रशिक्षण और परीक्षा से गुजरना होगा।
  - परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मनोनित व्यक्ति को नियुक्ति पत्र जारी किया जाना।

संग्रहित किये जाने वाले दस्तावेज :

- एम आई एस पी के रूप में कार्य करने के लिए सहमति पत्र।
- आशय पत्र (डीलर के रूप में कार्य करने के लिए ओ ई एम से प्राप्त पत्र की प्रति)
- जी एस टी प्रमाण पत्र।
- पैन विवरण।
- बैंक विवरण।
- मनोनित व्यक्ति का नामांकन संबंधी डीलर का पत्र।
- मनोनित व्यक्ति – शैक्षणिक दस्तावेज, आधार, पैन, फोटो।

एम आई एस पी का अनुमोदन और कॉनफिगरेशन की प्रक्रिया।

- शा का / मं का / क्षे का द्वारा कार्यालयीन नोट बनाकर समस्त दस्वावेजों सहित प्रधान कार्यालय को एम आई एस पी अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाना।
- अनुमोदन प्राप्ति पश्चात – कॉनफिगरेशन हेतु डीलर और एम आई एस पी टेमप्लेट को क्षे का की आई टी को प्रेषण।
- विवरण सहित ओ ई एम वेहिकल मास्टर में मेक और मॉडल इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जी सी कॉनफिगरेशन की जाँच करें, अन्यता वाहन विवरण अद्यतन हेतु क्षे का / प्र का की आई टी को कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।
- पोर्टल कॉनफिगरेशन करने से पहले सी डी एकाउन्ट कॉनफिगरेशन कर लिया जाना चाहिए।
- डीलर पोर्टल को कॉनफिगर करना – लिमिट दर्शाए जाने के लिए डीलर पोर्टल टेम्प्लेट को सही तरीके से जाँच करलें, उदाहरण – ओ डी डिस्काउन्ट कैपिंग, आई डी वी लिमिट इत्यादि।
- डीलर पोर्टल का कार्यपद्धति की जाँच करलें।

एम आई एस पी दिशानिर्देश (अध्याय)

→ **अध्याय I :** दिशानिर्देश

- ➔ **अध्याय II :** एम आई एस पी की नियुक्ति
- ➔ **अध्याय III :** एम आई एस पी का आचरण विधि से संबंधित है।
- ➔ **अध्याय IV :** बीमाकर्ता / बीमा मध्यवर्ती के कर्तव्यों से संबंधित है
- ➔ **अध्याय V :** अनुबंध, प्रकटीकरण, उत्पाद, मूल्यांकन, वितरण शुल्क, प्रीमियम जमा, के वाई सी/ए एम एल नियम, ई–बीमा एकाउन्ट, ई–बीमा पॉलिसियाँ, शिकायत, अनुपालन, रिपोर्टिंग की आवश्यकताएँ, एम आई एस पी डेटा बेस, अन्य मामले, दंड, प्रभावी व्यवस्थाएँ, प्राधिकारी की शक्तियाँ इत्यादि।

एम आई एस पी का विपणन

- ➢ **मार्केट सर्च** : अपने क्षेत्र में उपलब्ध सभी डीलरों की खोज, – इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है।
- ➢ मार्केटिंग टीम के सहयोग से संपर्क साधना।
- ➢ छूट गए डीलरों से पुनः संपर्क – विच्छेदित संबंधों का पुनः स्थापना।
- ➢ डीलरों की शॉर्टलिस्टिंग :
- ➢ युनाइटेड इंडिया ओ ई एम टाई अप का अपवर्जन।
- ➢ हमारे परिचालन कार्यालयों के समीपता के आधार पर डीलर्स की छटाई करना।
- ➢ परिचालन कार्यालयों द्वारा एक पखवाडे में किए जाने वाले विजिट लक्ष्य का आबंटन।
- ➢ एम आई एस पी गठन पर डीलर की भूमिका को समझाना।
- ➢ एम आई एस पी का सृजन की प्रक्रिया को सूचित करना।
- ➢ विजिट के दौरान फीडबैक लेना।

एम आई एस पी प्रबंधन :

- ➢ एम आई एस पी कॉनफिगरेशन पश्चात – निर्दिष्ट डीलर के साथ सुगमता से संपर्क हेतु एक संपर्क ग्रूप बनाएँ
- ➢ समस्त संपर्क / मेल साझा करें – बीमा लेखन एवं दावे।
- ➢ प्रक्रिया विधि को सूचित करें।
- ➢ निर्मित संपर्क ग्रुप पर सतत निगाह रखें।
- ➢ टी ए टी कम करने के लिए हर समय प्रयासरत रहें – पॉलिसी निर्गमन / क्लेम कॉल्स।
- ➢ दावा सूचना से लेकर / एक ही बार में समस्त दस्तावेजों का पुष्टीकरण पर निगरानी करें – कमियों को अविलंब सूचित करें।
- ➢ सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होते ही देयता की सूचना उसी दिन दिया जाना।
- ➢ अविलंब भुगतान जारी किया जाना – अधिकतम अगले दिन।
- ➢ दावा भुगतान हेतु किसी प्रकार का अनुस्मारक प्राप्त न हो यह सुनिश्चित करना।

नए प्रत्यक्ष एम आई एस पी डीलरों को साथ लाने के लिए उपरोक्त दिये गये दिशानिर्देश और समझाई गई प्रक्रिया सहायक होंगी और साथ ही एम आई एस पी को साथ बनाये रखने तथा बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए एम आई एस पी प्रबंधन बिंदु समर्थित करेंगी।

मातृ भाषा

हिन्दी भाषी, यानि के वह लोग जो हिन्दी में बात करते हैं। बचपन में हिन्दी– भाषी होने का मतलब लगता था कि वो लोग जिन्हे अंग्रेजी (English) बोलनी नहीं आती या दूसरे शब्दों में वो लोग जिनको कुछ आता ही नहीं। छोटे शहर में शिक्षा प्राप्त होने के कारण अगर हम बचपन में किसी को इंग्लिश में बात करते हुए सुन लेते थे तो लगता था कि कोई सपमद आया है और दिमाग चलना वहीं बंद हो जाता था।

फिर पढ़ाई – लिखाई में अच्छे होने के वजह से राजधानी के एक सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला, तो कई महीनो तक इंग्लिश के अलावा कोई भाषा सुनाई ही नहीं दी। धीरे–धीरे हम भी सब के रंग मेंरंग गए और एहसास हुआ की अंग्रेजी आना या नहीं आना उतनी भी बड़ी बात नहीं हैं।

जब मातृत्व सुख की प्राप्ति हुई तो हमने निर्णय लिया कि हम उन अभिभावकों की तरह तो बिलकुल नहीं बनेंगे जो दूसरों को देखते ही अपने बच्चो से इंग्लिश में बात करने लगते हैं। तो हमने बड़े जोश से गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा का वातावरण बनाया और सुबह शाम हिन्दी गान शुरू किया। पर ये क्या जिस बच्चे को हम "उठो लाल अब आंखे खोलो" गाकर जगाना चाह रहे थे, वह तो (morning bellsa re ringing) सुनकर उठ रहा था।

हमारी मेहनत पूरी तरह से असफल नहीं हुई थी क्योंकि वह हनुमान चालीसा तो गा रहा था पर वितमपहदबबमदज में। तब हमे यह शिक्षा मिली कि mother tongue यानि मातृ भाषा केवल माँ द्वारा सिखाई गयी भाषा नहीं है। यह वह भाषा है जो आपका समाज आपको सिखाता है। जिस रफ्तार से हिन्दी स्कूलों में प्रथम भाषा से द्वितीय भाषा (FIRST LANGUAGE से SECOND LANGUAGE) बन गयी है उसी तरह यह समाज में भी द्वितीय भाषा (SECOND LANGUAGE) बनती जा रही है। अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हिन्दी को बचाएं और उसके प्रचार – प्रसार को बढ़ाएं ताकि हिन्दी – भाषी विलुप्त ना हो जाएं।

श्वेता पंवार
सहायक प्रबंधक, मुंबई क्षे.का. – II

वित्तीय क्षेत्र के कार्यालयों में भारतीय भाषाओं का महत्व

"१४० करोड़ भारतीयों की अलग दुनिया जुड़ेगी
जब हर हाथ में समृद्ध भारत की डोर होगी"

अनेक वेशभूषा, अनेक भाषाएँ, विविध प्रथाएँ और ऐसी ही अनेक विविधताओं से भरे अपने देश की आजादी का अमृत महोत्सव हम इस साल मना रहे हैं। स्वतंत्रता के ७५ वर्ष का यह पड़ाव देश के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस साल हम अपने राष्ट्रनिर्माताओं को याद कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम भविष्य के समृद्ध भारत की रूपरेखा और संकल्पना पर भी काम कर रहे हैं। आज भारत दुनिया की अग्रणी तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। दुनिया के आर्थिक रूप से अग्रणी देशों का आर्थिक शिखर संमेलन यानी 'जी२०' की मेजबानी भी इस साल भारत कर रहा है। एक तरफ जब देश प्रगति की राह पर इस तरह रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तब दूसरी तरफ हमारे लिए चुनौती यह भी है की देश की प्रगति में देश के आखरी तबके तक के हर व्यक्ति की सहभागिता हो, और देश के आर्थिक विकास का लाभ जन जन तक पहुँचे। किसी भी देश के आर्थिक विकास की वाहक होती हैं उस देश के वित्तीय क्षेत्र की संस्थाएँ, और अगर हमें विकास में हर व्यक्ति को भागीदार बनाना है, तो हमें सभी नागरिकों को इन संस्थाओं से जोड़ना होगा।

वित्तीय संस्थाओं में समावेश होता है बैंक, बीमा, विविध सहकारी संस्थाएँ, सूक्ष्म ऋण एवं अन्य ऋण संस्थाएं, शेयर बाजार, अचल संपत्ति संस्थाएं और ऐसी सभी संस्थाओं का, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की संस्थाएं शामिल हैं। भारत का वित्तीय क्षेत्र २०२१ में लगभग ५६ ट्रिलियन डॉलर्स का था, जो कि २०२५ में ७५६ ट्रिलियन डॉलर्स का होने का अनुमान है। वित्तीय संस्थाएं देश के नागरिकों को आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने की सुविधा प्रदान करती हैं। व्यक्ति अपनी आर्थिक प्रगति के लिए वित्तीय संस्थाओं से जुड़कर अलग अलग तरह की सुविधाएं ले सकता है जैसे की- आवास बनाने के लिए, नया कारोबार शुरू करने के लिए ऋण लेना, भविष्य सुनिश्चित करने हेतु अपनी आय से कुछ हिस्सा निकालकर फिर उसका निवेश करना, बीमा के माध्यम से खुद की एवं परिवारजनों की सुरक्षा निश्चित करना। अक्सर देखा जाता है की इन वित्तीय संस्थाओं में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा मुख्यतः अंग्रेजी और हिंदी ही होती है। हम अगर इन संस्थाओं में अलग अलग भी भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल पर जोर दें तो क्या हासिल हो सकता है इसपर चर्चा करना जरूरी है। यह चर्चा हम आगे दिए हुए ३ बिंदुओं पर करेंगे-

■ भारतीय भाषाओं की जरूरत-

अपने देश में अलग-अलग क्षेत्रों में जहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं वहीं अक्सर कार्यालयों की भाषा अंग्रेजी या हिंदी है तो हिंदी क्षेत्र के अलावा जो प्रदेश हैं इन नागरिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वित्तीय संस्थाओं को जो लोगों तक पहुँचना होता है वह दरअसल पूरी तरह पहुंच ही नहीं पाता, कारण केवल एक - लोगों की मातृभाषा का इस्तेमाल ना होना। 'अंग्रेजी साक्षरता अध्ययन' नाम के एक संशोधन में दी गई जानकारी के अनुसार १० में से ९ भारतीय अंग्रेजी वित्तीय उत्पादों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। हमारे देश में साक्षरता की दर कम है, और दूरदराज के इलाकों में तो यह और भी कम है। ऐसे इलाकों में अंग्रेजी समझ पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। महिलाओं में साक्षरता की दर पुरुषों से कम है, इसलिए आबादी का यह आधा तबका इन संस्थाओं से जुड़ने में काफी हिचकिचाता है। आदिवासी और पिछड़े समूह के लोग तो ऐसी व्यवस्थाओं से जुड़ने से डरते हैं। हालांकि 'जन-धन योजना', 'मुद्रा योजना', 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' जैसी योजनाएं अत्यंत आखरी छोर के नागरिक तक पहुंच पाती हैं, लेकिन हम अगर हर व्यक्ति की मातृभाषा में ये योजनाएं ले जायेंगे तो इसका प्रभाव और भी बढ़ेगा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की ग्रामीण और आदिवासी समाज सहित भारत के गांवों के बारे में बहुत स्पष्ट धारणा थी। उनका जोर देकर कहना था कि-

"भारत गाँवों में रहता है कस्बों में नहीं,
झोपड़ियों में रहता है महलों में नहीं।"

'नीति आयोग' के २०२२ के एक अध्ययन अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग ३० प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण भारत से आता है। गांवों को और सक्षम करने के लिए उन्हें पर्याप्त आर्थिक साधन देने होंगे। अबतक के विवेचन से यह स्पष्ट है की भारतीय भाषाओं का वित्तीय क्षेत्र के कार्यालयों में कितना महत्व है।

■ भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल के फायदे-

अगर हम स्थानिक भाषाओं का कार्यालयों में अधिकतम इस्तेमाल करेंगे तो ग्राहकों के लिए सेवाओं की सहजता बढ़ेगी। हर कोई वित्तीय संस्थाओं के नियमों व शर्तों को आसानी से समझ पायेगा। एक ग्राहक के तौर पर अगर देखें तो बीमा क्षेत्र के दस्तावेजों में अनेक क्लिष्ट शर्तें होती हैं, और अपनी स्थानिक भाषा में न होने से वे शर्तें ग्राहकों के लिए और भी क्लिष्ट बन जाती हैं। स्थानिक भाषाओं का उपयोग करने से वित्तीय संस्थाओं की पहुंच बढ़ेगी। अपनी भाषा में वार्तालाप कर पाने से लोग इन संस्थाओं के प्रति अपनापन महसूस करेंगे। भारतीय भाषाओं को अगर बढ़ावा दें तो ग्राहकों की अपेक्षाओं एवम् सुझावों को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। लोगों की सूचनाओं को समझकर वित्तीय संस्थाओं को अपनी सेवाएं एवं उत्पाद बेहतर बनाने में मदद होगी। कई सरकारी योजनाएं लोगों तक वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ही पहुंचती हैं। यह सब जानकारी अगर स्थानिक भाषाओं में पहुंचे तो इन योजनाओं में लोगों की सहभागिता बढ़ेगी और सरकार तथा संस्थाओं के प्रति भरोसा भी बढ़ेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा आबादी वित्तीय सेवाओं के साथ जुड़ जाती

हैं तो देश के वित्तीय संस्थानों में होने वाली बचत भी बढ़ेगी। इसी के साथ अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति का चक्र भी सही ढंग से चलेगा। महंगाई तथा निवेश की दरें भी अनुकूलतम स्तर पर रहेंगी। जब अधिकतम आबादी वित्तीय सेवाओं का लाभ लेगी तब अर्थव्यवस्था सर्व समावेशी होकर बढ़ेगी। ग्राहकों को सभी प्रक्रियाएं तथा प्रलेखन का काम खुद करने में आसानी होगी। इसकी वजह से जो बिचौलिए हैं उनकी मौजूदगी धीरे धीरे कम होती जाएगी। लोगों का मध्यस्थों पर से अवलंबित्व कम होने के कारण आर्थिक धोखाधड़ी के मामले भी कम होते जाएंगे। आए दिन आर्थिक धोखाधड़ी के मामले नए स्वरूपों में सामने आ रहे हैं। देश का रिज़र्व बैंक और बाकी बैंक संस्थाएं, सेबी और आईआरडीए जैसी संस्थाएं अगर इन मामलों के बारे में जागरूकता स्थानिक भाषाओं में पहुंचाएं तो ऐसी धोखाधड़ी से बचना और आसान होगा।

अगर व्यापकतर भारतीय भाषाएं वित्तीय व्यवहार में उपयोग की जाएं तो वह सभी भाषाएं ज्ञान भाषाएं हो सकेंगी और जीवित भी रहेंगी। ज्ञानभाषाओं के बारे में जापानी, चीनी और कोरियाई भाषाओं का उदाहरण दुनिया के सामने है। हमारी भाषाएं जीवित रहेंगी तो हमारी संस्कृति भी जीवित रहेगी। इन सभी बातों को समेटकर लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं की —

" वित्तीय संस्थानों की देश में प्रगति पथ लहर,
लाभ सेवाओं का अब पहुंचे गांव गांव शहर शहर।
जानकारी परिवर्तित होगी जागृति में,
सरल सुगम सहज भाषा ही प्रसार।"

■ भारतीय भाषाओं का उपयोग बढ़ाने के तरीके -

असल में भारत में वित्तीय सेवाएं लोगों तक पहुंचाने में सबसे बड़ी चुनौती यही रही है कि यहां अनेक भाषाएं हैं। भारत के संविधान की आठवीं सूची के अनुसार आधिकारिक तौर पर भारत की २२ भाषाएं हैं। इसके अलावा हजारों बाकी भाषाएं और उपभाषाएं भी हैं। भाषाओं की यह चुनौती तो है, लेकिन अनेक रास्ते भी सामने निकल कर आ रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो पिछले साल शुरू हुए 'बैंकसाथी' नामक एप्लीकेशन के बारे में जानना दिलचस्प होगा। इस एप्लीकेशन ने वित्तीय सहभागिता बढ़ाने में नई पहल की है। इसके द्वारा गांवों और शहरों के ग्राहकों को अपनी भाषा में बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके यह संभव किया गया है। इन्होंने हिंदी, तेलुगु, बंगाली और मराठी इन भाषाओं में अभी सेवा देना शुरू किया है और लगभग ३० लाख से भी ज्यादा लोगों से यह जुड़ चुके हैं। ऐसे कई स्टार्टअप्स हमारे देश में शुरू हैं।

भाषाप्रसार में भाषा के भिन्न चार अंगों का प्रमुखता से समावेश होता है वे हैं श्रवण, भाषण, वाचन और लेखन। इन चारों के जरिए हमें लोगों और संस्थाओं को जोड़ना पड़ेगा। श्रवण में लाउडस्पीकर के जरिए प्रचार प्रसार करना, स्थानिक भाषाओं में विज्ञापन देना, ग्राहक सेवा केंद्र से फिर आनेवाले दूरध्वनी तथा व्यापुस्तिकाओं में भारतीय भाषाओं का उपयोग ऐसे उपायों का समावेश है। जब भाषण की बात आती है तो कार्यालयों में कर्मचारियों ने ग्राहकों के साथ उनकी भाषा में बात करना जरूरी है। जिस तरह अखिल भारतीय सेवाओं में चुने गए सभी अधिकारियों को उन्हें जिस राज्य में भेजा जा रहा है वहीं की भाषा सिखना अनिवार्य होता है, उसी तरह वित्तीय क्षेत्र के कार्यालयों के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण में वह भाषा सिखना अनिवार्य किया जाना चाहिए। अगर कार्यालयीन प्रपत्र और पर्चियां भी सभी भाषा में हो तो ग्राहकों को वाचन और लेखन करना आसान हो जाएगा। एक अध्ययन में यह भी देखा गया है की बैंकों में रकम जमा करने एवं निकालने की जो पर्चियाँ आती हैं सिर्फ अंग्रेजी तथा हिंदी में होती है, हिंदी भाषी क्षेत्र में उन पर्चीं की हिंदी भाषा वाली बाजू ज्यादा उपयोग में लायी जाती है। इसी तरह बाकी सभी भारतीय भाषाओं में भी यह होना चाहिए।

वित्तीय सेवाओं को केवल अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में भाषांतर करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कार्यालयों में काम कर रहे लोगों द्वारा स्थानिक संस्कृति को समझना तथा उसका सम्मान करना और स्थानिक लोगों से जुड़ना आवश्यक है। आजकल गूगल जैसी वैश्विक संस्थान भी गूगल ट्रान्सलेट के द्वारा भाषांतर की सेवा दुनिया की अनेक भाषाओं में उपलब्ध कर रही है, तो सूचना प्रौद्योगिकी में एक कदम आगे रहने वाले हम भारतीय इसमें पीछे क्यों रहें? कई वित्तीय संस्थान अपने वेबसाईट और दूरभाष ऍप्लीकेशन में अंग्रेजी के साथ हिंदी का भी भाषा पर्याय देते हैं, इसे आगे बढ़कर भारतीय भाषाओं के भी पर्याय इसमें लाये जा सकते हैं। यूट्यूब जैसी वीडियो सेवाओं का उपयोग करके भी वित्तीय संस्थाएं अपनी विविध योजनाएं, प्रक्रियाएं इनके बारे में स्थानिक भाषाओं में वीडियो बना सकती हैं। आजकल वॉईस रेकग्निशन के जरिए भी कई प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं, इनमें भी भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों का भी उपयोग करके बहुतसी जटिल प्रक्रियाओं को सरल किया जा सकता है।

ऐसा नहीं है की हमें सब बाहर से सीखने की जरूरत है। वित्तीय क्षेत्र में क्रांति करने वाला एकात्मिक भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई), भारत में विकसित, दीर्घ पैमाने पर सफल ही ऐसा भारतीय आविष्कार है जिसका दुनिया में डंका बज रहा है। आखिर कौटिल्य ने कई हजार साल पहले लिखा हुआ दुनिया में सबसे पहले वाला 'अर्थशास्त्र' ग्रंथ भी तो भारतीय भाषा संस्कृत में ही लिखा गया था। हमें अपने ज्ञान स्रोतों पर अब फिर से विचार करना होगा। अपनी न्यूनगंडता से बाहर निकलना होगा। भारत आज जिस पड़ाव पर खड़ा है वहाँ चुनौतियां तो हैं लेकिन हमारे लिए संभावनाएं भी अनंत और असीमित हैं। अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर हमें इतिहास के कई उदाहरण याद दिलाते हैं जिन से हमें सिख लेनी होगी और भारत को विश्वगुरु बनाने हेतु पुरुषार्थ करना होगा। दुनिया आज भारत की तरफ बड़ी आशा से देख रही है। क्यूं? क्योंकि भारत असीम मानव संसाधन का मालिक है। भारत असीमित बुद्धिमत्ता का मालिक है। हम सोचेंगे, सीखेंगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। कभी नहीं।

रुपेश स. पाटील
शाखा प्रबंधक
शाखा कार्यालय, बारामती

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय-2 को सम्मान एवं प्रमाण पत्र

दिनांक 19 जून, 2023 को आयोजित बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई की 75वीं छमाही बैठक में माननीय डॉ. सुष्मिता भट्टाचार्या, उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के मुख्य आतिथ्य में युनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय-2 की सक्रिय सहभागिता की सराहना की गई एवं सम्मान चिन्ह व प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया।

शाखा कार्यालय सिलवासा को सम्मान एवं प्रमाण पत्र

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा दिनांक 19 जून 2023 को सर्किट हाउस सिलवासा में आयोजित हिन्दी कार्यशाला में शाखा कार्यालय सिलवासा को हिन्दी में सर्वाधिक काम करने हेतु वर्ष 2021-2022 के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया।

नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय को सम्मान एवं पुरस्कार

माननीय डॉ. सुष्मिता भट्टाचार्या, उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के मुख्य आतिथ्य में 25 मई, 2023 को आयोजित बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर की 70वीं छमाही बैठक में नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय से उप महाप्रबंधक श्री योगेश मेश्राम, तथा राजभाषा अधिकारी श्रीमती प्रतीक्षा कुंभारे को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

राजभाषा संसदीय समिति की तीसरी उप समिति द्वारा दिनांक 11 सितंबर 2023 को
ठाणे कार्यालय का निरीक्षण किया गया। कंपनी का प्रतिनिधित्व
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री सत्यजीत त्रिपाठी ने किया।
समिति द्वारा राजभाषा के प्रति के जा रहे कंपनी के कार्यों को सराहा गया।

अगर जीवन में संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है।

सफलता दूर हो सकती है, लेकिन वह मिलती जरूर है।

"उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए।"

–सुभाष चंद्र बोस

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 24, वाइट्स रोड, चेन्नै – 600 014. www.uiic.co.in

प्रधान कार्यालय : 19, चौथी लेन, नुंगमबाक्कम हाई रोड, चेन्नै – 600 034